दीपावली अंक

राष्ट्रीय विचारों का पाक्षिक

₹ 50

पाथेय कण

कार्तिक अमावस्या व मार्गशीर्ष कृ.1, वि.2081, युगाब्द 5126, 1 व 16 नवम्बर, 2024

39 वर्षों से निरंतर

महिला सम्मान एवं सुरक्षा विशेषांक

patheykan@gmail.com @patheykanofficial @patheykanofficial @patheyofficial1 @patheykan

www.patheykan.com

बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी

अस्थल बोहर, रोहतक - 124021 (हरियाणा)

9053066601 www.bmu.ac.in

LIMITED SEATS

BMU SCHOLARSHIP PROGRAM

महंत बालकनाथ योगी
Chancellor BMU

Eligibility Criteria

Marks	Scholarship
95% Above	90% Scholarship*
90% Above	80% Scholarship*
85% Above	70% Scholarship*

+ Laptop*

Scholarship	Discount
Sibling	Upto 25% OFF
Single Girl Child	
Physical Handicapped	
Orphan	
Sports	
Ex-Serviceman	

Eligible Course

B.TECH / M.TECH
Civil, Electronics, Mechanical

B.Sc Optometry, MLT, Agriculture

B.Sc,, B.Com, MA, M.Sc, M.Com & Shastri

ADMISSIONS OPEN 2024-25

FACULTY OF MGT. AND COMM.

BBA	₹ 12,500 (Per Semester)
B.Com	₹ 10,000 (Per Semester)
M.Com, BCA	₹ 12,500 (Per Semester)
MBA, MCA	₹ 25,000 (Per Semester)

Newly Introduced Programmes

- B.Sc. -(Hons.) Agriculture
- B.Sc. -Medical Lab Technology
- B.Sc. -Optometry

₹ 30,000 (Per Semester)

FACULTY OF SCIENCE

B.Sc	₹ 10,000 (Per Semester)
M.Sc	₹ 20,000 (Per Semester)

FACULTY OF HUMANITIES

B.A. (Bachelor of Arts), B.A. J.M.C, B.Lib. & Info. Science	₹ 10,000 (Per Semester)
Shastri, MA - Sanskrit	₹ 2500 (Per Semester)
M.A. M. Lib. & Info. Science	₹ 10,000 (Per Semester)

FACULTY OF LAW

LL.M. - (2 Years)

FACULTY OF NURSING

- *ANM - (2 Years)
- *GNM - (3 Years)
- Post Basic B.Sc. Nursing -(2 Years after GNM)
- *B.Sc. Nursing

FACULTY OF AYURVEDA

BAMS -Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery

FACULTY OF PHYSIOTHERAPY

- MPT-Sports
- MPT-Neurology
- MPT-Orthopaedics
- MPT-Cardiothoracic & Pulmonary Disorder

FACULTY OF PHARMACY

- D. Pharm.
- B.Pharm.
- M.Pharm.-(Pharmaceutics)
- M.Pharm.-(Pharmacology)

PH.D IN ALL FACULTY

FACULTY OF ENGINEERING

B.Tech	₹ 25,000 (Per Semester)
M.Tech	₹ 30,000 (Per Semester)

B.ed.	₹ 22,000
D.ed.	₹ 14,250

*Affiliated to MDU Rohtak

Scan QR to visit Website

*Terms & Conditions Applied

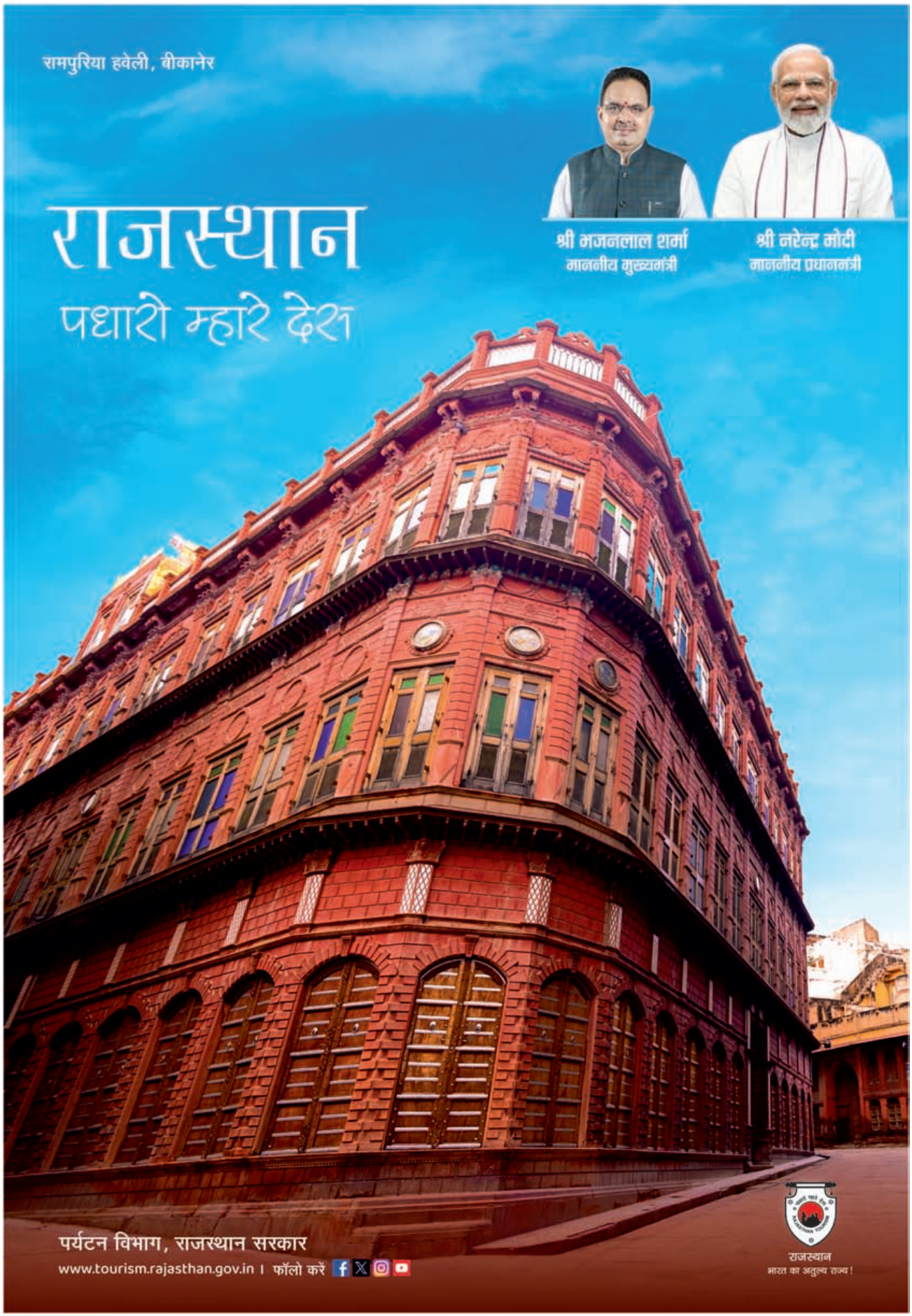
रामपुरिया हवेली, बीकानेर
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
राजस्थान
पधारो म्हारे देस
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार
www.tourism.rajasthan.gov.in । फॉलो करें
राजस्थान
भारत का अतुल्य राज्य !

विरासत
30 SINCE 1996 Years of TOGETHERNESS
30 year of successful LEGACY
CLC SIKAR
Top Glitter of NEET | IIT-JEE : 2024
AIIMS DELHI
SUNIL KUMAR JHUNJHUNU
AIIMS DELHI
SWEETY DHAKA SIKAR
FRESHER
AIIMS DELHI
OJAL RAO REWARI (HR)
WITH XII
COMPUTER SCIENCE
IIT BOMBAY
PRASHANT MEENA DHOLPUR
WITH XII
COMPUTER SCIENCE
IIT BHU
GHANENDAR JURASIA SRI GANGANAGAR
COMPUTER SCIENCE
IIT GUWAHATI
MUKUL YADAV MAHENDERGARH (HR)
NEET और JEE के बाद...
स्वर्णिम NDA
Best Rank of SIKAR
AIR 36 TES-52 FINAL RESULT-2024
AYUSH YADAV
Mandhanda, Narnaul, Haryana
AIR 45 NDA-I FINAL RESULT-2024
VINAY PRATAP
Rampura, Alsisar, Jhunjhunu
CAREER LINE COACHING CLC SIKAR 1996
NEET IIT-JEE
CIS
CBSE SCHOOL
CHS
PRE-FOUNDATION
CLC NDA ACADEMY SIKAR
NDA ACADEMY
KRISHNA VIDHYA MANDIR SCHOOL KVM SIKAR
RBSE SCHOOL
CLC
SIKAR • JAIPUR • ALWAR • BIKANER
शिक्षा • संस्कार • सुरक्षा • सफलता
Sikar (H.O.) : कर्मस्थली, Pandit Harinath Chaturvedi Marg, Piprali Road, Sikar Ph.: 01572-255500, 258500
clcsikar.com
clcsikar
94140-36555

पाक्षिक
पाथेय कण

कार्तिक कृष्ण अमावस्या
व मार्गशीर्ष कृष्ण 1
वि. सं. 2081, यु. 5126
1 व 16 नवम्बर, 2024
(संयुक्तांक)
वर्ष : 40 अंक : 15

सम्पादक
रामस्वरूप अग्रवाल

सह सम्पादक
मनोज गर्ग

प्रबंध सम्पादक
ओमप्रकाश

सह प्रबंध सम्पादक
श्याम सिंह

सम्पादन सहयोग
संजय सुरोलिया

अक्षर संयोजन
कौशल रावत

पाथेय कण संस्थान के लिए
प्रकाशक एवं मुद्रक
माणकचन्द

प्रबंधकीय कार्यालय
'पाथेय भवन'
4, मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, अग्रसेन मार्ग, मालवीय नगर,
जयपुर-302017
(राजस्थान)

पाथेय कण प्राप्त नहीं होने पर संपर्क करें-
WhatsApp 79765 82011
Mobile No. 94136 45211
99297 22111

E-mail
patheykan@gmail.com
Website
www.patheykan.in

अनुक्रमणिका

08 स्त्री सशक्तीकरण : चाहिए भारत का अपना विमर्श - मोहन भागवत

16 स्त्री विमर्श : भोगवादी बनाम भारतीय दृष्टि
- डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष

साक्षात्कार
10 नारी है शक्तिरूपा
राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांतक्का जी से संपादक की बातचीत

44 क्रिश्चिएनिटी और वुमन
-डॉ. शुचि चौहान

26 विज्ञापनों से बनती नारी की गलत छवि - नीलू शेखावत

28 भोगवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं विज्ञापन -इंजी.आशा शर्मा

22 बेटी संग मां के सहज मित्रवत संबंध
-रीना शुक्ला

40 महिला सुरक्षा : कुछ जरूरी सावधानियां
-देवी बिजानी

12 स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में नारी उत्थान / प्रो.रेणुका राठौड़
20 परिवार में सतत संवाद, संस्कार और देखरेख की आवश्यकता / डॉ. लेखा अग्रवाल
30 बेटी का पत्र मां के नाम / शुभ्रा राजीव
32 सिनेमा के सामाजिक सरोकार / डॉ. ऋतु सारस्वत
36 महिला उत्पीड़न : विधिक प्रावधान एवं सरकारी प्रयास / डॉ. शालिनी चतुर्वेदी
42 सेवा बस्ती में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा: एक चुनौती / डॉ.सुनीता अग्रवाल
48 यौन अपराध मुकदमों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता / सीमा हिंगोनिया
50 माय बॉडी माय चॉइस / रामेश्वरी
54 इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर दो प्रसिद्ध मुकदमें / जगदीश 'क्रांतिवीर'
58 संविधान निर्माण में महिलाओं की सहभागिता / सूर्यप्रताप सिंह राजावत
60 सोशल मीडिया और लव जिहाद / गुलाब बत्रा

संकलित / पाथेय डेस्क
46 अब महिला फाइटर पायलट, **56** संघ ने कहा : महिला सुरक्षा से समझौता नहीं, **56** 'नारी गरिमा' पर संघ का प्रस्ताव, **58** कुश्ती में परचम लहराती बेटियां, **62** साहस की संघर्षमय गाथा, **64** महिला सशक्तीकरण के अभिनव प्रयास

कविता / लघुकथा
24 बेटी तुम चुप ना रहना / डॉ.मंजूलता भट्ट , **41** जाग नारी जाग/ शैला माहेश्वरी
24 नारी तुम नारायणी/ डॉ. नीलप्रभा नाहर, **64** सच्चा सत्कार / शिवराज भारतीय

दीपावली एवं देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

'नारी-गरिमा'

संघ की अ.भा.प्रतिनिधि सभा, 2008 द्वारा 'नारी-गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता' शीर्षक से पारित प्रस्ताव के प्रमुख बिन्दु

पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होल्कर

- भारत की परम्परा में नारी के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं है मान्यता।
- सदैव एवं सर्वत्र दिया गया है अत्यन्त श्रद्धा व सम्मान का स्थान।
- महिलाओं के प्रति न हो किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार।
- निर्णय प्रक्रिया में सदैव रहे उनकी भागीदारी।
- महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण तथा सशक्तीकरण किया जाए सुनिश्चित ।
- घरेलू हिंसा, सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर होने वाले दुर्व्यवहार - शोषण के विरुद्ध बने कानूनों का हो प्रभावी क्रियान्वयन।
- विज्ञापनों, समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यक्रमों में नारी गरिमा की दृष्टि से बने उपयुक्त आचार संहिता एवं कड़े कानून।
- समाज अनुभव करे कि उसका निर्माण परिवार संस्था से होता है और परिवार की धुरी होती है स्त्री।
- स्त्री को सुविज्ञ, सजग और सशक्त किए बिना नहीं की जा सकती विकसित समाज की कल्पना ।

तत्वज्ञान और व्यवहार में अंतर क्यों ?

हाल ही में एक लेख पढ़ने को मिला जिसमें प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश माना जा सकता है। 'राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो' (एनसीबी) के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 4 लाख 45 हजार 256 मामले पुलिस में दर्ज हुए, यानी हर घंटे औसतन 51 अपराध। यदि मां, बहिन, बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामलों की बात करें तो वर्ष 2022 में देश में 31 हजार से अधिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज हुई, यानी प्रतिदिन लगभग 85 दुष्कर्म, यानी प्रति 15-16 मिनट में एक दुष्कर्म का मामला। जानकार लोगों का मानना है कि अपराधों की वास्तविक संख्या इससे कई गुणा अधिक होगी, परंतु लोकलज्जा व कई अन्य कारणों से वे थानों में दर्ज नहीं हो पाते।

यह रिपोर्ट अपने ही देश भारत की है जिसके चिंतन-दर्शन के स्तर पर महिला संबंधी दृष्टिकोण यानी स्त्री विमर्श विश्व में श्रेष्ठतम माना जा सकता है। ईश्वर को 'अर्द्धनारीश्वर' के रूप में देखना और महिला को 'शक्तिस्वरूपा' इसी धरती पर माना गया। इसका संस्कार देने के लिए वर्ष में दो बार नवरात्रों में न केवल माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, वरन् कन्या-पूजन की परंपरा निभायी जाती है जिसमें कन्याओं को दुर्गा स्वरूपा मानकर उनके पैर धोते हुए चरण स्पर्श तक करते हैं। परंतु व्यवहार में आज के हालात पूर्णतया विपरीत हैं।

'मातृवत् परदारेषु' (अपनी पत्नी को छोड़कर शेष सभी स्त्रियों को माता समझना) और 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...' की बात कहने वाले समाज का और कितना पतन होगा! जब दुष्ट-क्रूर राक्षस महिषासुर को सब देवता मिलकर भी परास्त नहीं कर पाये, तो माता दुर्गा ने उसका वध किया। ऐसी परंपरा और दर्शन वाले समाज में 2-3 वर्ष की छोटी बेटियों तक से दरिंदगी करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन नराधमों ने किसी भी उम्र की महिला को नहीं छोड़ा।

दिसम्बर, 2012 में निर्भया के साथ सार्वजनिक बस में जिस क्रूर और वहशियाना तरीके से सामूहिक दुष्कर्म कर चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया था, उस समाचार से पूरा देश मानो गुस्से से उबल पड़ा था। जन आक्रोश से दबाव में आई सरकार ने तुरत-फुरत में एक समिति गठित की जो दुष्कर्म के अपराधों की शीघ्र जांच करने तथा न्यायालय में शीघ्र विचारण कर दण्डित करने का रास्ता बता सके। समिति को देशभर से 80 हजार से अधिक सुझाव मिले। जनता का दबाव इतना था कि कठोर दण्ड और शीघ्र न्याय के लिए कानून बनाने हेतु संसद की सामान्य प्रक्रिया का इंतजार किए बिना राष्ट्रपति के अध्यादेश से कानून (आपराधिक विधि 'संशोधन', अधिनियम, 2013) बनाया गया। परंतु हालात क्या सुधर पाए?

निर्भया के ही मामले को ले लें। भले ही पुलिस जांच और मुकदमा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुए एक ही वर्ष में अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी गई हो, उन्हें फांसी पर लटकाने में 6 1/2 वर्ष और लग गए यानी अपराध के 7 1/2 वर्ष पश्चात् दण्ड दिया गया। 'देरी से न्याय' भारतीय न्याय व्यवस्था की पहचान बन गया है। अपराधियों को दण्डित करने की दर भी मात्र 27-28 प्रतिशत ही है। वर्ष 1992 में अजमेर में हुए सामूहिक ब्लैकमेल और दुष्कर्म के कल्पनातीत वीभत्स मामले में अपराधियों को सजा देने में 32 वर्ष लग गए। अभी भी कई आरोपी कानूनी शिकंजे से बाहर हैं।

रामस्वरूप

एक बार फिर देश आक्रोशित है-कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर-बर्बर दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में। नौ अगस्त को हुए इस वीभत्स मामले ने महिला डॉक्टर्स जैसी उच्च शिक्षित महिलाओं की सुरक्षा पर भी प्रश्न लगा दिया है। राजनैतिक पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगी हैं।

कठोरतम सजा का प्रावधान किए जाने के बावजूद दुष्कर्म रुक नहीं रहे हैं। सैकड़ों मामलों में तो आरोपी 12 से 14 वर्ष की उम्र के हैं।*(राज.किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट)* अपराधियों में कानून का भय नहीं है। आज भी पुलिस, प्रशासन, न्यायालय और सरकार अपराधियों को शीघ्र दण्डित करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों? कहीं कमी रह रही है तो उसे कब दूर किया जाएगा ?

कारण कहीं और भी खोजना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ.भागवत का मानना है कि *''महिलाओं को देखने की पुरुष की दृष्टि बदलनी होगी। फिर से 'मातृवत् परदारेषु' के संस्कार पुरुष में जगाने होंगे। साथ ही प्रत्येक बहिन-बेटी को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण देना होगा।''* राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वी.शांताकुमारी ने भी महिला उत्पीड़न के लिए संस्कारों में कमी होना माना है। वे कहती हैं, *''परिवार, समाज और विद्यालय, तीनों स्तर पर संस्कार देने की व्यवस्था फिर से करनी होगी।''* उनका कहना है कि,*''नारी स्वयं शक्तिरूपिणी है। प्रत्येक नारी के अंदर आंतरिक शक्ति होती है। हमें उसे पहचान कर प्रोत्साहन देना होगा। ''*

आज समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मातृशक्ति ने कदम बढ़ाए हैं और निरंतर सफलता के सोपान चढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने की प्रक्रिया में हैं और आत्मविश्वास से युक्त हो रही हैं। आइए, इस सजग, सबल और जागृत होती मातृशक्ति का हर संभव सहयोग करें तथा तत्वज्ञान व व्यवहार के अंतर की समाप्ति का प्रयास करें। ■

स्त्री सशक्तीकरण : चाहिए भारत का अपना विमर्श

■ डॉ. मोहन राव भागवत

स्त्री सशक्तीकरण के संबंध में कई विचार सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भागवत जी द्वारा इस संबंध में दिए गए आख्यान के कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं -

भारत को परम वैभव संपन्न बनाना है, तो भारत की मातृशक्ति का जागरण, सशक्तीकरण और पुरुषों के बराबर समाज में उनका योगदान हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना पहली आवश्यकता है। मातृशक्ति को उनकी वास्तविक भूमिका में खड़ा करना है, तो अपने देश के सनातन मूल्यों के आधार पर ही करना पड़ेगा।

... परंपरा एवं अभ्यास बदलते रहे हैं। विभिन्न कालों में परस्पर विरोधी भी लगते हैं। सत्य और उससे उपजे मूल्य का विचार हम अगर परंपरा एवं अभ्यास के आधार पर करेंगे तो नहीं चलेगा। मूल्य क्या हैं, यह देखना पड़ेगा ? उन मूल्यों के आधार पर आज की काल सुसंगत व्यवस्था हमको खोजनी पड़ेगी। महाभारत के समय के पहले से आज तक जो कुछ हो रहा है, वह सब कुछ धर्म नहीं है, यह हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ...

...सामान्य बुद्धि से अगर ऐसा मानते हैं कि अपने देश में आक्रमण होने लगे, तब से हमारे समाज में यह क्षरण आया है, तो ऐसा नहीं है। क्षरण पहले शुरू हुआ, इसलिए हम आक्रमणकारियों के भक्ष्य बने। महाभारत के समय से ही इसकी थोड़ी-थोड़ी झलक मिलती है। ...

केवल भौतिक (मैटेरियल) दुनिया को मानेंगे तो फिर महिला और पुरुष को पूरक भी नहीं मान सकते। उन्हें स्पर्धक (कंपटीटर्स) ही मानना पड़ेगा। परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। अस्तित्व एक है। सृष्टि को आगे ले जाने के लिए प्रकृति और पुरुष दो हैं। तत्व एक है स्वरूप दो हैं।... आत्मा की प्रकृति के दो रूप होते हैं- महिला और पुरुष। इसका अर्थ है कि दोनों में भेद नहीं है। बिना भेद माने जो व्यवहार चल रहा है वह हमारे लिए सही है और जहां भेद भावना है, वहां वह व्यवहार सही नहीं है।

यह ध्यान में आता है कि एक व्यवस्था हमारी चल रही थी। मानव-सुलभ क्षरण के कारण उसमें विकृति आने लगी। उसका लाभ लेकर विदेशी हावी हो गए और हमारी व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो गईं। ...

व्यवस्था से भी अधिक यह बात मानसिकता की है। महिला यह काम करे और पुरुष यह काम करे, यह एक सुविधा का बँटवारा है। वह कोई शाश्वत बात नहीं है। यह नहीं है कि पुरुष का काम महिला नहीं कर सकती। मेरा तो अनुभव ऐसा है कि पुरुष के कई काम महिलाएँ ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकती हैं और महिलाओं के कई काम पुरुष उतना अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। परंतु यह बँटवारा एक सुविधा के तहत समय को देखकर किया गया। आज समय बदला है, तो उसको बदल भी सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सभी समस्याएं समान नहीं हैं। ऐसा भी अनुभव आया है। कि एक जगह की समस्या दूसरी जगह के लिए उपाय बन गई है। इतना विविध प्रकार का अपना समाज है। महिलाओं में भी पृष्ठभूमि के कारण, परिवेश के कारण समस्याओं की इतने प्रकार की विविधता है कि ब्लैंकेट सॉल्यूशन (एक सा समाधान) नहीं दे सकते। शहरों में रहने वाली शिक्षित परिवार की महिलाओं का एक प्रकार है। मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं का दूसरा प्रकार है। समस्याएँ अलग-अलग हैं और बहुत प्रकार की हैं। ग्रामीण महिलाएँ, झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाएँ, उच्च वर्ग की महिलाएँ, मध्यम वर्ग की महिलाएं, कम आयवर्ग की महिलाएँ, वनवासी और तथाकथित दलित महिलाएँ, अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों में रहती हैं। उस दृष्टि से इन सबका ध्यान रखकर अलग-अलग विचार करना पड़ेगा। कानून देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से न बने तो सबके लिए लाभकारक भी नहीं होगा। नई परिस्थिति में जीवन का तरीका भी बदला है। कुछ पुरानी बातें हम आग्रहपूर्वक रख सकते हैं, कुछ बातें नहीं रख सकते। प्रौद्योगिकी सुदृढ़ हुई है, उसके प्रभाव से जीवन बदला है, यह निश्चित बात है।... उस बदली हुई स्थिति में नई रचना क्या होगी?

वृंदावन प्रतिनिधि सभा (दिनांक 14-16 मार्च, 2008) का एक प्रस्ताव महिलाओं के विषय में भारतीय दृष्टि पर है। वह अपनी मूल दृष्टि आज की परिस्थिति में, काल सुसंगत शब्दों में व्यक्त दृष्टि है, ऐसा मानकर सबको देखकर आगे चलना है।...

समस्याएं जो ध्यान में आती हैं, वे हमारी विकृतियों के कारण हैं, हमारी संस्कृति के कारण नहीं। हमारे विरोधी उन समस्यों को हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। वास्तव में उल्टा है। **हिंदुत्व के कारण समस्या नहीं है, असल में हिंदुत्व को भूलने के**

कारण समस्याएं हैं। यह सामान्य सूत्र अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की सारी परिस्थितियों में आप लागू कर सकते हैं। क्रमशः हमको हिंदुत्व का विस्मरण होता चला गया। जिस क्रम में विस्मरण हुआ, उस क्रम में हमारा पतन हुआ।...

पुरुषों की महिलाओं की ओर देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। वह कौन सी दृष्टि चाहिए? अगर हम उस फ्रैग्मेंटेड मैटेरिलिस्टिक एप्रोच को आधार मानेंगे, तो या तो पुरुष महिला को भोग वस्तु के रूप में देखेगा या महिला पुरुष को अपना आधिपत्य प्रस्थापित करके अपने उपयोग की वस्तु मानेगी, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उत्तर एक ही है। यह जो अपनी सनातन एकात्म मानव दृष्टि है, उसके आधार पर देखते हैं, तो अंदर की पवित्रता ध्यान में आती है। फिर संयम, त्याग, कृतज्ञता- ये सारे मूल्य आते हैं। उसके आधार पर हम महिला को माता कह सकते हैं। दूसरा उपाय ही नहीं है।...

आज महिलाओं का स्थान समाज में ऐसा है कि बराबरी से योगदान कर रही हैं। वे स्वतंत्र हैं। स्वातंत्र्य और समता महिलाओं में भी है। परंतु यह सारा बंधुता के आधार पर है और जैसा डॉ. आंबेडकर साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता-यह फ्रांस की राज्यक्रांति वाली नहीं, यह धर्म से निकली हुई बंधुता है। बंधुभाव है, यही धर्म है। उसके आधार पर वह स्वतंत्रता है, जो अपनी मर्यादा को जानती है। संयम का पालन करती है। स्वतंत्र होने के बाद भी वह स्वच्छंद नहीं होती है और वह समता जो है, उसके रूप विभिन्न होंगे, स्थान विभिन्न होंगे, काम विभिन्न होंगे तो भी बराबरी का सम्मान देकर साथ में चलेंगे। ...

महिलाओं को आत्मसंरक्षण की कला सिखाने वाले उपक्रम भी बढ़ें। इसमें भी स्वयंसेवकों ने काम प्रारंभ किया है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज की छात्राओं को इसका प्रशिक्षण देना और फिर प्रशिक्षण की स्पर्धाएँ भी आयोजित करना, पिछले कई वर्ष से यह उपक्रम शुरू हुआ है।

कानून का डर अपराधियों में कम रहता है, क्योंकि **कानून एक हद तक चल सकता है। समाज की 'धाक' और 'संस्कारों के चलन' का परिणाम ज्यादा होता है।** कानून की यशस्विता समाज के मानस पर निर्भर करती है। कानून तो कड़े-से-कड़े बनने चाहिए और उनका अमल ठीक से होकर अपराधी को उचित सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ-साथ समाज भी इस पर नजर रखे। **लोगों में आँखों की शर्म हो। समाज का वातावरण ऐसा हो, जो अपराधों को बढ़ावा नहीं देता हो। यह हमारी जिम्मेदारी है। उस दृष्टि से यह संस्कार जागरण का पक्ष भी इन मामलों में उतना ही महत्त्व का है।**

('यशस्वी भारत' पुस्तक के अध्याय-'स्त्री सशक्तीकरण: चाहिए अपना विमर्श' से उद्धृत है)

नारी है शक्तिस्वरूपा पहचाने अपनी आंतरिक शक्ति

सेविका समिति की शाखा में कृतित्व व नेतृत्व शक्ति का होता है विकास

राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका माननीया वी. शांताकुमारी (उपाख्य शांतक्का) से पाथेय कण संपादक की बातचीत

वेंकटरमैया शांताकुमारी (उपाख्य शांतक्का) राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका (अखिल भारतीय प्रमुख) हैं। यह संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और कार्यप्रणाली के अनुरूप ही भारत की मातृशक्ति को संस्कारित, क्षमतावान व नेतृत्व सक्षम बनाकर संगठित करने का कार्य करती है। शांतक्का कई वर्षों तक भारतीय विद्या भवन, बेंगलुरू में अध्यापिका रहीं। 1995 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर अपना सम्पूर्ण समय समिति के कार्य विस्तार हेतु लगा रही हैं।

एक स्वतंत्रता-सेनानी परिवार में जन्मी शांतक्का ने एमएससी व एमएड तक शिक्षा प्राप्त की है। समिति की प्रचारिका रहते आपने महानगर, विभाग, प्रांत कार्यवाहिका का दायित्व निभाया। दक्षिणांचल कार्यवाहिका दायित्व के पश्चात् 1997 से 2003 तक अ. भा. सह कार्यवाहिका तथा 2012 तक प्रमुख कार्यवाहिका का दायित्व निभाया। 2012 से प्रमुख संचालिका का दायित्व निर्वहन कर रही हैं। समिति कार्य से आपका प्रवास अमेरिका, कनाडा, त्रिनिनाद, ग्याना आदि देशों में भी हुआ है।

- **मातृशक्ति के उत्पीड़न और दुराचार का प्रमुख कारण संस्कारों की कमी है। परिवार, समाज और विद्यालय, तीनों स्तर पर संस्कार देने की व्यवस्था फिर से करनी होगी।**
- **नारी स्वयं शक्तिस्वरूपिणी है। प्रत्येक नारी के अंदर आंतरिक शक्ति होती है। वह उसे पहचाने, इसके लिए हमें प्रोत्साहन देना है। नारी को स्वयं अपनी क्षमता बढ़ाते हुए सम्मान प्राप्त करना है।**
- **राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में सामान्य कार्यक्रम के माध्यम से उनमें कृतित्व और नेतृत्व की शक्ति निर्माण करने का प्रयास रहता है।**

■ भारत का चिंतन 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...' वाला रहा है फिर भी निर्भया से अभया (महिला डॉक्टर) तक, लगता है कि कुछ बदला नहीं है। दुष्कृति (रेप) की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों है?

शांतक्का जी : आपका कहना सही है। निर्भया प्रकरण के समय पूरे देश में आंदोलन हुआ था। बाद में कठोर कानून बनाए गए। परंतु ऐसी घटनाएं रुकी नहीं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उससे पूरा देश आक्रोशित है।

मुझे लगता है कि संस्कारों की कमी के कारण यह हो रहा है। परिवार तथा समाज में संस्कार ठीक प्रकार से नहीं मिल रहे हैं। प्रसार माध्यम (मीडिया) के कुछ कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी व्यक्ति के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समाज में सकारात्मक प्रबोधन का अभाव है।

■ ऐसी परिस्थिति से निकलने का उपाय क्या है?

शांतक्का जी : कमियों का ठीक प्रकार से अध्ययन करना होगा। अपने भारत में पहले कैसा था? पहले घर-परिवार में मां अपने बेटों को कहती थी कि किसी लड़की को मां-बहिन जैसे देखो, मां-बहिन जैसा सम्मान दो। लड़कों पर इस संस्कार का प्रभाव होता था। बचपन से ही बच्चों को क्या संस्कार देना है। इसके बारे में जागरूकता लानी होगी, इसके साथ ही विद्यालयों में तरूण-तरूणियों के सामने सकारात्मक विचार रखे जाने चाहिए। उनको श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध करावें तथा निरंतर संवाद बनाए रखें। बच्चों को महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग बताए जाने चाहिए।

आज मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। मोबाइल में अशोभनीय चित्र, संवाद, वीडियो उपलब्ध रहते हैं। इस पर कैसे नियंत्रण हो सकता है? -यह सोचना होगा। दृश्य माध्यम तथा सोशल मीडिया द्वारा निरंतर सकारात्मक प्रबोधन होना आवश्यक है। परिवार, विद्यालय और समाज इन तीनों स्तरों पर संस्कार देने की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही लड़कियों-गृहिणियों को आत्म-सुरक्षा

की तकनीक सिखाते हुए उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करना होगा।

■ **राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका क्या रहनी चाहिए?**

शांतक्का जी : मातृशक्ति को एक नागरिक के नाते सभी प्रकार के कर्त्तव्य निभाना आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण योग्य व्यक्तियों से ही होता है। मां संकल्प लेकर अच्छे व्यक्तित्व वाली संतान को जन्म दे। विवेकानन्द जी, पूज्य शिवाजी महाराज का जन्म ऐसी ही श्रेष्ठ संकल्पित माताओं से हुआ। भगवान मुझे राष्ट्रहित में कार्य करने वाली अच्छी संतान दें-ऐसा माताओं का संकल्प हो।

परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र होता है। तो इस पर पूरे परिवार को विचार करना है। संकल्प लेकर राष्ट्रभक्त बच्चों को जन्म देना और उनको संस्कारित करने में मातृशक्ति की भूमिका है। हर परिवार में जागृत देशभक्त नागरिकों का निर्माण होने से राष्ट्र का विकास सही दिशा में होता है।

दूसरी बात यह कि प्रत्येक नारी स्वयं अपनी क्षमता बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में समर्थ नेतृत्व दे- इसकी भी आवश्यकता है। मातृ शक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति (Creative mind) से देश-समाज को सही दिशा दे तो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकती है। नारी में ऐसी क्षमता है।

■ **राष्ट्र सेविका समिति महिला सशक्तीकरण के लिए क्या कार्य कर रही है?**

शांतक्का जी : माता अमृतानंदमयी को एक पत्रकार ने नारी सशक्तीकरण के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि इस शब्द को दिमाग से निकाल दें क्योंकि सशक्तीकरण शब्द के प्रयोग से नारी शक्तिहीन हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। नारी तो शक्ति स्वरूपिणी है। हम भी राष्ट्र सेविका समिति में ऐसा ही सोचते हैं। नारी शक्तिरूपिणी है। उसमें आंतरिक शक्ति रहती है। उस आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए उसे प्रोत्साहित करना- यही राष्ट्र सेविका समिति का कार्य है।

नियमित एक घंटे की शाखा के माध्यम से उनमें कर्त्तव्य व नेतृत्व गुणों का निर्माण होता है। वह अपने परिवार तथा समाज को सकारात्मक नेतृत्व दे सकती है। उसकी आंतरिक शक्ति को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने का यह कार्य चल रहा है।

राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीया लक्ष्मीबाई केलकर (मौसीजी) हमेशा कहती थीं कि प्रत्येक नारी के अंदर आंतरिक शक्ति है। वह उसे पहचाने-इसके लिए हमें प्रोत्साहन देना है। नारी जब अपनी आंतरिक शक्ति पहचान लेती है तो वह असामान्य कार्य कर सकती है। वंदनीया मौसीजी ने स्वयं यह करके दिखाया।

राष्ट्र सेविका समिति ने इस बात को मान्यता दी है कि नारियों को अपनी क्षमता बढ़ाते हुए सम्मान प्राप्त करना है। सम्मान के लिए मांग नहीं करनी है। अहिल्याबाई होल्कर इसका अच्छा उदाहरण हैं।

विधवा होने के बावजूद उनके श्वसुर ने उनकी क्षमता पहचान कर सिंहासन पर बैठाया, तो उन्होंने श्रेष्ठ कृतित्व प्रकट किया और कुशल नेतृत्व देकर राष्ट्रोत्थान के कार्य को आगे बढ़ाया। ■

■ **नई पीढ़ी की बहिनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?**

शांतक्का जी : नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सुशीला, सुधीरा और समर्थ बनकर आधुनिकतम तंत्र ज्ञान का उपयोग करते हुए समाज को सशक्त बनाने तथा नई दिशा देने का कार्य करें। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव लेकर वे तेजस्वी हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें।

राष्ट्र सेविका समिति

आत्मरक्षा प्रशिक्षण

देशभर में बालिका, तरुणी, युवा मातृशक्ति के लिए लग रही एक घंटे की शाखा में उनके तन और मन दोनों को मजबूत करने का कार्य चल रहा है। इन शाखाओं में खेलों के साथ ही दण्ड चलाने और नियुद्ध (जूडो-कराटे), यष्टि आदि का प्रशिक्षण तो दिया ही जा रहा है, उनके मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए गीत, कथाएं, महापुरुषों के जीवन चरित्र, सुभाषित, बौद्धिक वर्ग आदि के कार्यक्रम भी होते हैं। सेविकाओं के लिए निर्धारित गणवेश है। गणवेश पहनकर पथ-संचलन जब निकलता है तो पूरे क्षेत्र की माता-बहिन, बेटियों में साहस का संचार होता है। मातृशक्ति की आंतरिक शक्तियों को जगाकर उन्हें समाज का नेतृत्व करने व राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का प्रशिक्षण राष्ट्र सेविका समिति द्वारा दिया जा रहा है। - संपादक

स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में नारी-उत्थान

प्रो. रेणुका राठौड़

" स्त्रियों के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप का अधिकार उनको शिक्षा देने तक ही सीमित रहना चाहिए। उनमें ऐसी योग्यता लानी होगी, जिससे वे अपनी समस्याओं को स्वयं ही अपने ढंग से सुलझा सकें। अन्य कोई उनके लिए यह कार्य नहीं कर सकता, और करने का प्रयत्न भी उचित नहीं है। हमारी भारतीय स्त्रियां अपनी समस्याओं को हल करने में संसार के किसी भी भाग की स्त्रियों से पीछे नहीं हैं।"

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक अत्यन्त मार्मिक और भावपूर्ण कथन है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानन्द को पढ़ना चाहिए।

स्त्री स्वातंत्र्य के प्रति विचार

स्वामी विवेकानन्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी 'आर्षदृष्टि' के कारण वे प्रत्येक विषय को अखण्ड रूप से देखते और अभिव्यक्त करते हैं, उसे सीमित और कालखण्डित रूप में नहीं देखते। वे नारी-स्वातन्त्र्य के किस हद तक हिमायती थे, इसका पता उनके इस कथन से लग जाता है, वे कहते हैं-

" स्त्रियों के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप का अधिकार उनको शिक्षा देने तक ही सीमित रहना चाहिए। उनमें ऐसी योग्यता लानी होगी, जिससे वे अपनी समस्याओं को स्वयं ही अपने ढंग से सुलझा सकें। अन्य कोई उनके लिए यह कार्य नहीं कर सकता, और करने का प्रयत्न भी उचित नहीं है। हमारी भारतीय स्त्रियां अपनी समस्याओं को हल करने में संसार के किसी भी भाग की स्त्रियों से पीछे नहीं हैं।"

स्त्री का आदर्श रूप

स्वामी जी स्त्री जाति का विश्लेषण करते हुए अत्यन्त आदरभाव से, प्राचीन आदर्शों को स्मरण करते हुए माता सीता के बारे में कहते हैं-

"उन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादु:ख का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्य-लोक की आदर्श, पुण्य-चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेंगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि - मज्जा में हो चुका है ; प्रत्येक हिन्दू नर-नारी के रक्त में सीता विराजमान हैं; हम सभी सीता की सन्तान हैं।"

भारत की आध्यात्मिक विरासत और महान पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने उद्घोष किया था -

"भारत! तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयन्ती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य हैं सर्वत्यागी उमानाथ शंकर । मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन, इन्द्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गये हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है।"

पाश्चात्य महिला की प्रशंसा

अपने महान अतीत की इस पृष्ठभूमि के उपरान्त भी स्वामी जी अत्यन्त खुले मन से पाश्चात्य जगत् की प्रशंसा करते हुए वहां की संस्कृति के सद्गुणों को अपनाने की बात भी कहते हैं। अपने अन्तिम वर्षों में अमेरिका और इंग्लैण्ड में प्रवास के दौरान वे वहां की शिक्षित, साहसी, स्वाधीन और करुणाशील महिलाओं को देखकर दंग थे। आश्चर्य मिश्रित प्रशंसाभाव से उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को पत्र में लिखा-

"मैंने जैसी शिष्ट और सुशिक्षित महिलाएं यहां देखीं, वैसी कभी कहीं नहीं देखीं। हमारे देश में शिक्षित पुरुष हैं, परन्तु अमेरिका जैसी महिलाएं मुश्किल से कहीं और दिखाई देंगी।... मैंने यहां हजारों महिलाएं देखीं, जिनके हृदय हिमालय के समान पवित्र और निर्मल हैं। अहा! वे कैसी स्वतन्त्र होती हैं! सामाजिक और नागरिक कार्यों का नियन्त्रण करती हैं। पाठशालाएं और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं।"

इससे आगे लिखते हुए वे हमारी तत्कालीन समय में स्थिति का आकलन करते हुए कहते हैं-

"यहां लोग स्त्रियों को इसी शक्ति रूप में देखते हैं और इसीलिए ये इतने सुखी, विद्वान, स्वतन्त्र और उद्योगी हैं, और हम

नगर परिषद् जैसलमेर

(श्री छोटूसिंह भाटी)
विधायक, जैसलमेर

स्वच्छ भारत मिशन के तहत
आओ हम सब कदम बढ़ाएं
मिलकर स्वर्णनगरी जैसलमेर को स्वच्छ बनाएं,
जैसलमेर की शान बढ़ाएं

(हरिवल्लभ कल्ला)
सभापति,नगर परिषद, जैसलमेर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

-:: समस्त नागरिकों से अपील ::-

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

- अपने घर/भवन/दुकान कार्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करें, कचरा पात्र रखें एवं कचरा निर्धारित कचरा डिपो पर डालें।
- सड़क, नाली, गलियों, खाली भूमि, उद्यानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा मलबा भवन निर्माण सामग्री ना डालें।
- बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन/विद्यालयों/अस्पतालों/सड़कों/गलियों/पार्कों/ बाजारों/सार्वजनिक ऐतिहासिक धरोहर आदि को साफ रखने में सहयोग दें।
- सार्वजनिक स्थानों से कचरा-मलबा व पुराने अनुपयोगी वाहन हटायें।
- सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय साफ रखें।
- घर में शौचालय का निर्माण करावें, खुले में शौच न जावें ।
- किसी भी सम्पत्ति, भवन, स्मारक, मूर्ति, पाईप लाईन, दीवार, सड़क, पेड़, खम्भों आदि
- वॉल पेंटिंग व पोस्टर न चिपकाएं न ही बैनर लगाकर विरूपित करें।
- सार्वजनिक स्थानों/सड़कों आदि पर पशुओं को न छोड़े एवं उनको चारा भी न डालें, चारा
- गौशालाओं में ही डलवाएं। पॉलिथीन की थैलियों का उपयोग न करें। पॉलिथीन की थैलियां हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
- पशुओं के पॉलिथीन खाने से उनकी मृत्यु होती है। जूट व कपड़े के थैले अपनाये।
- हर नागरिक सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनें।

समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।

हम है स्वच्छता के सजग प्रहरी
स्वच्छ स्वर्ण स्वर्णनगरी जैसलमेर
सुन्दर जैसलमेर

(हरिवल्लभ कल्ला)
सभापति
नगर परिषद, जैसलमेर

समस्त पार्षदगण, अधिकारी
एवं कर्मचारीगण नगर परिषद, जैसलमेर

(लजपाल सिंह)
आयुक्त
नगर परिषद, जैसलमेर

लोग स्त्री-जाति को नीच, अधम, महा हेय और अपवित्र कहते हैं। इसका फल हुआ-हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन और दरिद्र हो गए।''

चरित्र आवश्यक

एक ओर जहां स्वामी जी दोनों ही संस्कृतियों के उदात्त गुणों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं किन्तु बहुत बेबाकी से उसकी समालोचना भी करते हैं क्योंकि पश्चिम की बौद्धिकता के वे प्रशंसक तो हैं किन्तु अध्यात्म की तुलना में वह बौद्धिकता भी बौनी ही है। भारत के लिए यह सस्ता सौदा उन्हें मंजूर नहीं है। वे न्यूयॉर्क में अपने एक वक्तव्य में कहते हैं -''मैं बहुत चाहता हूं कि हमारी स्त्रियों में तुम्हारी बौद्धिकता होती, परन्तु यदि वह चारित्रिक पवित्रता का मूल्य देकर ही आ सकती हो तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तुमको जो कुछ आता है, उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बुरा है, उसे गुलाबों से ढँककर उसे अच्छा कहने का जो यत्न तुम करती हो उससे मैं नफरत करता हूँ। बौद्धिकता ही परम श्रेय नहीं है। नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी स्त्रियां इतनी विद्वान् नहीं, परन्तु वे अधिक पवित्र हैं।'' चरित्र के सामने बुद्धि को बौना घोषित करना एक भारतीय महापुरुष के द्वारा ही संभव है।

किन्तु आज घोर संकट इस बात का है कि भारत जिस चरित्र, सत्य, सदाचरण और शील के लिए गर्व का अनुभव करता था उसमें सेंध लग गई है। जिस देश में बेटियां और माताएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगें, एक के बाद एक हादसों का शिकार होती जाएं, जहां महिला- सुरक्षा एक चिन्ता का विषय बन जाए-उससे अधिक भयावह स्थिति नहीं हो सकती। किन्तु यह भी सत्य है कि ऐसी स्थितियां काल का एक सामयिक प्रवाह मात्र हैं।

करणीय

भारत अपने आदर्शों से कभी लम्बे समय के लिए च्युत नहीं हो सकता। हमें दोगुने उत्साह,पराक्रम और निष्ठा के साथ महिला उत्थान ही नहीं भारत जन के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। यही एकमात्र करणीय कार्य शेष है। स्वामी जी का मानना था कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श जिन ठोस सिद्धान्तों की नींव पर खड़े हैं और शताब्दियों से हमने जिन्हें पुष्पित-पल्लवित किया है, उनका त्याग कदापि उचित नहीं है। उनका यह स्पष्ट आदेश था कि-

''यह सच है कि हम लोग इस समय इन भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणत नहीं कर सकते; यह भी सम्पूर्ण सत्य है कि हम लोगों ने इन सब महान् भावों में से कुछ को हास्यास्पद बना दिया है...। किन्तु व्यावहारिक रूप में दोषों के आ जाने पर भी वह मूल तत्त्व बड़े ही महत्त्व का है और यदि उसका कार्यान्वित होना सदोष है, यदि इसके लिए कोई खास तरीका असफल हुआ है तो उस मूल तत्त्व को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह काम में आ सके। मूल तत्त्व को नष्ट करने की चेष्टा क्यों?... वह सनातन है, वह सदा ही रहेगा। ऐसा पुनः प्रयत्न करो जिससे वह तत्त्व ठीक-ठीक भाव से काम में लाया जा सके।''

इस वक्तव्य में स्वामी जी ने कितनी दृढ़ता और स्पष्टता से वर्तमान की समीक्षा कर सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए निर्देश दिए हैं। इससे अधिक सरल और साफ आदेश और क्या हो सकता है? स्वामी विवेकानन्द अपने आदर्शों और सन्देशों के स्वयं जीवन्त स्वरूप थे। वे पूर्ण वैराग्यभावधारी संन्यासी थे।

भगिनी निवेदिता

उनकी एक परम शिष्या थीं सुश्री मार्गरेट नोबल, जिन्हें स्वामी जी ने ही एक सुन्दर भारतीय नाम दिया था- भगिनी निवेदिता। मेरी हेल, ओली बुल, एमिली जॉन लॉयन, श्रीमती चार्लोटी सोवियर, जोसेफाइन मैलिअड, हेनरिटा मूलर, मैडम एम्मा काफ़ आदि न जाने कितनी पाश्चात्य महिलाएं थीं जिन्हें स्वामी जी ने भरपूर स्नेह और सम्मान

दिया तथा जिन्होंने स्वामी जी को उनके लोक सेवा कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग दिया। ऐसा संन्यासी ही भारत का आदर्श हो सकता है जिसके चारित्रिक एवं आत्मिक बल में लेशमात्र भी स्खलन न हो। भगिनी निवेदिता कहती हैं -*''उनको स्त्रियों से डर नहीं लगता था। उनकी अनेक शिष्याएं थीं, सहकर्मी महिलाएं थीं और मित्र भी थीं। वे इन लोगों के श्रेष्ठ गुण और चरित्र देखते थे । पवित्रता का जो आदर्श उनके सामने प्रकट होता था, वे उसकी उपासना करते थे।''*

स्वामी विवेकानन्द प्रत्येक भारतीय का सर्वोच्च आदर्श हैं। बात चाहे महिला उत्थान की हो या महिला सुरक्षा की, स्वामी जी के बतलाए मार्ग पर चलकर और उनके कथनों का अनुसरण कर हम नये भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए स्वामी जी का यह सन्देश कितना सटीक है -

''इस देश की नारियों से भी मैं वही बात करूंगा जो पुरुषों से कहता हूं। भारत में विश्वास करो और भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिशाली बनो, आशावान बनो और संकोच छोड़ो; और याद रखो कि यदि हमें बाहर से, कोई दूसरे देशों से कुछ लेना है तो संसार की किसी अन्य जाति की तुलना में हमारे पास दुनिया को देने के लिए सहस्र गुना अधिक है।''

-लेखिका वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्यरत हैं

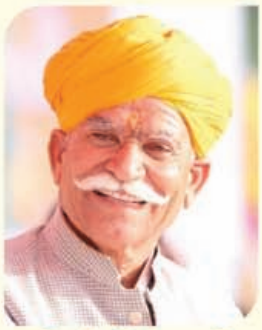

श्री छोटूसिंह भाटी
विधायक, जैसलमेर

महंत श्री प्रतापपुरी
विधायक, पोकरण

श्री प्रताप सिंह सोलंकी
जिला प्रमुख जैसलमेर

कार्यालय जिला परिषद् जैसलमेर

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

- व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवाने पर 12000 रुपये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
- सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु राशि 3.00 लाख रुपए का प्रावधान।
- गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु SLWM की DPR बनाने का प्रावधान।
- गांवों में कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण केन्द्रों (RRC) का प्रावधान।
- घर-घर कचरा संग्रहण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक कचरा पात्रों की व्यवस्था का प्रावधान।
- घर-घर कचरा संग्रहण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर कचरा परिवहन वाहनों की व्यवस्था का प्रावधान।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण करवाने पर योजना मद से 1,20,000/- महात्मा गांधी नरेगा योजना से 18,000/- एवं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण से 12,000/- कुल 1,50,000/-का प्रावधान।
- वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक जिले में कुल 42,790 आवास का निर्माण करवाया गया।
- वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण हेतु 3,568 का लक्ष्य प्राप्त।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना

- ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का गारण्टीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है।
- ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसम्पतियों का निर्माण करना, जिससे आजीविका में वृद्धि हो।
- गांवों के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना।
- महिलाओं का सशक्तीकरण।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना।
- सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करना।

स्त्री विमर्श : भोगवादी बनाम भारतीय दृष्टि

डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष

मानवी सभ्यता के इतिहास में स्त्री के प्रति दो प्रकार की दृष्टियाँ रही हैं। एक दृष्टि में वह पुरुष की भोग्या और दासी है। पुरुष का उस पर पूर्ण अधिकार है अत: वह पुरुष की अनुगामिनी है। दूसरी दृष्टि में वह पुरुष की सहचरी है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर दम्पती रूप इकाई बनते हैं। अत: वह पुरुष की अर्धांगिनी और सहगामिनी है।

साहित्य में स्त्री विमर्श ऐसा ही एक आंदोलन है जिसने स्त्री अस्मिता और स्त्री के अधिकारों को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन का नारा बुलन्द किया।

फेमिनिज्म

आरम्भ में यह आंदोलन, पश्चिम में 'फेमिनिज्म' के नाम से चर्चित हुआ। इसका प्रमुख वैचारिक प्रस्थान सिमोन दॅ बोउआर की पुस्तक 'द सेकेंड सेक्स' को माना जा सकता है, जो 1949 में प्रकाशित हुई और स्त्री मुक्ति आंदोलन का आधार ग्रंथ बनी। हिंदी में इसका अनुवाद प्रभा खेतान ने किया जो 1992 में 'स्त्री: उपेक्षिता' नाम से छपकर खूब चर्चित हुआ। स्त्रीविमर्श की एक अतिप्रसिद्ध उक्ति, 'स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है' इसी पुस्तक से है। इसका आशय है कि जन्म से तो स्त्री पुरुष समान हैं किंतु पुरुषप्रधान समाज उसकी स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाकर उसे स्त्री अर्थात् पुरुष से भिन्न/अन्य बना देता है।

स्त्री की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता इस आंदोलन का ध्येय है। यह माना गया कि पितृ सत्तावादी सामाजिक संरचना के कारण सदियों से पुरुषों द्वारा स्त्री का शोषण और दमन होता रहा है। समाज में नैतिकता और मर्यादा का पाठ स्त्री को गुलाम बनाए रखने की पितृ सत्तावादी रणनीति है। अत: पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्थाओं का विरोध करना और उनको ध्वस्त करना इसका घोषित मंतव्य है।

बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुष सीप अथवा धान्य के दो दलों की भाँति एक ही इकाई के दो भाग हैं। 'तस्मादिदमर्ध बृगलमिव स्वः। इति हस्माह याज्ञवल्क्य।' (बृ.उ.1/4/3) यही विचार आगे अर्धनारीश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है।

देह की स्वतंत्रता

स्त्रीवादियों का मानना है कि स्त्री की सारी स्वतंत्रताओं का मूल देह की स्वतंत्रता है। पुरुष सर्वप्रथम स्त्री की देह पर अधिकार जमाता है, क्योंकि वह उसे अपनी भोग्या सम्पत्ति समझता है। इसका प्रतिकार करने के लिए उन्होंने "My body my choice" का नारा दिया।

इस विचार ने स्त्री-पुरुष संबंधों की सामाजिक मर्यादा और यौन नैतिकता पर तीखे प्रश्न खड़े किए। साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं ने पुरुष वर्चस्व की मनोवृत्ति को ध्वस्त करते हुए इस हेतु कथा, उपन्यास, कविता, आत्मकथा आदि विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन तो किया ही, वैचारिक आलेख और पुस्तकें लिखकर भी स्त्री विमर्श की अवधारणा को सुदृढ़ किया। यह है साहित्य में स्त्री विमर्श का एक संक्षिप्त इतिवृत्त।

निश्चय ही यह यात्रा मानवीय सभ्यता को समुन्नत करने वाली सिद्ध हुई। संसार की आधी आबादी ने अपना खोया हुआ गौरव पुन: हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया। एक स्त्री के लिए साहस, शक्ति और अपना स्वाधीन संसार उपलब्ध करने में ऐसे साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई है। पारंपरिक स्त्री को आधुनिक स्त्री का ताज पहनाया है। किंतु नया पाने के आवेश और उत्साह में जो कुछ नष्ट हो रहा है वह इतना भयावह है कि सोचकर घबराहट होती हैं।

वर्जना निषेध के घातक परिणाम

वर्जनाओं का निषेध करते-करते इसके विमर्शकार साहित्य में यौन कुंठाओं की सारी सीमाओं को पार कर गए। **स्त्री मुक्ति के नाम पर रचा गया साहित्य निम्नस्तरीय यौन विकृतियों और पशुतुल्य यौन व्यवहारों से भर गया। ऐसी धारणा भी निर्मित की गई कि विवाह, परिवार, कुटुम्ब, जाति आदि संस्थाएं पितृसत्ता केन्द्रित हैं** तथा स्त्रियों के स्वतंत्र विकास में बाधा डालती है। मार्क्सवाद तो पहले से ही परिवार को पूंजीवादी संस्था कह रहा था। रही-सही कसर बाजारी धनपशुओं ने कर दी। स्त्री की देह उसके लिए सोने की फसल उगाने का खेत बन गया। स्त्रीत्व के चरणों के नीचे मातृत्व कुचला गया। स्त्री प्रश्नों को लेकर आज समाज जिस असमंजस की स्थिति को महसूस कर रहा है उसको समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि का अवलोकन करना आवश्यक है।

मानवी सभ्यता के इतिहास में स्त्री के प्रति दो प्रकार की दृष्टियाँ रही हैं। एक दृष्टि में वह पुरुष की भोग्या और दासी है। पुरुष का उस पर पूर्ण अधिकार है अत: वह पुरुष की अनुगामिनी है। दूसरी दृष्टि में वह पुरुष की सहचरी है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर दम्पती रूप इकाई बनते हैं। अत:

वह पुरुष की अर्धांगिनी और सहगामिनी है। संसार के दो प्रमुख मजहब, ईसाइयत और इस्लाम में स्त्री का निर्माण पुरुष के भोग के लिए हुआ है।

ईसाइयत में नारी

ईसाइयत के अनुसार स्त्री को पुरुष के शरीर की बाईं पसली से उसके आनंद के लिए बनाया गया। धरती पर पहला पुरुष एडम और पहली स्त्री ईव थी। ईव ने ही एडम को वर्जित फल खाने के लिए प्रेरित किया। यही पहला पाप था, जिसका मूल कारण स्त्री ही बनी। ईसाइयत के अनुसार गॉड पुरुष रूप में ही होता है। न्यू टेस्टामेंट में पॉल कहते हैं कि ***''मैं किसी स्त्री को यह अनुमति नहीं दे रहा हूँ कि वह किसी पुरुष को सिखाने का साहस करें या यह बताए कि उसे क्या करना चाहिए। स्त्री को चुप रहना चाहिए। क्योंकि गॉड ने पहले एडम को बनाया बाद में ईव को।''***

इस्लाम में नारी

इस्लामिक मान्यता में भी स्त्री को पुरुष से हीन दर्जा प्राप्त है। कुरान के दूसरे अध्याय 'सूरा अल बकरा' की आयत संख्या 228 के अनुसार 'मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है' अर्थात् पुरुष का स्तर स्त्री से ऊपर है। इसी अध्याय की **आयत संख्या 223 में कहा गया है कि 'तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे लिए खेत के समान हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह से चाहे, आओ और अपने लिए आगे बढ़ाओ ?...'**

आगे आयत संख्या 282 में उल्लेख है कि दो औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर होगी। अर्थात् स्त्री की हैसियत और अधिकार पुरुष से आधे हैं। यही नहीं **यदि कोई स्त्री पुरुष का आदेश न मानती हो अथवा उसके विद्रोह करने की आशंका हो, तो उसकी पिटाई करने का भी आदेश कुरान देती है।** चौथे अध्याय 'सूरा अन-निसा' की आयत संख्या 34 का स्पष्ट निर्देश है कि, *'पुरुष स्त्रियों से सरधरे (संरक्षक) हैं इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बड़ाई दी है, और इसलिए भी कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। और जो स्त्रियां ऐसी हो जिनकी सरकशी (अवज्ञा) का*

तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ, बिस्तरों में उन्हें तन्हा छोड़ दो और उन्हें मारो।'

ऐसे सभी उदाहरण छोड़ दिए जाएं तो भी, हलाला जैसी पाशविक और अत्यंत घृणित प्रथा स्त्री की वास्तविक स्थिति को प्रकट करती है। वस्तुत: सेमेटिक मजहबों का मूल चिंतन है- "Women was created for the man, from the man, after the man." वस्तुत: यह 'पुरुष के लिए, पुरुष के बाद, पुरुष की देह से' स्त्री के निर्मित होने की अवधारणा ही इन मजहबों में स्त्री की हैसियत का निर्धारण करती है।

भारतीय दृष्टि

भारतीय दृष्टि में स्त्री का स्थान पुरुष के समकक्ष है। She is part of entity. वह भी पुरुष के समान सृष्टि का अंश है। मनुस्मृति के एक प्रसिद्ध श्लोक, जो किंचित् शब्दान्तर के साथ अग्निपुराण, ब्रह्मपुराण आदि में भी मिलता है, के अनुसार विराट पुरुष ने स्वयं को दो भागों में विभाजित कर अर्धभाग से पुरुष और अर्धभाग से नारी की रचना की।

'द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्। अर्धेन नारी तस्यां च विराजमसृजत्प्रभु।।' (मनुस्मृति-1/32)

वेदों में स्त्री को पुरुष के समतुल्य सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में पुरुष को सम्राट् , राजा, और मनीषी कहा है तो स्त्री को भी साम्राज्ञी, राज्ञी और मनीषा कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुष सीप अथवा धान्य के दो दलों की भाँति एक ही इकाई के दो भाग हैं। 'तस्मादिदमर्धबृगलमिव स्व:। इति हस्माह याज्ञवल्क्य।'(बृ.उ.1/4/3) यही विचार आगे अर्धनारीश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते... वाली उद्घोषणा तो सर्वविदित ही है।

परस्पर विपरीत मत

यहाँ स्त्री संबंधी हिंदू मान्यता को लेकर होने वाले एक विभ्रम का निराकरण करना समीचीन होगा। प्राचीन वाङ्मय में स्त्री की प्रशंसा और निंदा दोनों ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। एक ओर ये कथन हैं, जिनमें स्त्री के प्रति सम्मान का भाव है, उसकी अस्मिता और स्वायत्तता स्वीकार्य है तथा उसे पूज्या माना गया है। दूसरे प्रकार के वे कथन हैं जहाँ स्त्री को पुरुष की दासी माना है। पुरुष की तुलना में उसकी हैसियत तुच्छ और अधम बताते हुए उसको अधिकार वंचित किया गया है। विडम्बना तब अधिक होती है जब एक ही ग्रन्थ में परस्पर विपरीत मन्तव्य मिलते हैं।

भारतीय परंपरा से द्वेष रखने वाले विदेशी औपनिवेशिक दासबुद्धि से ग्रस्त लोग, मनु को पितृसत्तावादी कहते हुए केवल एक ही प्रकार के कथनों को प्रस्तुत करते हैं। वे उन कथनों से सदैव मुँह चुराते हैं, जहाँ स्त्री का गौरव पुरुष से भी बढ़कर बताया जाता है। जहाँ उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। इधर भारतीय परम्परा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले, स्वदेशी लोग हैं, जो उन कथनों की ओर कभी नहीं देखते जहाँ स्त्री को अधम बताकर उसका तिरस्कार किया गया है। उसे पुरुष के आश्रित मान कर, उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है।

अंतर्विरोध का समाधान

इस अंतर्विरोध का समाधान हमारे इतिहास-क्रम में छुपा है। अतिप्राचीन काल से चले आ रहे इस राष्ट्र में युग परिवर्तन के साथ विचार एवं व्यवहार में भी परिवर्तन हुए हैं तथा वे समय-समय पर स्मृतियों और धर्मग्रंथों में दर्ज होते रहे। लेकिन जिन संस्करणों में नवीन व्यवहार जोड़े गए, उनमें पूर्ववर्ती विचार भी यथावत् रहे। अत: हमें इनमें परस्पर विरुद्ध कथन मिल जाते हैं।

यह सत्य है कि स्त्रियों की स्थिति वैदिक एवं महाभारत काल में अत्यंत श्रेष्ठ थी। बौद्ध काल के उपरांत समाज में पतन प्रारंभ होता गया जो भारत में इस्लामी शासकों के आने के बाद अत्यंत शोचनीय दशा में आ गया। स्त्रियों की परतंत्रता और उन पर पुरुषों का नियंत्रण भी इसी क्रम में बढ़ते गए। यह परिवर्तन इस्लामी अत्याचारों के निवारणार्थ तो हुआ ही था, कुछ प्रभाव भारत में आने वाले विदेशियों की मजहबी धारणाओं की देखादेखी भी हुआ, जो भारत में अपने पैर पसार चुके थे।

एक और तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बुद्धोत्तर भारत में योगमार्गी और वैराग्य के पथ पर चलने वाले साधकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। कंचन और कामिनी, साधना पथ के सबसे बड़े अवरोधक होने के कारण उनकी बढ़-चढ़ कर निंदा की जाने लगी। कइयों ने इन्हें पापपूर्ण और नरक का मार्ग घोषित कर दिया। इस वातावरण की भी छाया तत्कालीन धर्मग्रंथों पर पड़ी और वैदिक काल की वन्दिता इस काल में निन्दिता हो गई।

वराहमिहिर का स्त्री विमर्श

यहाँ हमें छठी शताब्दी के एक महान् विचारक को अवश्य याद कर लेना चाहिए जो स्त्री प्रश्नों पर वैसी ही संवेदनशीलता से विचार कर रहा था, जैसी हमें आज दिखाई पड़ती है। विडम्बना यह है कि आज के स्त्री विमर्शकारों में कोई उस मनीषी की चर्चा तक नहीं करता। वह मनीषी है खगोलविज्ञानी, गणितज्ञ और नीतिकार वराहमिहिर, जो **आज से डेढ़ हजार वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ बृहत्संहिता में स्त्री की अस्मिता और गरिमा की बात कर हमें चकित कर देता है।**

वराहमिहिर पूछता है, 'जरा बताइए स्त्रियों में ऐसा कौन सा दोष है जिसको पुरुषों ने पहले नहीं किया।'

इस तीखे प्रश्न के साथ वे यहाँ तक कह देते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों से अधिक गुण होते हैं पर पुरुष अपनी दुष्टता के कारण उनको निरस्त कर देता है।

वराहमिहिर स्त्री निंदकों को दुर्जन मानते हुए, स्त्री निंदा के उस गूढ़ कारण की ओर भी संकेत करते हैं जिसकी पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। वे कहते हैं-

'येप्यंगनानां प्रवदन्ति दोषान् वैराग्यमार्गेण गुणं विहाय। ते दुर्जना:मे मानसो वितर्क सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम्।।'

अर्थात् जो कोई वैराग्यमार्ग के द्वारा स्त्रियों के गुणों को छोड़कर दोषों का वर्णन करते हैं, वे दुर्जन हैं, ऐसा मेरा अभिमत है। उन दुर्जनों के वचन प्रामाणिक नहीं हो सकते। इसी अध्याय में वे आगे जो लिखते हैं उसका अर्थ इस प्रकार से है-

चंद्रमा ने पवित्रता, गंधर्वों ने शिक्षित वचन और अग्नि ने सर्वभक्षिता स्त्रियों को दिया है। इन्हीं दुर्लभ गुणों के कारण स्त्रियाँ सुवर्ण के समान हैं।। 7।।

ब्राह्मण पैरों से, गाय पृष्ठ से, अजा और घोड़ा मुख से पवित्र होता है किंतु स्त्री सर्वत्र सभी अंगों से पवित्र होती है।। 8।।

स्त्रियों के समान कोई अन्य पवित्र वस्तु नहीं है। वह कभी भी दोषयुक्त नहीं होती हैं। प्रतिमास रजस्राव होने से वे पवित्र हो जाती हैं।। 9।।

असम्मानित होने के कारण स्त्रियाँ जिन घरों को श्राप दे देती हैं, तो कृत्या से नष्ट हुए घरों की भाँति वे भी नष्ट हो जाते हैं।। 10।।

स्त्री ही पुरुष को जन्म देने वाली होती है। चाहे वह माता हो अथवा जाया?। माता से साक्षात् और पत्नी से पुत्र रूप में। अत: हे कृतघ्न मनुष्य! उनकी निंदा करने से तुम्हारा मंगल कैसे हो सकता है?।। 11।।

पवित्र स्त्रियों की निंदा करते हुए दुष्ट लोग ऐसी ही धूर्तता करते हैं जैसे चोरी करता हुआ चोर भी 'अरे, चोर ठहर!' कहते हुए बचने की युक्ति लगाता है।। 15।।

इसी तरह दुष्ट पुरुष अपनी दुष्टता पर पर्दा डालने के लिए अच्छी-भली स्त्री को भी दुष्ट ठहरा देते हैं।

-लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं 'साहित्य परिक्रमा' के संपादक हैं

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जनहित के कामों को मिली रफ़्तार
विकास को समर्पित भजनलाल सरकार

किसानों को लगभग 76,571 कृषि कनेक्शन जारी, बिजली के बिलों में लगभग 17,516 करोड़ रुपये का अनुदान, चीनी व गुड़ पर मण्डी शुल्क समाप्त।

पशुपालकों को 518 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों के माध्यम से उनके द्वार पर त्वरित चिकित्सकीय सेवाएं।

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई।

सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा के लिए लगभग 13,000 सीसीटीवी कैमरे लगाये गए।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी जाँच की सुविधा।

14,700 से अधिक वरिष्ठजनों को अयोध्या एवं विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई।

राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए लगभग 1282 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी।

21 हजार से अधिक विमुक्त, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू परिवारों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे, जोधपुर में पाक विस्थापितों के लिए 246 भूखण्ड आवंटित।

राजस्थान संवाद

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

परिवार में सतत संवाद, संस्कार और देखरेख की आवश्यकता

डॉ. लेखा अग्रवाल

प्रस्तुत लेख में बालक-बालिकाओं के समाजीकरण में परिवार की भूमिका को रेखांकित करते हुए परिवारजनों के मध्य सतत संवाद की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। माताओं पर अपने पुत्रों को बहिन, बेटी और अन्य लड़कियों से उचित व्यवहार करने के लिए संस्कारित करने की भी जिम्मेदारी है।

भारतीय समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्कृति को सीखने, हस्तांतरित करने और बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऐसे लोगों का समूह है जिसका निर्माण वैवाहिक और रक्त संबंधों के आधार पर होता है, जिसमें सदस्यों के बीच परस्पर आत्मीयता, प्रेमपूर्ण संबंध और निकटता पायी जाती है।

समाजीकरण में परिवार की भूमिका

परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि जन्म के पश्चात् बालक परिवार के सभी बड़े सदस्यों जैसे माता-पिता, दादा-दादी, भाई बहिन एवं अन्य संबंधियों के सम्पर्क में आता है। इन सभी सदस्यों का बच्चों के पालन पोषण और समाजीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। किंतु बच्चों को पालने और उनको संस्कारित करने में माता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट होती है। जन्म के पश्चात् बालक माता के सम्पर्क में रहकर भाषा, शिष्टाचार, रीति-रिवाज, अन्य व्यक्तियों से व्यवहार के तरीकों व संस्कारों को सीखता और ग्रहण करता है। उसके व्यक्तित्व के निर्माण में माता का विशेष योगदान होता है। माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है, इसीलिए हम बालक को प्रारंभिक (प्राथमिक) शिक्षा मातृभाषा में ही देने का आग्रह करते हैं।

माँ द्वारा बचपन में दिए गए संस्कारों का महत्व

महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उनकी माताओं ने उन्हें बचपन से ही राष्ट्र प्रेम, वीरता, स्वराज्य, स्वतंत्रता एवं आदर्श जीवन मूल्यों की शिक्षा के साथ ही महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित किया था।

यौन उत्पीड़न रोकने में परिवार की भूमिका

वर्तमान में समाज में छोटी बच्चियों से बलात्कार, किशोर होती लड़कियों से दुष्कर्म, अश्लीलता और छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को नियंत्रित करने में कठोर कानूनों का निर्माण और उन्हें लागू करने में तत्परता के साथ ही परिवार की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो सकती है, विशेषकर माता की भूमिका। माताएं अपनी छोटी बच्चियों और किशोर होती लड़कियों की गुरु ही नहीं बल्कि मित्र भी होती हैं। वे उन्हें 'गुड टच' और 'बैड टच' में अंतर बता कर सतर्क कर सकती हैं। स्कूल में अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार व संबंध कैसे हैं? इसकी जानकारी समय समय पर सहज बातचीत के माध्यम से ली जा सकती है। पड़ोसियों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के साथ उनकी बेटियों के सम्पर्क व संबंध कैसे हैं? और कैसे होने चाहिए? आदि के बारे में सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जा सकता

है। किंतु यह तभी संभव है जबकि माता-पिता, विशेषकर मां व बेटियों के मध्य आपसी संबंध और व्यवहार मित्रवत होंगे।

परिवारों में बेटे-बेटियों के लालन-पालन, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, भविष्य में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में दूरदर्शन पर प्रसारित उड़ान सीरियल (1989) जो कविता चौधरी द्वारा निर्मित था, में वे कहती हैं ''एक पक्षी भी अपने नर और मादा शिशुओं को समान रूप से उड़ना सिखाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता।''

माताएं अपनी छोटी बच्चियों और किशोर होती लड़कियों की गुरु ही नहीं बल्कि मित्र भी होती हैं। वे उन्हें 'गुड टच' और 'बैड टच' में अंतर बता कर सतर्क कर सकती हैं। स्कूल में अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार व संबंध कैसे हैं? इसकी जानकारी समय समय पर सहज बातचीत के माध्यम से ली जा सकती है।

बेटों को भी करें संस्कारित

माताएं अपने पुत्रों को भी बहिन, बेटी और अन्य लड़कियों के प्रति सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने और समतावादी दृष्टिकोण अपनाने के संस्कार दे सकती हैं। परिवार में भी इसी प्रकार का वातावरण निर्मित कर उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। परिवार में और परिवार से बाहर महिलाओं के प्रति असम्मानजनक, अशिष्ट और अश्लील भाषा पर रोक, मां-बहिन से संबंधित गालियों और भद्दे व अशिष्ट कमेंट करने आदि की मनाही की जानी चाहिए।

संवाद बनाए रखें

बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां होने पर घर से बाहर घूमने व पिकनिक आदि का कार्यक्रम रखा जा सकता है। कुछ समय केवल बच्चों से बातचीत करने के लिए निकालें और संवाद की स्थिति बनाये रखें। कभी उनके मित्रों को भी घर पर आमंत्रित कर उनसे भी सम्पर्क बनाये रखें। माता-पिता और बच्चों के बीच सकारात्मक वार्तालाप उन्हें आत्म-विश्वासी और सक्षम बनाता है।

ऐसे स्वस्थ पारिवारिक माहौल में परिवारों द्वारा महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा संबंधी संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। अत: परिवार में विवाद नहीं बल्कि संवाद की निरंतरता आवश्यक है।

-लेखिका राजकीय महाविद्यालय, कोटा एवं जयपुर में समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष रही हैं

बेटी के संग मां के सहज मित्रवत संबंध

रीना शुक्ला

मां और बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है। बेटी का आत्मविश्वास बढ़ाने व उसको आत्मनिर्भर बनाने में माता का मित्रवत संबंध ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। संबंधों की इसी आपसी ऊहा-पोह को रेखांकित करता है यह लेख

मां बेटी के जीवन की पहली शिक्षक, मार्गदर्शक और सहारा होती है। लेकिन जब यह संबंध मित्रवत होता है, तब इसमें एक नया आयाम जुड़ जाता है। मित्रवत संबंध का मतलब है कि बेटी मां के साथ अपनी बातें, भावनाएं और चिंताएं बिना किसी झिझक के साझा कर सके। मां के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपनी बेटी को सुनें, उसकी बातों को समझें और बिना किसी आलोचना या परंपरागत सोच के उसे सही मार्गदर्शन दें।

खुला संवाद

खुला संवाद मां और बेटी के बीच भावनात्मक दूरी को कम करता है। जब मां अपनी बेटी से उसके विचारों, इच्छाओं और जीवन की चुनौतियों के बारे में पूछती है और ध्यानपूर्वक सुनती है, तो यह बेटी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बेटी को यह अहसास होता है कि उसकी मां उसकी सबसे बड़ी मित्र और समर्थक भी है।

विश्वास और स्वतंत्रता

मां को अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए कि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है। यह विश्वास तभी संभव है जब मां ने बेटी को सही दिशा में सोचने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी हो। इससे बेटी भी मां के अनुभवों और ज्ञान का सम्मान करती है और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह लेने में हिचकिचाती नहीं है।

मतभेदों का समाधान

किशोरावस्था और युवा अवस्था में कई बार मां और बेटी के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय मां को धैर्य रखना चाहिए और बेटी को समझने का प्रयास करना चाहिए। मित्रवत संबंध में इन मतभेदों को समझदारी से सुलझाया जा सकता है। संवाद और सहनशीलता के माध्यम से दोनों पक्ष अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान मिल सके।

समर्पण और सहयोग

जब मां और बेटी एक-दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझने लगती हैं तो उनके बीच एक अनोखा तालमेल बन जाता है। बेटी मां की मदद करने में गर्व महसूस करती है और मां अपनी बेटी की उपलब्धियों में अपनी सफलता देखती है।

निष्कर्ष

मां और बेटी का मित्रवत संबंध न केवल एक अच्छे पारिवारिक माहौल का निर्माण करता है, बल्कि बेटी के जीवन को दिशा देने में भी मदद करता है। यह संबंध स्नेह, संवाद, विश्वास और सहयोग पर आधारित होना चाहिए, ताकि मां और बेटी एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन सकें। जब यह संबंध मित्रता का रूप ले लेता है, तब जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी आसान हो जाता है, और खुशियों का अनुभव और गहरा।

– लेखिका अध्यापिका एवं राष्ट्र सेविका समिति की चित्तौड़ प्रांत कार्यवाहिका हैं

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रपा।।

(महाभारत/शान्तिपर्व-257/29)

माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवनदाता नहीं।।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के विकास में समर्पित लघु उद्योगों के विकास की प्रदर्शनी

आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम...

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2025

लघु उद्योग भारती

PASHCHIMI RAJASTHAN UDYOG HASTSHILP UTSAV
JODHPUR
UTSAV 2025

2 से 12 जनवरी, 2025 तक | **स्थान-रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर**

संपर्क-जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जोधपुर, दूरभाष 0291-2431937

आयोजक- जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र
एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर

नोडल एजेंसी

लघु उद्योग भारती, जोधपुर प्रांत

रीको गेस्ट हाउस के पास, रेलवे डीजल शेड के सामने, जोधपुर। दूरभाष-0291-2944981 / 2745360

राज्यवर्धन सिंह राठौड़
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

के.के. विश्नोई
उद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

(संपूर्ण भारत की कला, संस्कृति, हस्तशिप एवं लघु उद्योग उत्पादनों की अनूठी प्रदर्शनी, विभिन्न प्रतियोगिताएं, मनोरंजन, सांस्कृतिक संध्या तथा फूड स्टॉल)

लघु प्रयास से हम मिलकर, चलो करें कोई नव उद्यम। भारत को आत्मनिर्भर करने, संकल्पित हो सभी करें श्रम।

मेरी माँ

जब मुझे अपना बचपन याद आता है, तो मैं अनेक सुकोमल व मधुर स्मृतियों में खो जाता हूँ। प्रातः उठते ही मुझे घरेलू कामकाज में संलग्न अपनी माँ के मुख से हरिनाम तथा स्त्रोतों की मधुर स्वरलहरी श्रवण-गोचर होती थी। उन नीरव एवं प्रशान्त प्रभातों में गूँजने वाले मधुर स्वरों का मेरे युवा मन पर कितना गहरा एवं पवित्र प्रभाव पड़ा होगा। मेरे बाल्यकाल में मेरे बाल लम्बे,घने व घुँघराले थे, मेरी माँ उन्हें बाँध कर उनमें मोर पंखी इस प्रकार लगाती थी कि मैं बालकृष्ण जैसा दिखने लगता था। वह मेरे गले में पुष्पहार डालकर सबको बताती थी, '' देखो, मेरा मधु एकदम बालकृष्ण जैसा लगता है।'' ऐसी बातें यद्यपि छोटी दिखती हैं तथापि इन्हीं से बालमन अपने सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप ढलता है।

–श्री गुरुजी (विचार नवनीत, पृ.सं. 365-366)

नारी तुम नारायणी

डॉ. नीलप्रभा नाहर

हे नारी !
तुम सन्नारी बनो ,
स्नेह , सामंजस्य एवं सम्मान ,
की ईंटों से
एक स्वस्थ परिवार गढ़ो !
हो स्वयं में विश्वास इतना , कि
अपनी सुरक्षा स्वयं करो !
सब हो शिक्षित ,पर
स्वयं भी शिक्षित बनो !
सुदृढ़ इच्छा शक्ति से
स्थिर समाज का निर्माण करो !
लो संस्कृति की मशाल हाथ में
बढ़ी चलो , तुम चढ़ी चलो !
न थको , न कभी रुको

बचाने मानव सभ्यता को ,
तुम शक्ति स्वरूपा साक्षात्
लक्ष्मी , सरस्वती, दुर्गा
या , महाकाली का रूप धरो !
नैतिकता के पावन निर्झर से ,
माँ भारती का अभिषेक करो !
नारी तुम नारायणी हो ,
अपनी पहचान आप बनो ।।

– लेखिका भारत विकास परिषद् चिकित्सालय, कोटा में रेडियोलॉजिस्ट हैं एवं चित्तौड़ प्रांत में महिला समन्वय संयोजिका का दायित्व है

न स्त्रीरत्नसमं रत्नम् । (चाणक्य नीति)
स्त्री के समान कोई दूसरा कोई रत्न नहीं है।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । (वाल्मीकि रामायण)
माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है।

बेटी तुम चुप ना रहना

डॉ. मंजूलता भट्ट

मैंने अपने खून से सींचा
तुझको जग में भेजा ।
बड़े जतन से पाला,
अपना प्यार लुटाया।

तेरे सपने पूरे करने में
जीवन अपना वारा ।
तू कोमल है लाचार नहीं,
बार बार समझाया।

शक्ति का अवतार है तू,
और गुणों की खान है तू।
कुसुम सी कोमल हो यदि तुम
तो पत्थर सी चट्टान भी हो तुम।

दुनिया वाले जुल्म जो ढाये
तुम्हें चुप नहीं है रहना ।
चूड़ी पहनी यदि तूने तो
खड्ग भी तेरा है गहना।

तू अपनी शक्ति पहचान
आदि शक्ति है दूजा नाम।
तू बन जाये दुर्गा काली
नारी तू नारायणी है।

हौसले से भरी उड़ान है
अबला नहीं सबला है तू।
मौत भी तुझ से हारी है
पढ़ी लिखी तू नारी है ।

बेटी तुम चुप ना रहना
तू दुख को कभी ना सहना।
विद्रोह तुझे करना होगा
संघर्ष तुझे करना होगा।

बेटी तुम चुप ना रहना
जुल्म कभी न सहना ।
वहशी दरिंदे हैं समाज में ?
स्वयं तुझे लड़ना होगा।

समाधान करना होगा
स्वयं दीप बनना होगा।
तू चाहे इतिहास बदल दे
देश का तू अभिमान है।

ईश्वर का वरदान है तू
और गुणों की खान है तू।
नारी तू महान है ।
तुझसे हिंदूस्तान है।।
तुझे बारंबार प्रणाम है।।

– राजस्थान विश्वविद्यालय में सितार व्याख्याता (गैस्ट फैकल्टी) हैं तथा सेवा भारती से जुड़ी हुई हैं।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाःक्रियाः ।। (मनुस्मृति-3/56)
जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है वहां किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।

श्री भजनलाल शर्मा
मा.मुख्यमंत्री

ग्राम पंचायत ढोला, पंचायत समिति, सुमेरपुर (पाली)
स्वच्छ भारत मिशन के तहत
आओ हम सब कदम बढ़ाएं
मिलकर ढोला को स्वच्छ बनाएं, ढोला की शान बढ़ाएं
समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।
(मेघाराम परमार) सरपंच
(निम्बाराम) ग्राम विकास अधिकारी

श्री ओटाराम कुमावत
पशुपालन व डेयरी मंत्री

INSTITUTE OF FORENSIC SCIENCE RAJASTAHAN

An Institution Established Under The Aegis of
SHRI KHUSHAL DAS UNIVERSITY
HANUMANGARH (RAJ.)

INSTITUTE OF FORENSIC SCIENCE RAJASTAHAN

An Institution Established Under The Aegis of
SHRI KHUSHAL DAS UNIVERSITY HANUMANGARH (RAJ.)

DEGREE COURSES

B.Sc.
Forensic Science(H)

M.Sc.
Forensic Science

HOSTEL FACILITY
For Boys & Girls

PG Diploma Courses

- Questioned Document, Handwriting & Fingerprint Analysis
- Cyber Forensic & Related Laws
- Forensic Science & Criminology

Certificate Courses

- Handwriting, Signature & Questioned Document Examination
- Forensic Photography
- Fingerprinting
- Cyber Forensic
- Cyber Security
- Crime Scene Management

8875132111, 8875134111 | Contact For Registration admission@skduniversity.com

www.ifsrajasthan.com
Follow us on : /skduniversity

Near Toll Plaza, Suratgarh Road ,
Hanumangarh Junction - 335512

विज्ञापनों से बनती नारी की गलत छवि

नीलू शेखावत

महिलाओं के शरीर पर अत्यधिक फोकस इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके व्यक्तित्व या गुणों से अधिक उनका शारीरिक आकर्षण ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल अपमानजनक है, बल्कि समाज में यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा देता है।

विज्ञापन की लुभावनी दुनिया में महिलाओं का इस्तेमाल लंबे समय से चला आ रहा है, जहां उन्हें उत्पादों की बिक्री के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में महिलाओं की उस छवि का निर्माण किया जाता है, जो न केवल समाज में गलत धारणाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और विशेषकर महिला संबंधी भारतीय मूल्यों को तार-तार करता है। अर्धनग्न, द्विअर्थी शब्दावली, हर समय पुरुष के लिए प्रस्तुत महिलाएं इनमें आम हैं।

विज्ञापन उद्योग का एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं का ध्यान खींचना है, खासकर सुंदर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत महिलाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आदर्श मानी जाती हैं, चाहे वह कॉस्मेटिक्स हो, फैशन हो या कार। ब्लेड से लेकर बिल्डिंग मेटेरियल तक के विज्ञापन में महिलाओं को उनके शारीरिक आकर्षण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, भले ही उत्पाद का उनसे कोई सीधा संबंध न हो।

महिलाओं के शरीर पर अत्यधिक फोकस इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके व्यक्तित्व या गुणों से अधिक उनका शारीरिक आकर्षण ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल अपमानजनक है, बल्कि समाज में यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा देता है।

विज्ञापनों में महिलाओं की कमजोर और कामुक छवियाँ हमारे चारों ओर हैं, पर यह छवि आम सामाजिक महिलाओं से कितनी उलट है ? क्या हर महिला ब्राइट स्किन वाली हो सकती है? यदि नहीं, तो ब्यूटी प्रोडक्ट विज्ञापन 'सबसे

ब्राइट' होने का परोक्ष आग्रह क्यों करते हैं? यह झूठ और भ्रम फैलाने के दायरे में आने के बजाय सामान्य क्यों लगता है? क्या किसी महिला का सांवला होना अपराध है? क्यों इनकी अप्राकृतिक टैग लाइन्स 'हमें चाहिए ब्राइट स्किन फास्ट' दर्शकों को इतनी स्वाभाविक लगती है? ऐसे विज्ञापनों से महिलाएं अपने शरीर और व्यक्तित्व को लेकर असंतुष्ट महसूस करती हैं। इससे उनका आत्म-सम्मान घटता है और उनमें हीनभावना उत्पन्न होती है।

विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि हाथ पैरों के महीन बाल इतने शर्मिंदगी दिलाते हैं कि लड़कियाँ घर से बाहर निकलने में कतराती हैं जबकि पार्लर से निकली लड़की आत्मविश्वास से इतनी लबरेज होती है कि 'बीट द वर्ड' के नारे लगते हैं। मतलब समझ, ज्ञान और कौशल का कोई अर्थ नहीं! जिस तरह इसमें वास्तविकता की धज्जियाँ उड़ती दिख रहीं हैं उन पर हम ठहाका लगाकर हँस सकते हैं किंतु अपने आस पास देखिये- कितनी किशोरियाँ व युवतियाँ इसे सच मान बैठी हैं। हाल ही में एक बोर्ड टॉपर और कोमलवया किशोरी को भयंकर रूप से ट्रोल करने में ऐसे विज्ञापनों का बड़ा योगदान है।

भारतीय संस्कृति में शरीर से अधिक महत्व चरित्र और आत्म सजगता का है। मदालसा और मीरा जैसी आत्मसचेत महिलाओं को आदर्श मानने वाला भारतीय समाज जब विज्ञापनों की लहर में बहकर स्त्री शरीर को एक गोरी गुड़िया के रूप में देखने को लालायित हो उठता है और उसके अभाव में ट्रॉलिंग को अपनाता है तो विषय चिंता जनक तो बनता है।

बात ट्रॉलिंग और बुल्लिंग तक भी नहीं रुकती, ये विज्ञापन यौन हिंसा को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। याद कीजिये ''लैयर्स शॉट'' वाला विज्ञापन जिसमें द्विअर्थी शब्दों में सामूहिक बलात्कार समर्थित है। टैगलाइन अश्लील होने के कारण यहां लिखी नहीं गई है।

इसी तरह कुछ सालों पहले एक लोकप्रिय अभिनेता का विज्ञापन सबको याद होगा-वह एक महिला को अपने कंधे पर उठाकर पोज दे रहा है, जिससे पता चलता है कि महिलाएं महज एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं हैं, और साथ में एक पंच लाइन है जो कहती है- 'डोन्ट होल्ड बैक-टेक यौर वर्क होम (पीछे मत हटो)। वह स्त्री भी खुशी-खुशी साथ जाने को आतुर है।'

यहाँ स्मरणीय है- वाल्मीकि रामायण में उद्धरित संवाद जिसमें मां सीता की उद्विग्नता और आवेश को भांपकर हनुमान जी उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर श्री राम तक पहुंचाने की बात करते हैं। तब माँ सीता की प्रतिक्रिया होती है-

न स्पर्शामि शरीरं तु पुंसो वानर पुंगव ।

रावण का स्पर्श तो विवशता वश हुआ किंतु सायास किसी पुरुष का स्पर्श उनके

लिए संभव नहीं।

इधर विज्ञापनों में निर्मित महिला छवि कितनी उलट और गरिमाहीन है! मूल्यों पर ब्रांड कैसे हावी हो जाता है, उपर्युक्त विज्ञापन इसका उदाहरण है। यह एक फैशन ब्रांड का विचार था कि पुरुष पीछे न हटें। ब्रांड ने अपने ब्रांड एंबेसडर को अपने कंधे पर एक महिला को लटकाकर, पंच लाइन 'डोन्ट होल्ड बैक' के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में विशाल होर्डिंग्स लगाए। तथाकथित प्रोग्रेसिव दर्शक वर्ग आज भी इन गैर जिम्मेदार अभिनेताओं को सिर आँखों पर रखते हैं।

शोध से पता चलता है कि विज्ञापन ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं जिससे यौन अतृप्त महिला की छवि गढ़कर पुरुष की उस वासना तृप्ति की बहक को तर्कसंगत किया जाता है, जिसे सामान्य तौर पर भारतीय समाज में मान्यता मिल नहीं पाती है।

'कंधा नहीं बंदा बनो' वाला विज्ञापन ऐसे ही कामलोलुप एड निर्माताओं के दिमाग की उपज है जो समझते हैं कि स्त्री को संवेदना नहीं, यौन संभागी की जरूरत हो। वे इस हद तक सिरफिरी हैं कि इत्र सूंघकर अपने पुरुष मातहतों के कार्यों का अंकन करती हैं। मानो महिलाओं में अपनी मेधा जैसी कोई चीज नहीं, मात्र कठपुतलियाँ हैं। वास्तविक जीवन की महिलाओं की क्षमताओं और संघर्षों को नजरअंदाज कर उन्हें केवल सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

यहाँ यह जानकारी भी प्रासंगिक होगी कि वर्ष 2022 में एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा जारी गाइडलाइंस महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। इसके अनुसार-

विज्ञापनों में किसी भी लिंग के पात्रों का यौन वस्तुकरण नहीं किया जाना चाहिए या दर्शकों को उत्तेजित करने के उद्देश्य से लोगों को कामुक और वस्तुकृत तरीके से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें उत्पाद के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक संदर्भों में भाषा या दृश्य उपचार का उपयोग शामिल होगा। उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन टेकअवे सेवा जिसमें विभिन्न फास्ट-फूड आइटम के पीछे उत्तेजक मुद्रा में लेटी हुई अधोवस्त्र पहने एक महिला की छवि दिखाई गई हो, उसे अनुचित माना जाएगा। भले ही छवि यौन रूप से स्पष्ट न हो, लेकिन किसी महिला की कामोत्तेजक छवि का उपयोग करके, जिसका विज्ञापित उत्पाद से कोई संबंध नहीं है, विज्ञापन को महिलाओं को यौन वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें वस्तुकृत करने वाला माना जाएगा।

-लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोधार्थी हैं

कार्यालय ग्राम पंचायत खटवा तह. लालसोट, जिला दौसा
समस्त ग्रामवासियों को दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं
स्वच्छ भारत मिशन के तहत आओ हम सब कदम बढ़ाएं
मिलकर खटावा को स्वच्छ बनाएं, खटवा की शान बढ़ाएं
(रामप्रकाश माली) सरपंच ग्राम पंचायत खटवा
(बाबूलाल योगी) सचिव ग्राम पंचायत खटवा

ग्राम पंचायत बिरामी, पंचायत समिति, सुमेरपुर (पाली)
श्री भजनलाल शर्मा मा.मुख्यमंत्री
श्री जोराराम कुमावत पशुपालन व डेयरी मंत्री
स्वच्छ भारत मिशन के तहत
आओ हम सब कदम बढ़ाएं
मिलकर बिरामी को स्वच्छ बनाएं, बिरामी की शान बढ़ाएं
समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।
(मनोहर कंवर) सरपंच
(भगवत सिंह) ग्राम विकास अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद
लालसोट (दौसा)
समस्त नगरवासियों को
दीपावली की
हार्दिक शुभकामनायें
स्वच्छ भारत मिशन के तहत आमजन से अपील
1. शहर के नागरिकों से अनुरोध है कि अपने आस-पास सफाई बनाये रखें सफाई के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ायें और वातावरण को स्वच्छ बनायें।
2. कचरे को सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर ना फेकें।
3. शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने का संकल्प लें।
4. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। पॉलिथीन एवं थैलियां हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं।
।। मेरा शहर मेरी पहचान।।
(आयुक्त)
नगर परिषद, लालसोट

भोगवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं विज्ञापन

इंजी. आशा शर्मा

हर विज्ञापन में स्त्री शरीर को जिस अंदाज में परोसा जा रहा है वह धीरे-धीरे देह भोगवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। आज बाजारवाद ने स्त्री की गरिमा तक का मूल्य निर्धारित कर दिया है। स्त्री अस्मिता की बाजारू उत्पाद की तरह खुले आम बोली लगाई जा रही है। उसके सम्मान की खिल्ली उड़ाई जा रही है।

हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से परिचित हैं कि आँखों को लुभाने और मन को आकर्षित करने वाले चेहरे किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले स्त्री पात्र इतने आकर्षक और चितचोर होते हैं कि लोगों का ध्यान उत्पाद पर कम और मॉडल के कमनीय शरीर पर अधिक होता है। इस तरह के विज्ञापन वशीकरण की तरह दिमाग और सोच को अपने कब्जे में कर लेते हैं और हम बिना अपना दिमाग लगाए इन उत्पादों को खरीदने निकल पड़ते हैं।

अब आप कहेंगे कि जब यह सब उत्पादकों की प्रचार शैली का हिस्सा है तब इसमें स्त्री अस्मिता या फिर उसका मान-सम्मान बीच में कहाँ से आ गया? लेकिन जरा गहराई से पड़ताल करें तो पाएंगे कि यह समाज में विष घोलने का एक धीमा किंतु क्रमिक प्रयास है। हर विज्ञापन में स्त्री शरीर को जिस अंदाज में परोसा जा रहा है वह धीरे-धीरे देह भोगवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। जरा बताइए कि एक ट्रक का टायर खरीदने की सिफारिश करने वाली स्त्री की खुली जांघों का उसमें क्या योगदान है? या फिर अपने चेहरे के बाल साफ करते हुए पुरुष द्वारा स्त्री के गालों को सहलाने का क्या तात्पर्य है?

विज्ञापनों में स्त्री पात्रों की बहुलता के पार्श्व में जो धारणाएं स्थापित की जा रही हैं या जो मानसिकता अवचेतन मन में दबी हुई हैं उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। विज्ञापन में अमूमन जहाँ शक्ति या शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन होता है वहाँ पुरुष या बालक दिखाए जाते हैं जबकि सौंदर्य और घरेलू उत्पादों में महिला पात्र होते हैं जो लैंगिक भेदभाव को दर्शाते हैं कि पुरुष शक्तिशाली और स्त्रियाँ केवल प्रदर्शन की वस्तु हैं।

मोटापा कम करने या गोरा बनाने वाले उत्पादों में भी स्त्री पात्र ही मुख्य रूप से दर्शाए जाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं के लिए आकर्षक या सुंदर दिखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ विज्ञापन तो यहाँ तक बढ़ जाते हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि साधारण महिलाओं को जीने का भी अधिकार नहीं है। इस तरह के विज्ञापन स्त्रियों के प्रति भोगवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जो एक महिला की अस्मिता का अपमान है।

विज्ञापनों को गौर से देखें तो पाएंगे कि महिलाओं में हाई प्रोफाइल महिलाओं को आधुनिक परिधान तथा निम्न-मध्यम वर्गीय महिला पात्र को साड़ी अथवा सूट पहने दर्शाया जाता है जो आम जन मानस में यह धारणा पुष्ट करता है कि भारतीय पहनावा पिछड़ेपन की पहचान है। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट जगत की आधुनिक कही जाने वाली स्त्री के माथे से बिंदी गायब है। वहीं घरेलू, निम्न तथा मध्यमवर्गीय महिला माथे पर बिंदी-सिंदूर लगाए दिखाई जाती है जो धीरे-धीरे नई पीढ़ी के मस्तिष्क में यह बीजारोपण करने में सफल होती जा रही है कि यह चूड़ी-बिंदी और सिंदूर-साड़ी गंवारूपन की निशानी है। जैसा हम दिन में पचासों बार देखते-सुनते हैं उसी का अनुसरण भी करने लगते हैं। आज अपने आसपास नजर डालिए और देखिए कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से इन सनातन प्रतीकों को पिछड़ापन और दिखावा मानकर नकार रही है।

आज बाजारवाद ने स्त्री की गरिमा तक का मूल्य निर्धारित कर दिया है। स्त्री अस्मिता की बाजारू उत्पाद की तरह खुले आम बोली लगाई जा रही है। उसके सम्मान की खिल्ली उड़ाई जा रही है और हम हैं कि बस मुँह फाड़े उसका आनंद लिए जा रहे हैं। यहाँ कमी बाजारवाद की कम और स्वयं स्त्री की अधिक लग रही है। जब स्त्री स्वयं बिकने के लिए अपनी कीमत का टैग अपने ऊपर लगाए अपनी नुमाइश करने पर आमादा है तब किसी खरीददार को भला दोष किस हैसियत से दिया जाए?

भावार्थ यही है कि जिसे हम महिला का सम्मान समझकर फेमेनिज्म के नाम पर खुश हो रहे हैं वह दरअसल स्त्रीत्व का अपमान है। सोने के पानी के भीतर छिपी हुई पीतल की सामग्री की पहचान जरूरी है। भ्रम से बाहर निकलकर विज्ञापन के माध्यम से एक महिला को उपभोग की वस्तु बनाकर प्रदर्शित की जा रही मानसिकता के विरुद्ध जागरूक होने की आवश्यकता है।

-लेखिका कहानीकार एवं स्तंभ लेखिका हैं तथा वर्तमान में विद्युत विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं

श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

श्री झाबर सिंह खर्रा
स्वायत्त शासन मंत्री

श्री के.के.विश्नोई
प्रभारी मंत्री सिरोही

श्री ओटाराम देवासी
पंचायती एवं संस्कृति राज. सरकार

श्री लुम्बाराम चौधरी
सांसद
जालोर-सिरोही

श्री समाराम गरासिया
विधायक
आबू-पिण्डवाड़ा

श्री जीतू राणा
पालिकाध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, आबू पर्वत, सिरोही (राज.)

आबू पर्वत नगर पालिका मण्डल की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को दिपावली पर्व 2024 के अवसर पर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आबू पर्वत को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करे।

1. अपने वार्ड एवं घरों के सामने स्वच्छता बनाये रखें ।
2. साफ सफाई का ध्यान रखते हुये कचरा निर्धारित स्थान घरेलु कचरा पात्र में ही डालें ।
3. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें ।
4. पॉलिथीन बैग का उपयोग नहीं करें।
5. अधिक ध्वनि के पटाखे ना जलायें जिससे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न करें ।
6. पशु पक्षियों को पटाखों से नुकसान ना पहुचायें ।
7. घास फुस से बने मकानों एवं लकड़ी से बने मकानों के आस-पास आतिशबाजी नहीं करें।
8. पर्व के दौरान घर की सजावट में चाइनीज लाईटों व सामान का प्रयोग ना कर स्वदेशी सामान को अपनायें ।
9. सभी दुकानदार अपने दुकानों का कचरा नियत स्थान पर ही डालें भूमिगत नालों में नहीं डालें ।
10. शहर में किसी भी तरह के हॉर्डिंग्स व बैनर आदि बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति के ना लगायें ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

(जीतू राणा)
अध्यक्ष, नगर पालिका मंडल, आबूपर्वत

(समस्त पार्षदगण)
नगर पालिका मंडल, आबूपर्वत

(आयुक्त)
नगर पालिका मंडल, आबूपर्वत

कार्यालय नगर पालिका बाली (राज.)

टेलि.नं./फैक्स नं. (02938) 236170/222045 ई मेल- municpalboardbali@gmail.com

स्वच्छ भारत मिशन के तहत आओ हम सब कदम बढ़ाएं

मिलकर बाली को स्वच्छ बनाएं बाली की शान बढ़ाए

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

-: समस्त नागरिकों से अपील :-

- अपने घर/भवन/दुकान / कार्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करें, कचरा पात्र रखें एवं कचरा निर्धारित कचरा डिपो पर डाले।
- सड़क, नाली, गलियों, खाली भूमि, उद्यानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा मलबा भवन निर्माण सामग्री ना डालें।
- बस स्टेण्ड/विद्यालयों/अस्पतालों/सड़कों/गलियों/ पार्कों/बाजारों/ सार्वजनिक ऐतिहासिक धरोहर आदि को साफ रखने में सहयोग दें।
- सार्वजनिक स्थानों से कचरा मलबा व पुराने अनुपयोगी वाहन हटायें।
- घर में शौचालय/मूत्रालय साफ रखें।
- किसी भी सम्पत्ति, भवन, स्मारक, मूर्ति, पाईप लाईन, दीवार, सड़क, पेड़, खम्भों आदि पर पेन्टिंग व पोस्टर न चिपकाएं, न ही बैनर लगाकर विरूपित करें।
- सार्वजनिक स्थानों / सड़कों आदि पर पशुओं को न छोडें एवं उनको चारा भी न डालें, चारा गौशालाओं में ही डलवाएं।
- पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग न करें पॉलीथीन की थैलियां हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाती ही है साथ ही पशुओं के पॉलीथीन खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। जूट व कपड़े के थैले अपनायें।
- हर नागरिक सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बने।

समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।

हम है स्वच्छता के सजग प्रहरी
स्वच्छ स्वर्ण बाली सुंदर बाली

(भरत चौधरी)
अध्यक्ष, नगरपालिका बाली

समस्त पार्षदगण
नगरपालिका बाली

(विनयपाल)
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बाली

बेटी का पत्र मां के नाम

प्यारी मां,

आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कैसी हो? ये पूछना अब समय से परे है, क्योंकि तुम अब जिस दुनिया में रहती हो उसे स्वर्ग कहते हैं। वहां सुख का साम्राज्य है। फिर भी तुमसे बात करने का मन करता है, लगता है ऊपर से ही सही तुम हम सबको देखती रहती हो।

तभी तो आज तक मेरी उस पगडंडी से रास्ता भटकने या बदलने की कभी इच्छा नहीं हुई जिस पर तुमने बचपन से हमें चलना सिखाया।

तुम्हारी मजबूत, पथरीली ''संस्कारों की पगडंडी'', जिस पर चलना हर आम आदमी के लिए परेशानी भरा होता है, मेरे लिए भी रहता है पर अब लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद उस पगडंडी पर चलते रहना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।

लगता है समय फिर खुद को दोहरा रहा है। तुमने शायद नानी से जो सीखा था वो अच्छी मां के तौर पर हम भाई-बहनों को समय-समय पर प्यार से, दुलार कर, कभी डांटकर, कभी कभी थप्पड़ जड़ कर ,सजा देकर भी सिखाया।

आज मैं भी दो बेटियों की मां हूं, तुम्हारी ये बात कि मां बाप बच्चों के आदर्श होते हैं मैं कभी भूल नहीं पाती हूं। आज जब मैं खुद मां के गौरवशाली पद पर आयीं हूं तब से अपने बच्चों के लिए आदर्श बनने की कोशिश में लगी हूं।

एक बात बताऊं मां,मैंने भी अपनी बेटियों को हर सीख हर संस्कार तुम्हारी तरह खुद अपने जीवन में अपनाकर उनको निभा कर जीवन्त दिखाये है। जिससे वो भी मेरी तरह ही सीख सकें जैसे हर बात तुमने खुद अपने ऊपर लागू करके मुझे सिखायी थी। ये तुम्हारी प्रेरणा और मेहनत का ही फल है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं।

याद है मां,जब हम लोग छोटे थे तब ज्यादातर बच्चे स्कूल, कॉलेज पैदल जाया करते थे। स्कूलों के लगने और खत्म होने के समय में तीन चार किलोमीटर तक लड़कियों के समूह के समूह, स्कूल जाने के रास्तों पर पैदल चलते हुए आसानी से देखे जा सकते थे पर बच्चियों की सुरक्षा के प्रश्न जैसे आज हर मोड़ पर दिल दहलाने के लिए खड़े हो जाते हैं वो प्रश्न उस समय थे ही नहीं।

मुझे भी हर समय अपनी बेटियों की चिंता बनी रहती है। मां अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूं वहां तीन-चार हजार लड़कियां पढ़ती हैं,जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर से अगले चौराहे तक जाम लग जाता है, उसी समय पास के स्कूल कॉलेज से लड़के भी आम रास्ता होने के कारण साईकिल, मोटरसाइकिल लहराते हुए आ ही जाते हैं जिससे एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है। कभी-कभी तो टक्कर हो ही जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए आज कल प्रशासन की तरफ से महिला सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। जिससे आवारा किस्म के लोगों की आवाजाही थोड़ी रुक जाती है और दुर्घटना से बचा जा सकता है। मां तुम्हें क्या बताऊं, बीते बीस सालों में समय ने इतनी तेजी से करवट बदली है कि लड़कियों का घर से बाहर सुरक्षित रह पाना ही हर मां बाप की पहली चिन्ता बन गया है।

न जाने कितनी ''निर्भया'' बलि चढ़ चुकी हैं। घर से बाहर गयी बहु-बेटियां सही सलामत घर लौट आएं तब जाकर सांस में सांस आती है। मां, मुझे तो लगता है आज टीवी में दिखाये जाने वाले सीरियल और सिनेमा जगत ने हर लड़की के मन को दिग्भ्रमित कर दिया है। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, इस पर उसे संशय हो सकता है पर किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही किसी की ''सपनों की रानी''यानि ''गर्लफ्रेंड'' बनना जरूरी है, इसमें उसे संशय नहीं है।

इसी भावना के ज्वार का फायदा उठाने के लिए स्कूल कॉलेजों के बाहर विकृत मानसिकता के लड़के जाल बिछा कर उनकी नादानी का फायदा उठाने से नहीं चूकते। आये दिन ऐसे किस्से अखबारों व न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन कर रह जाते है पर शायद चूक इस समय के माता-पिता से जरूर हो रही है जो सिर्फ पैसा कमानें की आपाधापी में अपने बच्चों के संस्कारो की नींव भारतीय मूल्यों और परम्पराओं से पक्की नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो जो मानवीय मूल्य बच्चों व बच्चियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सिखाने जरूरी है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, जीवन केवल बहुत अच्छा ''पैकेज'' वाली नौकरी पाना मात्र रह गया है।

शुभ्रा राजीव

मां तुम्हारी बेटियां छोटी थीं तब तुम्हें ऐसी चिन्ता से शायद नहीं डरना पड़ा होगा कि कोई विधर्मी तुम्हारे बच्चों को बहला-फुसलाकर ब्रेनवाश कर देगा और अपने जैसा बना देगा, पर आज मुझे यह विचार भी चिंतित कर देता है।

अपराधियों ने एक नया शब्द ''लव-जिहाद'' भी गढ़ लिया है। मां आज के हालात को देख कर लगता है कि तुम ठीक ही कहती थीं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी नींव मजबूत करो, साथ में जागरूक बनाओ, उनको कभी कभी ''क्राइम पेट्रोल'' जैसे सीरियल भी दिखाओ ताकि वो इस दुनिया के काले रुप को भी पहचान सके।

तुम्हारा श्रुतलेख लिखवाना, किताब पढ़वाना सब याद आ गया। इसीलिए तो मां को प्रथम गुरु कहा गया है।

मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देती हूं कि मुझे तुम्हारी बेटी बनाया जिसने आजीवन अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और मुझे भी इंसान बना दिया।

मन तो कर रहा है यूं ही तुम से बातें करती रहूं, ये पत्र कभी खत्म ही न करु, यूं ही तुम्हारी यादों में डूबी रहूं।

तुम्हारी यादों में,

तुम्हारी बेटी

- लेखिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा में वरिष्ठ अध्यापिका एवं अ.भा.साहित्य परिषद् की सदस्य हैं

#just one app

pnb

आसान ऋण के साथ पाएं अपना घर और अपनी कार

दोनो सपने करें साकार

पीएनबी आवास ऋण

आपके सपनों का घर

ई एम आई

762/- प्रति लाख से शुरू

ब्याज दर

8.40%* से शुरू

0% आरंभिक/प्रसंस्करण शुल्क/ दस्तावेजीकरण प्रभार

पीएनबी कार ऋण

आपके सपनों की कार

ई एम आई

1253/- प्रति लाख से शुरू

ब्याज दर 8.75%* से शुरू

एक्स-शोरूम कीमत का 100% तक फाइनेंस

चुकौती अवधि 120 महीने तक (ई-वाहन)

* नियम व शर्तें लागू

पीएनबी ऋण के लिए

पीएनबी वन ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करें या आज ही अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें।

हमें फॉलो करें : www.pnbindia.in | टोल फ्री: 1800-1800 & 1800-2021

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सिनेमा के सामाजिक सरोकार

डॉ.ऋतु सारस्वत

मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के वस्तुकरण के महिमा मंडन ने भारतीय परंपरा और संस्कृति पर गहरा आघात किया। बॉलीवुड की अश्लील फिल्मों की भरमार ने विश्व भर में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक छवि को दूषित किया है। फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार, छेड़छाड़ और उनका वस्तुकरण सहजता से स्वीकार किया जाने लगा है।

भारत में जब 1896 में मुंबई के वाटसन होटल में पहली बार सिनेमा दिखाया गया था तो शायद ही किसी ने यह कल्पना की थी कि एक दिन पूरे विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में भारत की गिनती होगी। भारतीय सिनेमा अपने हर पड़ाव पर नवीन कलेवर को लिए अपने दर्शकों को अचंभित करता आया है। वह समाज का दर्पण बना, तो मार्गदर्शक भी। सिनेमा सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव का कारण भी बना। सिनेमा के इर्द-गिर्द घूमता दर्शक 21वीं सदी 'ओटीटी' से भी परिचित हो गया है। घर बैठे दुनिया भर की फिल्मों की उपलब्धता ने दर्शकों को रोमांचित किया, परंतु समाज का संवेदनशील वर्ग चिंतित हो उठा। कारण स्पष्ट है। सिनेमा के भीतर आधुनिकता के नाम पर बढ़ती अश्लीलता थिएटर की चार दीवारी से बाहर निकल कर घर के भीतर तक पहुंच गई ।

भारतीय संस्कृति पर आघात

मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के वस्तुकरण के महिमा मंडन ने भारतीय परंपरा और संस्कृति पर गहरा आघात किया। बॉलीवुड की अश्लील फिल्मों की भरमार ने विश्व भर में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक छवि को दूषित किया है। इसकी बानगी 2015 में ऑस्ट्रेलिया के एक कोर्ट में भारतीय सुरक्षा गार्ड के मामले में देखी जा सकती है जहां गार्ड को दो महिलाओं का निरंतर पीछा करने पर गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में गार्ड के वकील ने पैरवी में कहा कि उसके मुवक्किल ने यह बॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर किया है क्योंकि उनमें पुरुषों को महिलाओं को जुनूनी हद तक पीछा करते दिखाया जाता है। जज ने भी गार्ड के अपराध के पीछे उसकी 'सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' को कारण माना। फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं अपितु इनका प्रभाव दीर्घकालीन होता है।

बच्चों-किशोरों पर गहरा प्रभाव

24 सितम्बर 1970 को केए अब्बास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या सिनेमाघरों के लिए घटिया और अश्लीलता को बढ़ावा देकर पैसा बनाने के लिए एक लाइसेंस के रूप में नहीं की जा सकती। सिनेमा किसी भी अन्य संचार माध्यमों की तुलना में भावनाओं को अधिक गहराई से उभारने में सक्षम है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अपरिपक्वता के कारण वे चलचित्र में होने वाली क्रिया को याद रखते हैं और जो कुछ उन्होंने देखा उसका अनुकरण या नकल करने का प्रयास करते हैं...।'

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज में पनपती अनैतिकता, उच्छृंखलता का दोष फिल्मों को नहीं देने की पैरवी करने वालों को उच्चतम न्यायालय की उस पंक्ति को गौर से पढ़ना चाहिए जहां यह कहा गया 'कोई व्यक्ति किसी पुस्तक... भाषण... या... मूर्ति.. से इतनी गहराई से उत्तेजित नहीं होता जितना किसी चलचित्र को देखने से होता है...।' अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि हिंसक या वयस्क सामग्री देखने से बच्चे प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनके मस्तिष्क को ऐसे दृश्य समझ में नहीं आते परंतु ऐसा समझना भूल है क्योंकि एक वयस्क के विपरीत बच्चों के पास इस तरह के दृश्यों के लिए कोई फिल्टर नहीं है और फिल्में जो दिखाती हैं वह उसे बिना किसी प्रयास के अंगीकार कर लेते हैं। कई बार यह तर्क भी अनेक लोगों द्वारा दिया जाता है कि उन्होंने यौन और हिंसा से भरी फिल्में वर्षों तक देखी हैं परंतु ना तो हत्यारे बने और

ना ही यौन दुराचार में लिप्त हुए। ऐसा संभव है, परंतु यह कतई भी संभव नहीं कि निरंतर इस तरह के दृश्य देखने के बाद हमारा व्यवहार और हमारी प्रतिक्रियाएं पूर्णतया अप्रभावित रहें। क्योंकि, एक विशेष प्रकार की सामग्री को जितनी अधिक बार देखा जाता है उतना ही उसके प्रति असंवेदीकरण का अनुभव होता है।

आरंभ में जो चौंकाने और परेशान करने वाला दृश्य लगता है उसकी बारम्बारता के पश्चात् वही ध्यान देने योग्य भी प्रतीत नहीं होता। कई बार यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि किशोरों के भीतर कामुकता का कारण फिल्में कैसे हो सकती हैं? जिस तरह हम अपने बच्चों को विशेष किताबें पढ़ाते हैं, इस उम्मीद से कि वे उनके पात्रों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सकारात्मकता और सन्मार्ग पर लेकर जाएंगे और ऐसा होता भी है। ठीक उसी तरह किशोरावस्था में फिल्मों में अश्लीलता परिपक्व अवस्था से पूर्व ही उन संबंधों को सामान्य करती जा रही हैं जिसके लिए बच्चें भावनात्मक, सामाजिक या बौद्धिक रूप से तैयार नहीं होते। फिल्म को मनोरंजन का साधन मानकर उसके सामाजिक सरोकारों से पल्ला हमेशा से ही झाड़ लिया जाता है। परंतु फिल्में मनोरंजन की सीमा से कहीं बहुत अधिक अपने प्रभाव क्षेत्र का दायरा फैलाए हुए हैं।

फिल्मों का प्रभाव अधिक

1963 की रिपोर्ट जो भारतीय सिनेमा और संस्कृति को देखते हुए 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन' द्वारा जारी की गई थी, में कहा गया कि 'भारत में फिल्मों का प्रभाव समाचार पत्रों और किताबों से अधिक है।' फिल्में समाज के नैतिक विकास को प्रभावित करती हैं। दुनियाभर में हुए अध्ययन बताते हैं कि फिल्में युवा अप-संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। सिनेमा के सामाजिक सरोकारों पर जब भी प्रश्न खड़े होते हैं तो फिल्म निर्माता द्वारा अधिकांशत: तर्क दिया जाता है कि जब सेंसर बोर्ड ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है तो किसी को भी इस पर कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। परंतु न्यायालय इससे ठीक उसी प्रकार सहमत नहीं है जैसे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग। न्यायिक वाद 'धर्मेंद्र धीरजलाल सोनेजी बनाम गुजरात राज्य', सितम्बर 1996 में न्यायाधीश के. वैद्य तथा डी. करिया ने सिनेमा से जुड़े इस मामले में कहा था '...सेंसर बोर्ड को कौन सेंसर करेगा?' न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नसीहत दी थी कि सरकार को फिल्म निर्माताओं की शक्तिशाली लॉबी को चुनौती देने का साहस उत्पन्न करना होगा।

महिलाओं का वस्तुकरण

फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार, छेड़छाड़ और उनका वस्तुकरण सहजता से स्वीकार किया जाने लगा है। घोर व्यवसायिकता में डूबा बॉलीवुड हमेशा से ही सामाजिक सरोकारों से कन्नी काटता रहा है, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि उनका यह व्यवसाय जिनके दमखम पर चल रहा है वह देश की आम जनता है और उनके हितों की अवहेलना एक दिन स्वयं उनके ही अस्तित्व को खतरे में डाल देगी।

अपनी ही फिल्म को किया प्रतिबंधित

उल्लेखनीय है कि निर्देशक 'गर्थ डेविस' ने अपनी फिल्म 'लायन' के प्रदर्शन के समय कहा था कि फिल्म निर्माण उनके लिए पेशा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। लायन एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े द्वारा गोद लिए गए भारतीय लड़के की कहानी है। छह अकादमी पुरस्कार नामांकन और बॉक्स ऑफिस पर 140 मिलियन डॉलर के बाद डेविस की फिल्म इस बात का प्रमाण है कि व्यवसायिक सफलता और सामाजिक दायित्व सह अस्तित्व में हो सकते हैं। **क्या कोई भारतीय निर्माता स्वयं अपनी फिल्म स्वेच्छा से प्रतिबंधित कर सकता है? शायद नहीं, परंतु निर्देशक निर्माता स्टैनली कुब्रिक ने अपनी फिल्म 'अ क्लॉकवर्क ऑरेंज' को ब्रिटेन में दिखाए जाने पर तब प्रतिबंधित कर दिया जब फिल्म से प्रेरित होकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।** यह संवेदनशीलता किसी चमत्कारी छड़ी से यकीनन नहीं उत्पन्न होने वाली!

कई बार असंवेदनशील और घोर व्यावसायिक मानसिकता रखने वालों के लिए, जो कि नैतिक क्षरण करने पर उतारू हो, उनके लिए कठोर कानूनों का भी सहारा लेना पड़ता है।

-लेखिका राज.उच्च शिक्षा में कार्यरत जानी-मानी समाजशास्त्री एवं स्तम्भ लेखिका हैं

RAS 2021 में
750+
SELECTIONS

Springb
ACAD
AN INSTITUTE FOR IAS

IAS
FOUNDATION BATCH

RAS
FOUNDATION BATCH

IAS/RAS
INTEGRATED BATCH (AFTER 12th)

ONLINE & OFFLINE
EXCLUSIVE LIVE BATCH FROM CLASSROOM

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR Code स्कैन करें

GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Download from Windows Store

Riddhi - Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur 9636977490, 0141-3555948

Connect with us- Springboard Academy

WE BRING THE BEST OUT OF YOU
ard
DEMY
S & RAS
Star Achievers Who Realised Their Dreams of Civil services With Us
Nathmal Didel IAS # 2013 Rajasthan Cadre
Kana Ram IAS # 2013 Rajasthan Cadre
Ganga Singh Rajpurohit IAS # 2017 Gujarat Cadre
Mahendra Pal Gurjar IAS # 2018 Himachal Pradesh Cadre
Hemant kalal IPS #2020 Rajasthan Cadre
Jagdish Bangarwa IPS #2018 Gujarat Cadre
Surendra Lamba IPS #2013 Punjab Cadre
Maina IAS #2022 Rank #613
Sudeep Kaur IFS #2013
Surendra Meena IRS #2013
Ajitesh Meena IRS #2015
Ashok Charan IRS #2016
Narendra Asari IRS #2016
Hari Om Meena IRS #2017
Parikshit IAS #2021
RAS - 2021 Selections
Ishwar Lal Gurjar IAS 2023 Rank #644
Sachin Gurjar IAS 2023 Rank #854
5 Ranks in TOP 10, 34 Ranks in TOP 50 & 69 Ranks in TOP 100 Students
Kiran Pal RANK- 3 Class Student
Vishwajeet RANK- 4 Class Student
Bharti Gupta RANK- 5 Class Student
Aakansha Dubey RANK- 6 Interview Program
Satya Narayan RANK- 10 Interview Program
Shaheen Anjum RANK- 12 Test Series
Deepshikha Kalvi RANK- 13 Class Student
Karamveer Singh RANK- 15 Class Student
Divya Soni RANK- 16 Class Student
Gaurav Sarswat RANK- 18 Test Series
Divya Bishnoi RANK- 19 Interview Program
Sejal Shekhawat RANK- 20 Class Student
Ankur Vijay RANK- 21 Test Series
Ishwar Lal Gurjar RANK- 22 Class Student
Pooja Pareek RANK- 23 Interview Program
Narendra RANK- 24 Class Student
Mohan Choudhary RANK- 25 Class Student
Taniya RANK- 26 Class Student
Paramjeet Singh RANK- 27 Class Student
Rajat RANK- 28 Interview Program
Neeraj Gupta RANK- 31 Class Student
Kaushalya Bishnoi RANK- 32 Test Series
Vikash Sharma RANK- 34 Interview Program
Suhasi Jain RANK- 36 Class Student
Pooja Choudhary RANK- 37 Class Student
Ram Kumar Bhadu RANK- 38 Test Series
Bhajan Lal Jangir RANK- 39 Class Student
Bindia Bishnoi RANK- 40 Class Student
Himanshu Panwar RANK- 41 Class Student
Prateek Sharma RANK- 42 Test Series
Shishpal Singh RANK- 44 Class Student
Mukesh Kumar RANK- 46 Interview Program
Arjun Rathore RANK- 48 Interview Program
Navneet Kaur RANK- 49 Interview Program

महिला उत्पीड़न : विधिक प्रावधान एवं सरकारी प्रयास

डॉ. शालिनी चतुर्वेदी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट (2022) से पुष्टि होती है कि विधायी उपायों और बढ़ती हुई जागरूकता के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से सम्बन्धित अपराधों और मानव तस्करी तक भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा, गरिमा एवं कल्याण के विषय में विभिन्न तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है लेकिन यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ के कारण महिलाओं को प्राप्त उक्त मौलिक अधिकार का दिन-प्रतिदिन उल्लंघन हो रहा है। छेड़छाड़ एवं उत्पीड़न से महिलायें सामान्य जीवन नहीं जी पाती हैं। उनकी सामान्य गतिविधियों में बाधा आती है।

वस्तुत: भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक व्यापक एवं चिंताजनक मुद्दा है जो लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में देश की प्रगति को निरंतर चुनौती दे रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट (2022) से पुष्टि होती है कि विधायी उपायों और बढ़ती हुई जागरूकता के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से सम्बन्धित अपराधों और मानव तस्करी तक भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा, गरिमा एवं कल्याण के विषय में विभिन्न तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 4 लाख 45 हजार 256 मामले दर्ज किए गए अर्थात् प्रत्येक घंटे लगभग 51 प्राथमिकी (FIR)। गत वर्ष की तुलना में यह 4 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 66.4 रही, जबकि आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने की दर 75.8 प्रतिशत दर्ज की गई है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध का एक बड़ा भाग पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के रूप में रहा, कुल मामलों का यह 31.4 प्रतिशत था। महिलाओं के अपहरण 19.2 प्रतिशत, शील भंग करने के इरादे से हमला 18.7 प्रतिशत, बलात्कार के मामले 7.1 प्रतिशत रहे है।

महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की घटनाएं वर्ष 2016 में लगभग 39 हजार तक पहुंच गई थीं। वर्ष 2018 में देश भर में औसतन प्रत्येक 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ।

भारत में वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 450 से अधिक मामले सामने आए हैं। उपरोक्त आंकड़े अत्यंत चिंताजनक है।

विधिक प्रावधान

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 :** यह अधिनियम 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICCS) के गठन को अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायत दर्ज करने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है ।

- **दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013:** इसे निर्भया अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसमें यौन अपराधों के लिए दण्ड को सबल बनाया गया है, बलात्कार के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है और उत्तरजीवियों (Survivors) की सुरक्षा के प्रावधानों का विस्तार किया गया है। बलात्कार के लिए न्यूनतम दण्ड को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।

- **दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018:** अधिनियमित किया गया है जिसके अन्तर्गत 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान है। जांच और सुनवाई के लिए दो महीने का समय दिया गया है।

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) :** वर्ष 2012 में अधिनियमित यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है ।

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 :** बाल विवाह को प्रतिषेध करना। इसके द्वारा विवाह हेतु न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरूष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है ।

- **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :** घरेलू हिंसा को परिभाषित करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल उपचार करना ।

- **स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 :** यह विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों एवं अन्य →

BHARAT WOMEN B.ED. COLLEGE

WARD NO. 79, GAUSHALA ROAD, DIGARI KALLA, JODHPUR (RAJ.)

MOUNT CARMEL SCHOOL

WARD NO. 79, GAUSHALA ROAD, DIGARI KALLA, JODHPUR (RAJ.)

पूनाराम चौधरी

(पूर्व जिला प्रमुख, जोधपुर)

मो. 94144 72085

सरकारी प्रयास एवं पहल

▪ **निर्भया फंड** – सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं तत्सम्बन्धी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस हेतु नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

▪ **वन स्टॉप सेंटर और महिला हैल्पलाईन** – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24×7 आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए महिला हैल्पलाईनों के सार्वभौमीकरण की योजना शुरू की है तथा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है।

▪ **महिला पुलिस स्वयंसेवक**–इसमे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की तैनाती करना शामिल है जो पुलिस एवं समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं।

▪ **स्वाधार गृह योजना** – यह योजना आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ।

▪ **कामकाजी महिला छात्रावास योजना** : सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने वाले शहरी, अर्द्धशहरी, ग्रामीण क्षेत्रो में उनके बच्चों के लिए 'डे केयर' प्रदान करना भी है।

▪ **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** इस योजना का उद्देश्य लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं की जीविता एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना और बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं सहभागिता को समर्थन देना है।

▪ **यौन अपराधों के लिए जांच ट्रेकिंग प्रणाली**– वर्ष 2019 मे गृह मंत्रालय ने दांडिक विधान (संशोधन) अधिनियम 2018 के निर्देशानुसार यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी एवं ट्रेकिंग में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रेकिंग प्रणाली शुरू की ।

▪ **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) :** यह एकल आपातकालीन नम्बर 112 और संकटग्रस्त स्थानों पर क्षेत्रीय संसाधनों का कम्प्यूटर सहायता प्राप्त प्रेषण प्रदान करता है।

▪ **सुरक्षित शहर परियोजना (Safe City Project):** यह गृह मंत्रालय की एक पहल है जो निर्भया कांड के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण का निर्माण करना है।

▪ **जागरुकता कार्यक्रम** : सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से महिला अधिकारों पर जागरुकता को बढ़ावा दे रही हैं।

→ रीतियों से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करता है तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करता है ।

▪ **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956:** यह वेश्यावृत्ति में संलग्नता की वैधता को मान्यता देते हुए भी वेश्यालय के संचालन और ग्राहकों को लुभाने को निषेध करने वाली विधिक रूपरेखा प्रदान करने के द्वारा देह व्यापार के वाणिज्यीकरण एवं महिलाओं की तस्करी को रोकने का लक्ष्य रखता है।

यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या लैंगिक उत्पीड़न की परिधि मे आने वाली कोई घटना घटित होती है तो ऐसी घटना की सूचना निकटतम पुलिस थाने में उस महिला या उसके किसी परिजन

या किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है। ऐसे मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी परन्तु यदि ऐसी सूचना उस महिला के द्वारा दी जाती है तब प्रथम सूचना रिपोर्ट **महिला पुलिस अधिकारी** द्वारा लेखबद्ध की जायेगी। छेड़छाड़ तथा यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं में अधिकांश महिलाएं परिवार या समाज में बदनामी के डर से चुप रह जाती हैं या ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देती हैं। परन्तु महिलाओं की ऐसी चुप्पी के कारण ही मनचलों को ऐसी घटिया हरकतें दोबारा करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की घटना घटित होती है तो तत्काल ही ऐसी घटना का विरोध करना चाहिए तथा ऐसी घटना के सम्बन्ध में अपने परिजनों को अवगत कराना चाहिए एवं निकटतम पुलिस थाना में ऐसी घटना की सूचना दी जानी चाहिए।

–लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत एवं अ.भा.संस्कृति समन्वय संस्थान की कार्यकारिणी सदस्य हैं

klubba
live your passion!

STRATEGIC PARTNER
Mittsure
TECHNOLOGIES LLP

LIVE YOUR PASSION

India's first hub for extra-curricular activities
ECA & SPORTS MANAGEMENT SYSTEM
Compliant with NEP 2020

www.klubba.in

MittPRESS One of the Largest Commercial Printers in Rajasthan region | Please Contact : 9773381950, 9649699996

महिला सुरक्षा
कुछ जरूरी सावधानियां

देवी बिजानी

महिलाओं को समझना होगा कि उनकी रक्षा के लिए हर समय कोई साथ हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में उन्हें कुछ सुरक्षा संबंधी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। यहां कुछ बिंदु लिखे गए हैं जो महिलाओं के लिए स्वयं की सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं।

1. आत्मरक्षा प्रशिक्षण

उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी लेना चाहिए जिससे वे विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल सकें।

2. सतर्कता

महिलाओं को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है जिसकी सहायता से वे अपने प्रति उठने वाली गलत नजर को तुरंत पहचान लेती हैं। समय के साथ साथ उन्हें स्वयं इस प्रकार का व्यवहार रखने की आदत बनानी चाहिए कि वे अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, घटनाओं और गतिविधियों के संकेतों को पहचान सकें तथा जहां उन्हें खतरा नजर आये, तुरन्त बचाव के उपाय अपना सकें। इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना के होने से पहले ही स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगी।

3. भावनात्मक रूप से मजबूती

कई बार महिलाएं भावनाओं के अधीन अति विश्वास कर लेती है जिसके कारण समस्याओं में फंस जाती है। अत: निर्णय तार्किक आधार पर लें, न कि भावुकता में बहकर। कोई कितना ही करीबी क्यों नहीं हो, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें चाहे वह कोई नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों न हो, घर में काम करने वाला कोई सहयोगी, सहकर्मी हो अथवा कोई उच्च अधिकारी। यदि जरा सा भी संकेत मिले जिससे ऐसा लगे कि उसकी नीयत सही नहीं है तो स्पष्ट शब्दों में अपनी आपत्ति दर्ज करवा कर वहां से हट जाएं। अपने आसपास के लोगों पर विश्वास अवश्य करें परंतु साथ ही उन पर आवश्यक निगरानी भी रखें। कई बार किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त के द्वारा की गई छोटी-मोटी हरकतों को लिहाज के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिससे उसका दुस्साहस बढ़ता जाता है और उसके गंभीर परिणाम आते हैं।

4. यात्रा के दौरान सावधानी

जब भी अकेले यात्रा पर जाएं तो अपनी लाइव लोकेशन परिवार वालों के साथ शेयर रखें। स्वयं की गाड़ी से जा रही हैं तो ऐसा रूट ले जिस पर पर्याप्त आवागमन रहता हो। मिडवे पर रुकना हो तो ऐसे किसी मोटेल (होटल) या रेस्टोरेंट पर रुकें जहां परिवार सहित लोग रुके हुए दिखें। गाड़ी सुरक्षित जगह पर ही पार्क करें। पेट्रोल भरवाना हो तो भी किसी सुनसान पेट्रोल पंप की बजाय रास्ते के किसी छोटे अथवा बड़े शहर या गांव के पास के पेट्रोल पंप को प्राथमिकता दें।

यदि कोई कैब बुक करवाएं तो प्रामाणिक साइट से ही बुक करवाएं। कैब ड्राइवर तथा कैब की डिटेल परिवार के सदस्यों से शेयर करें। कैब में बैठने से पहले यह चेक कर लें कि कहीं उसके दरवाजे में चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा है। ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचें जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। हमेशा किसी प्रतिष्ठित होटल में ही रुकें। चेक इन के समय यह ध्यान दें कि होटल के कमरे या बाथरूम में कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं है। रूम सर्विस के लिए दरवाजा खोलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि रूम सर्विस के लिए आने वाला व्यक्ति होटल का कार्मिक ही है।

5. सामाजिक कार्यक्रमों, पार्टियों आदि में

सामाजिक कार्यक्रम या पार्टियों में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम महिलाओं के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। यथा संभव पैक बोतल का पानी ही पियें। किसी तरह का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ड्रिंक अथवा जूस आदि न मंगवाएं। स्वयं ही संबंधित काउंटर से जूस लें तथा उसे अपने सामने ही तैयार करवाएं।

6. सामाजिक तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी

प्रत्येक महिला को अपने सामाजिक तथा कानूनी अधिकारों की पूर्ण जानकारी हो, जिससे कि वह अपने विरुद्ध हो रहे किसी भी दुर्व्यवहार तथा शोषण का विरोध कर सके।

7. परिवार से संवाद

कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो आपके लिए आपके परिवार से अधिक संकट मोचक कोई दूसरा नहीं हो सकता। अत: अपनी समस्याओं के बारे में परिवार से चर्चा अवश्य करें।

8. सुरक्षा तकनीक का उपयोग

लाइव लोकेशन शेयरिंग, SOS, आपातकालीन डायलिंग, इमरजेंसी कॉलिंग आदि नम्बरों की जानकारी जैसी सुरक्षा तकनीक का उपयोग प्रत्येक महिला को आना चाहिए जिससे कि वह विपरीत परिस्थितियों में पुलिस से या अपने परिवारजन से संपर्क करके कम से कम समय में सहायता प्राप्त कर सके।

9. साइबर सुरक्षा

सोशल मीडिया पर यथा संभव अपनी प्रोफाइल लॉक रखें ताकि कोई अवांछित व्यक्ति उनके बारे में जानकारी न जुटा

आपातकालीन परिस्थितियों में व्यवहार

आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की सबसे पहली शर्त है आत्मविश्वास बनाए रखना। आपका आत्मविश्वास आपकी मुखाकृति और शारीरिक भाषा में नजर आना चाहिए जिससे कि अगला व्यक्ति आपको कमजोर ना समझे। देर रात्रि एकांत व अंधेरी जगह पर जाने से बचे। त्वरित निर्णय लें । यथाशीघ्र वहां से निकलकर भीड़-भाड़ वाली जगह या पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू करें। किसी वजह से स्वयं को वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं तो मदद मांगने में संकोच न करें। पूरी शक्ति से शोर मचाने में शर्म, संकोच न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर ना करें, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उसे छुपाए नहीं अपितु उसकी रिपोर्ट जरूर करवाएं अन्यथा वह अपराधी कभी नहीं पकड़ा जाएगा, न ही उसका अपराध सबके सामने आएगा। उसका दुस्साहस दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा। उसके छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदलेंगे और वह न जाने कितनी महिलाओं, युवतियों और बच्चियों को अपना शिकार बनाएगा।

पाए, उनकी स्टॉकिंग ना कर पाए। अपने फोन में ऐसी कोई तस्वीर या ऐसी कोई जानकारी सेव ना रखें जो भविष्य में आपके लिए ब्लैकमेलिंग का कारण बन सके। सोशल मीडिया पर भी अपनी ऐसी कोई जानकारी साझा ना करें जिससे कि आपको ब्लैकमेल किया जा सके या जिसका दुरुपयोग किया जा सके। जहां तक संभव हो सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों से संपर्क रखे, जिन्हें आप व्यक्तिगत अथवा चैनल सिस्टम से पहचानती हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति से निजी बातचीत ना करें जिसे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। इसके साथ किसी व्यक्ति से अपने ओटीपी शेयर ना करें। किसी प्रकार के अनजान लिंक पर क्लिक न करें, न ही कोई एप्लिकेशन अथवा सामग्री डाउनलोड करें।

10. सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

पेपर स्प्रे, छोटी टॉर्च तथा इलेक्ट्रिक शॉक जैसे उपकरण हमेशा अपने पास रखें। ये सब विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।

– लेखिका राउमावि तनावड़ा, जोधपुर में प्रधानाचार्या तथा आदर्श विद्या मंदिर, शास्त्री नगर प्रबंध समिति की सदस्य हैं

बहन-बेटियां सावधान रहें पिक्चर मॉर्फिंग से

■ *सुमित परिहार, पाली*

पिक्चर मॉर्फिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति की फोटो के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रयोग कर फोटो को इतनी दक्षता के साथ बदल दिया जाता है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लड़की की फोटो सोशल मीडिया से उठा कर, उससे अश्लील प्रोफाइल बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर उसे ब्लैकमेल किया गया। ऐसे कुछ मामलों में मानसिक रूप से परेशान हो लड़की के आत्महत्या कर लेने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे बचने के लिए लड़कियों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे :-

- सार्वजनिक वेबसाइटों पर अपने फोटो अपलोड न करें।
- अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखें।
- सोशल मीडिया पर कभी अपने हाई क्वालिटी के फोटो साझा न करें।
- ऑनलाइन ऐसे फोटो डालने से बचें, जिनमें आपका चेहरा स्पष्ट दिख रहा हो।
- सेल्फी लेते समय मुंह एकदम सीधा यानी 90 डिग्री के कोण पर न हो, अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा रखें।
- फोटो क्लिक करते समय कलरफुल चश्मा पहनना काफी असरदार तरीका है। इससे पिक्चर मॉर्फिंग सॉफ्टवेयर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
- किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फोटो एडिटिंग एप अथवा वेबसाइट के प्रयोग से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तथा यह पता लगाएं कि वे आपके डेटा को अपने सर्वर पर किस प्रकार प्रोसेस करेंगे।
- इंटरनेट से किसी भी तरह के प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पूर्व उसकी प्रामाणिकता को जांचें।
- इस प्रकार के अपराधों की शिकायत cybercrime.gov.in पर अथवा 1930 पर करें।

जाग नारी जाग

-शैला माहेश्वरी

जाग नारी, जाग नारी,
शक्ति है तू,भक्ति है तू ,
भावों की अभिव्यक्ति है तू
सर्जना तू चेतना तू,
जन-मन की प्रेरणा तू
रुद्रकाली, भद्रकाली,
संहारक महाकाली
जगत जननी, जगधात्री,
महागौरी प्रतिपाली
वीरों की प्रसूता तू,
जाग नारी, जाग नारी।।

संस्कृति की रक्षिता तू ,
जाग नारी, जाग नारी।
खड्ग खप्पर धारिणी,
महिषासुर मर्दिनी
चंड मुंड नाशिनी,
कालिका कपर्दिनी
प्रीति तू प्रतीति तू ,
योगिनी वियोगिनी
कन्या भगिनी भार्या वधू ,
पौरुष अर्धांगिनी
बढ़ रहे हैं व्याभिचारी,
जाग नारी,जाग नारी।।

भारती पुकार रही,
जाग नारी,जाग नारी।
मान पर जो आंच आई,
यज्ञ में विध्वंस हुआ
प्रतिशोध की ज्वाला जगी,
कौरव कुल ध्वंस हुआ
अटल अडिग अविचल तू,
याद कर पार्वती का प्रण,
स्वाभिमानी राष्ट्र प्रहरी,
भूल मत वो झांसी का रण
कंटकों का दमन कर,
जाग नारी, जाग नारी
वीरता का तिलक कर,
जाग नारी, जाग नारी।।

-लेखिका वर्तमान में डॉ. राधाकृष्णन महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर में संगीत व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं

सेवा बस्ती में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा-एक चुनौती

डॉ. सुनीता अग्रवाल

सेवा बस्तियों में पुरुष वर्ग या तो कमाता नहीं और अगर कमाता भी है तो शराब में सारे पैसे बर्बाद कर देता है। साधारणत: हर घर की यही कहानी है। महिला काम पर जाती है, नशे में पति की मार भी खाती है। पड़ोस का कौन शराबी कब घर में प्रवेश कर जाए कुछ कह नहीं सकते। इन्हीं बस्तियों से 13-14 साल की बच्चियों के वेश्यावृति में जाने की बात भी सामने आयी है। इन बस्तियों की महिलायें कहती हैं कि 'हम काम कर बच्चों को बड़ा कर सकते हैं आप केवल शराब बंद करवा दो।'

आज कल वैश्वीकरण के युग में पाश्चात्यवाद को आधुनिकता का नाम देकर समाज विघटन की ओर जा रहा है एवं अपनी जड़ों को युवक-युवतियाँ भूलते जा रहे हैं। इंटरनेट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो परोसा जा रहा है समाज के हर तबके को प्रभावित कर रहा है। स्मार्ट फोन का सस्ते दामों में उपलब्ध होना, इंटरनेट की उपलब्धता सेवा बस्ती में रहने वाले नाबालिग युवाओं को दिग्भ्रमित करती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का बेलगाम होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव

अगर हम सेवा बस्ती में रहने वाली महिलाओं की बात करें तो उनके साथ अनगिनत समस्याएँ हैं। केन्द्र सरकार के 'हर घर शौचालय' का अभियान चलाने के बाद भी कुछ घुमंतू जातियों की महिलाओं को शौच एवं स्नान के लिए खुले में ही जाना होता है जो उनकी सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होता है। कई सेवा बस्तियों में कॉमन शौचालय पाए जाते हैं जिसकी वजह से छेड़खानी की घटनाएं देखी जाती है।

बेलदारी करने जाने वाली महिलाओं को भी वहाँ काम करने वाला पुरुष वर्ग मुख्यत: ठेकेदार किस नजर से देखता है और उनकी गरीबी का किस तरह लाभ लेना चाहता है कहा नहीं जा सकता। जो महिलायें कम्पनी में काम करती हैं, वहाँ महिलाओं के लिए अलग शौचालय एवं विश्रामगृह अथवा बच्चों के लिए बाल गृह का नियम है परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है जिससे वहाँ काम करने वाली महिला अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है।

आप केवल शराब बंद करा दें

बस्तियों में घर चलाने की जिम्मेदारी साधारणत: महिलाओं की ही होती है क्योंकि सेवा बस्तियों में पुरुष वर्ग या तो कमाता नहीं और अगर कमाता भी है तो शराब में सारे पैसे बर्बाद कर देता है। साधारणत: हर घर की यही कहानी है। महिला काम पर जाती है, नशे में पति की मार भी खाती है। चूंकि हर घर की यही कहानी है, अपने और अपनी बच्चियों को काम पर जाते वक्त घर पर छोड़ कर जाने में भी असुरक्षित महसूस करती है । पड़ोस का कौन शराबी कब घर में प्रवेश कर जाए कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा बच्चे और ऐसी समस्याओं के बीच बच्चों को शिक्षा एवं अच्छी देखभाल करने में भी असमर्थ महसूस करती हैं। इन बस्तियों में काम करते समय ध्यान में आता है कि गरीबी के कारण कुछ माता-पिता अपनी बच्चियों को बेचने तक का कदम उठाते हैं । मेरी आँखों देखी बात है। इतना ही नहीं, इन्हीं बस्तियों से 13-14 साल की बच्चियों के वेश्यावृति में जाने की बात भी सामने आयी है। अब ऐसे में इन बच्चियों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनकी गरीबी एवं शराब को ही मैं जिम्मेदार मानती हूँ। जब मैं इन बस्तियों में घूमती हूँ तो महिलायें मुझसे कहती हैं कि 'हम काम कर बच्चों को बड़ा कर सकते हैं आप केवल शराब बंद करवा दो।'

सरकार को शराब से मिलने वाले टैक्स से जितनी आय होती है संभवत: शराब की वजह से होने वाले अपराधों पर शायद उससे कहीं अधिक व्यय करते होंगे। शराब के बंद होने से समाज की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। महिलाओं से जितनी भी वारदातें हुई है बिना इसके सेवन के नहीं होती। मेरा मानना है कि इसका उपयोग समाज से हटाना महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा की तरफ एक अच्छा कदम माना जाएगा।

-लेखिका परिष्कार कॉलेज, जयपुर में सहायक आचार्य व 'मनसा' में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है

श्री भजनलाल शर्मा
मा.मुख्यमंत्री

श्री जोराराम कुमावत
पशुपालन व डेयरी मंत्री

श्री जवाहर सिंह बेढम
डेयरी राज्यमंत्री

सरस
स्वाद... राजस्थान का!

रिश्तों की मिठास, सरस के साथ

अपनों को दें सरस मिठाई का उपहार

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

संपूर्ण राजस्थान में एक साथ उपलब्ध।

शुद्ध सरस दूध और घी से बनी मिठाइयाँ

- अलवर का कलाकंद
- भीलवाड़ा की बर्फ़ी
- बीकानेर का रसगुल्ला गुलाब जामुन, राजभोग और सोन पापड़ी
- अजमेर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ का पेड़ा

सरस अमृतम् अभियान

असली सरस घी की पहचान, अब होगी बहुत आसान

क्यू आर कोड स्कैन करें और पायें

सरस घी की शुद्धता की पहचान के साथ मौका

₹5,000

(लॉटरी द्वारा प्रथम 200 चयनित ग्राहकों को)

तक कैश प्राइज़ जीतने का

राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर

श्री भजनलाल शर्मा
मा.मुख्यमंत्री

Phone No.: 02933-252925 Emali Id:combsumerpur60@yahooo.com

नगरपालिका, सुमेरपुर

स्वच्छ भारत मिशन के तहत आओ हम सब कदम बढाएं

मिलकर सुमेरपुर को स्वच्छ बनाएं, सुमेरपुर की शान बढाएं

श्री जोराराम कुमावत
पशुपालन व डेयरी मंत्री

समस्त नागरिकों से अपील

- अपने घर/भवन/दुकान / कार्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करें, कचरा पात्र रखें एवं कचरा निर्धारित कचरा डिपो पर डाले।
- सड़क, नाली, गलियों, खाली भूमि, उद्यानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा मलबा भवन निर्माण सामग्री ना डालें।
- बस स्टेण्ड/विद्यालयों/अस्पतालों/सड़कों/गलियों/ घरोहर आदि को साफ रखने में सहयोग दें। पार्को/बाजारों / सार्वजनिक
- ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थानों से कचरा मलबा व पुराने अनुपयोगी वाहन हटायें।
- घर में शौचालय/मूत्रालय साफ रखें।
- किसी भी सम्पत्ति, भवन, स्मारक, मूर्ति, पाईप लाईन, दीवार, सड़क, पेड़, खम्भों आदि पर पेन्टिंग व पोस्टर न चिपकाएं, न ही बैनर लगाकर विरूपित करें।
- सार्वजनिक स्थानों / सडकों आदि पर पशुओं को न छोडें एवं उनको चारा भी न डालें, चारा गौशालाओं में ही डलवाएं।
- पॉलीथिन की थैलियों का उपयोग न करें पॉलीथिन की थैलियां हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाती ही है साथ ही पशुओं के पॉलीथिन खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। जूट व कपड़े के थैले अपनायें।
- हर नागरिक सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बने।

(उषा कंवर राठौड़)
अध्यक्ष, नगर पालिका सुमेरपुर

(चत्रभुज शर्मा)
उपाध्यक्ष, नगर पालिका सुमेरपुर

हम है स्वच्छता के सजग प्रहरी स्वच्छ स्वर्ण सुमेरपुर सुन्दर सुमेरपुर

समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।

समस्त पार्षदगण
नगर पालिका मण्डल सुमेरपुर

(नरपत सिंह, राजपुरोहित)
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सुमेरपुर

क्रिश्चिएनिटी और वुमन *

डॉ. शुचि चौहान

विदुषी लेखिका ने क्रिश्चिएनिटी में वुमन की स्थिति पर प्रस्तुत लेख में व्यापक चर्चा की है। माना गया कि वुमन में न तो आत्मा होती है और न ही वह पर्सन (व्यक्ति) है, इसलिए उसे वर्षों तक वोट देने के अधिकार से भी वंचित रखा गया। वुमन मैन को आकर्षित कर उसे पतित बनाती है। लेख में क्रिश्चिएन विद्वानों के कथनों का व्यापक उल्लेख करते हुए विषय का प्रतिपादन किया गया है। अपनी स्थिति से त्रस्त वुमन ने संघर्ष करते हुए कैसे अपनी दशा सुधारी इसको भी यहां रेखांकित किया गया है।

क्रिश्चिएनिटी एक अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें एक गॉड है, एक गॉड का मैसेंजर है, एक बुक है और चर्च है। चर्च के पादरी बुक की मान्यताओं के अनुसार क्रिश्चिएनिटी के सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार करते हुए क्रिश्चिएनिटी का अनुसरण करने वालों से उनकी अनुपालना करवाते हैं। इसलिए हमें क्रिश्चिएनिटी में वुमन की स्थिति को समझने से पहले वुमन को लेकर चर्च की रिलीजियस मान्यताओं के बारे में जानना होगा। क्रिश्चिएनिटी के अनुसार, गॉड ने सृष्टि को 6 दिन तक बनाया, सातवें दिन आराम किया। 6ठे दिन सबको बनाने के बाद गॉड ने अपने जैसा मैन (एडम) बनाया और उसे गार्डन ऑफ ईडेन में रखा। एक दिन गॉड ने देखा, एडम उदास है तो उसने उसकी पसली से ईव बनाई, जिसे वुमन कहा गया। गॉड ने कहा तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, फूलो-फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। बस निषिद्ध फल मत खाना। लेकिन ईव शैतान के कहने में आ गई, शैतान ने उसे कहा तुम यह फल खा लो, इससे तुम्हें सद् असद् के ज्ञान की प्राप्ति होगी। ईव ज्ञान पाने का लोभ संवरण नहीं कर पायी, उसने स्वयं भी वह फल खाया और एडम को भी खिला दिया। फल खाते ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और स्वयं को नग्न देखकर उन्हें शर्म आयी, तो उन्होंने पत्तों से अपने आपको ढक लिया। गॉड ने यह देखा, तो नाराज होकर उन्होंने दोनों को गार्डन ऑफ ईडेन से निकाल दिया और शाप दिया कि अब तुम दुख, थकान और मृत्यु भोगोगे। अब चूंकि ईव ने एडम को फल खिलाया था, इसलिए उसे कुछ अधिक शाप मिले। जैसे- उसे गर्भ धारण करना होगा, प्रसव पीड़ा होगी, माहवारी होगी, स्वयं पर हक नहीं होगा, मैन के अधीन रहना होगा आदि। यहीं से क्रिश्चिएनिटी के मूल पाप के सिद्धांत ने जन्म लिया, जो वुमन पर बहुत भारी पड़ा।

क्रिश्चिनिएटी कहती है कि गॉड ने एडम और ईव को निष्पाप बनाया। उनके द्वारा निषिद्ध फल खाने से पहले तक संसार में कोई पाप, रोग या मृत्यु जैसे दु:ख नहीं थे। सारे पाप बाद में फैले। पादरी ऑगस्टीन का मत है कि एडम और ईव निषिद्ध फल खाने से पहले भी समागम करते थे, लेकिन उनमें आवेग नहीं था। फल खाने के बाद मैन के लिए समागम आकर्षण बन गया, मैन का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए सेक्स ओरिजनल सीन है और ईव उसका कारण। ईव यानि वुमन मैन को आकर्षित कर उसे पतित बनाती है और बच्चे को जन्म देकर पाप का प्रसार करती है। इस सिद्धांत का समाज पर व्यापक असर हुआ, वुमन को मैन का दुश्मन माना जाने लगा और उसको नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए गए। न्यू टेस्टामेंट में पादरी पॉल कहता है कि मैं वुमन को निर्देशित करता हूं, वे साधारण कपड़े पहनें, गहने न पहनें, बाल न संवारें, मैन को कुछ सिखाने का साहस न करें, चुप रहें। पादरी टर्टूलियन लिखता है, हर वुमन ईव है। गॉड ने उसे सेक्स का जो दण्ड दिया है, उसके अंदर हमेशा उसकी ग्लानि रहनी चाहिए। अच्छी वुमन वही है, जो मैन को

** इस लेख में गॉड, मैन, वुमन, वाइफ, हस्बैंड आदि अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, जो एक बार पाठकों को अजीब लग सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शब्द की रचना देश, काल, परिस्थिति और वहाँ की मान्यताओं के अनुसार होती है। कई बार किसी दूसरी भाषा में उनका अनुवाद संभ्रम पैदा करता है। वे समानार्थी लगते हैं, पर होते नहीं हैं। जैसे चर्च की मान्यताओं के अनुसार, गॉड हैवेन में कहीं रहता है, मैन गॉड के समरूप है, वुमन मैन की पसली से बनी है, जिसे बहुत समय तक आत्माविहीन माना गया, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि हिन्दू मान्यताओं के अनुसार, परमेश्वर कण कण में व्याप्त है, स्त्री-पुरुष एक बीज के दो दलों के समान हैं। दोनों ही परमेश्वर का रूप हैं, विवाह एक संस्कार है। इसी प्रकार हस्बैंड (मालिक), वाइफ (हस्बैंड की डोमेन), फैमिली (जिसमें वुमन का कोई स्थान नहीं), सेंट (चर्च के एजेंट), रिलीजन (बाइबिल / कुरान में लिखी बातों का पालन करना) आदि भी क्रमश: पति, पत्नी, परिवार, संत, धर्म के पर्यायवाची नहीं हो सकते। अत: इनका अनुवाद उचित नहीं जान पड़ता।*

आकर्षित न करे। जेरोम लिखता है, हर वुमन मैन की दुश्मन है, वह हैरलॉट (harlot) यानि वेश्या जैसी है, वह मैन को लुभाकर नष्ट कर देगी। ऑगस्टीन कहता है, पुरुष वीर्य पुरुष को ही जन्म देता है, उसमें कोई दोष आ जाने से वुमन जन्म लेती है। पादरियों ने यह भी धारणा फैलायी कि, सच्चा प्रेम वह है जहाँ सेक्स हो ही न। मैरिज करें, लेकिन सेक्स घृणित है। मैरिज को लीगल प्रॉस्टीट्यूशन तक कहा गया, वहीं दूसरी ओर बिना सेक्स की मैरिज को क्रिश्चियन लव कहा गया और वर्जिन मैरी का मिथ गढ़ा गया। इस मिथ ने खूब लोकप्रियता पायी, जिसके चलते मान्यता बनी कि वुमन बिना सेक्स किए माँ बने तो वह कम पापिणी है। बिना सेक्स का जीवन ही वुमन के लिए क्रिश्चियन सैक्रीफाइस है। चर्च ने इन मान्यताओं को इतना फैलाया कि क्रिश्चियन समाज में कई प्रकार के मनोरोगों, कुंठा और विषाद ने जन्म लिया। वुमन जब इन आदर्शों पर खरी नहीं उतरी, तो उसे ईविल, शैतान, टेम्पट्रेस माने जाने की मान्यता और गहरे घर करने लगी। उन्हें विच कहा जाने लगा। 15वीं सदी में शुरू हुआ यह उन्माद इतना बढ़ा कि 17वीं सदी आते आते लाखों वुमन विच बता कर मार डाली गईं। समाज में धारणा बनायी गई कि ये विच डेविल से समागम करती हैं, शैतान की पूजा करती हैं, गॉड को जो सम्मान देना चाहिए, वह यह डेविल को देती हैं, इसलिए इन्हें ढूंढ-ढूंढकर मारो। वे विच हैं, क्रूरता से दंड देकर उनसे यह स्वीकारोक्ति भी करायी जाती। इसके लिए inquisitors नियुक्त किए गए। विच क्राफ्ट चर्च का रिलीजियस ऑर्डर था।

यूरोपीय देशों में शताब्दियों चली इस यंत्रणा से वुमन ही नहीं मैन भी त्रस्त हो चुके थे। इस चरम यंत्रणा के चलते वुमन एकजुट हुईं। 1886 में उन्होंने White Cross Society बनायी, जिसके सदस्यों को पांच प्रण दिलाए गए19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक यूरोप में वुमन ने स्वयं को पर्सन माने जाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, जिसे फेमिनिस्ट मूवमेंट की पहली वेव कहा गया।

वर्ष 1484 में पोप इनोसेंट अष्टम ने Summa desiderantes नाम से एक आदेशपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि जर्मनी में sexual anxiety की महामारी फैली है, मैन सब नपुंसक होते जा रहे हैं और वुमन गर्भधारण में अक्षम। इसका कारण विच हैं। पोप ने पादरी जैकब स्प्रेंगर को विच को ठीक करने के उपाय बताने की जिम्मेदारी सौंपी। तो उसने उपाय स्वरूप एक पुस्तक लिखी Malleus Maleficarum, जिसमें inquisitors द्वारा विच परीक्षण कैसे करें, विच मैन पर आक्रमण कैसे करती हैं, कैसे वुमन की प्रजनन शक्ति नष्ट कर देती हैं, कैसे मैन के जननांग जादू से गायब कर देती हैं, उसे चौपाया बना देती हैं, कामोद्वेग भड़काती हैं आदि अनेक बातें लिखीं। वर्ष 1487 में इसे कोलोन यूनिवर्सिटी ने मान्यता देकर पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद इस पर और भी पुस्तकें लिखी गईं। चर्च और स्टेट द्वारा विच स्वीकारोक्ति कराने और विच क्राफ्ट के तरीके और रेट तय किए गए। फ्रांस थोड़ा महंगा था। जैसे, किसी वुमन को खौलते तेल में उबालने के फ्रांस में 48 फ्रैंक लगते थे तो इंग्लैंड में 1 शिलिंग, कोई भी मैन अपनी वाइफ, मदर, सिस्टर व डॉटर या किसी भी वुमन को विच बताकर जिंदा जलवा सकता था, इसके 28 फ्रैंक लगते थे, जिंदा रहते चमड़ी उतारने के 28 फ्रैंक, गर्म सलाख से दागने के 10 फ्रैंक। उन्हें पानी में डुबोकर, घोड़े से बांधकर खिंचवा कर, नाक कान काटकर व अनेक अन्य तरीकों से स्वीकार करवाया जाता था कि उनके शैतान से सम्बंध हैं। बर्बर यंत्रणा के बाद जब वे शैतान से अपने सम्बंधों की स्वीकारोक्ति कर लेती थीं, तब जज इन्हें मृत्युदण्ड देते थे। एक अनुमान के अनुसार, 1484 से लेकर 1784 तक के काल में 90 लाख वुमन को विच बताकर मारा गया। यह क्रम 20वीं सदी तक चला। जिस परिवार में एक भी विच पायी जाती थी, उसकी सारी सम्पत्ति चर्च की हो जाती थी, विच क्राफ्ट के मामलों का पैसा भी चर्च को मिलता था, इससे चर्च अमीर हो रहे थे और उनका वर्चस्व भी बढ़ रहा था। जो वुमन चर्च, पादरियों या क्रिश्चियन सेंट्स के चंगुल में नहीं फंसती थीं, वे विच हैं ऐसा कन्फेस करवा कर मार दी जाती थीं।

वुमन के गुनाहों का मामला तो ऐसा था कि यदि किसी वुमन ने अपने हस्बैंड के साथ वर्जित दिनों में सेक्स कर लिया, तो वह अपराधी थी। यहाँ तक कि उन वर्जित दिनों में यदि उसे गर्भ ठहर गया, तो वह बच्चा नाजायज माना जाता था। वर्जित दिन भी ऐसे, कि रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सेक्स वर्जित था क्योंकि रविवार को जीसस का पुरुत्थान हुआ था, सोमवार को मृतकों को श्रद्धांजलि स्वरूप, बुधवार काम प्रसंग वर्जित दिन होने के कारण, गुरुवार को जीसस गिरफ्तार किए गए थे, शुक्रवार को जीसस की मृत्यु हुई थी, शनिवार क्राइस्ट की मदर मरियम की याद का दिन होता है, इसलिए सेक्स नहीं कर सकते, फिर यदि वुमन रजस्वला है या बच्चा छोटा है और वह उसको दूध पिलाती है, तब भी सेक्स वर्जित था। यदि उसने इन दिनों में सेक्स किया, तो उसे चर्च में पादरी के सामने कन्फेस करना पड़ता था कि हस्बैंड के साथ के समय उसके मन में सेक्स सुख सम्बंधी विचार आए, जो पाप हैं, मिलन के समय उसके मन में आत्मधिक्कार स्थिर नहीं रहा कि एडम के पतन का कारण वह थी, वह शैतान का उपकरण है, उसके मन में उस समय खुशी के भाव आए, जो पाप है, आदि। इसके बाद सजा स्वरूप उस वुमन को चर्च के आंगन में सफेद चादर ओढ़कर खड़े रहना पड़ता था। नाजायज बच्चे को जन्म देने वाले जोड़े को पादरी कोड़े मारते हुए पूरे गाँव में घुमाते थे। वुमन को नियंत्रण में रखने के लिए चर्च के कुछ अन्य कानून भी थे। जैसे, स्टेट और चर्च का मानना था कि मैन deity का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, वुमन को उसके सामने विनम्र (submissive) रहना चाहिए।

मैन का कहना न मानना चर्च और स्टेट दोनों की दृष्टि में गॉड के प्रति सीधी अवज्ञा थी। इंग्लैंड में यह राजद्रोह था। ऐसी गलती करने वाली वुमन को चाबुक से मारने का प्रचलन था और चाबुक का साइज क्या होना चाहिए, यह कानून द्वारा निर्धारित था। हस्बैंड ने किसी बात पर वुमन की पिटायी की और वह घायल हो गयी, तब

भी उसके पेरेंट्स समेत कोई रिश्तेदार उसे शरण नहीं दे सकता था। मैरिज होते ही वुमन की सम्पत्ति हस्बैंड की हो जाती थी, जिसे वह अपनी मिस्ट्रेस या नाजायज बच्चों, जिनका वह फादर है, को कानूनन दे सकता था (इंग्लैंड का The Birchall Case)। ब्रदर सिस्टर को कानूनन बेच सकता था। पादरी अपनी मदर या सिस्टर से भी सेक्स कर सकता था (बस मैरिज की अनुमति नहीं थी)। क्रिश्चियन चर्च का मानना था, कि वुमन एक पर्सन नहीं बल्कि मैन की खेत है। जैसे एक खेत में फेथ, बुद्धि (intellect), या इच्छा (will) नहीं होती, उसी तरह वुमन की सोच (think) या इच्छा (wish) नहीं होती। वे और कुछ नहीं बस हस्बैंड का क्षेत्र (domain) होती हैं। उनके बच्चे उनके नहीं होते, हस्बैंड के होते हैं। वह उनको वह सिखा या पढ़ा नहीं सकतीं जो उनका विश्वास है। बच्चों का मालिक फादर और वाइफ का मालिक हस्बैंड है (Women's Suffrage Journal)। वुमन को बाइबिल पढ़ने का अधिकार नहीं था। वे पादरी नहीं बन सकती थीं। मैरिज के समय कैथोलिक क्रिश्चियन वुमन को आज भी यह प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वह अपनी बॉडी इस वेडिंग रिचुअल को अर्पित कर रही है, हस्बैंड ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता। 20 वीं सदी में भी मैरिज के बाद प्रायश्चित स्वरूप नई विवाहिता को पहली तीन रात फ्यूडल लॉर्ड की 'सेवा' में रहना अनिवार्य था।

वुमन का संघर्ष

यूरोपीय देशों में शताब्दियों चली इस यंत्रणा से वुमन ही नहीं मैन भी त्रस्त हो चुके थे। इस चरम यंत्रणा के चलते वुमन एकजुट हुईं। उन्होंने प्रमाणित किया कि मैन अधिक दुराचारी हैं। लंदन के 25 लाख मैन में से 10 लाख वेश्यागामी हैं, जिसके चलते 1 लाख वुमन को वेश्याकर्म करना पड़ रहा है।

1886 में उन्होंने White Cross Society बनायी, जिसके सदस्यों को पांच प्रण दिलाए गए-

1. स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, उन्हें अपमान और अत्याचार से बचाने का प्रयास करेंगे।
2. स्वयं को शुद्ध बनाए रखेंगे।
3. शुद्धता का नियम स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होगा।
4. भद्दी भाषा और भंगिमाओं का विरोध करेंगे।
5. समाज में उपर्युक्त बातों का प्रचार करेंगे।

19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक यूरोप में वुमन ने स्वयं को पर्सन (person) माने जाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, जिसे फेमिनिस्ट मूवमेंट की पहली वेव कहा गया। इसके लिए उन्होंने अनेक मुकदमे लड़े, जिन्हें पर्सन्स केस कहा गया। तब वहां लड़कियों को यह कहकर कॉलेज/यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता था कि तुम पर्सन नहीं हो। उन्हें इंसान और जानवर के बीच कोई आत्माविहीन प्राणी माना जाता था, साथ ही कहा जाता था कि वे गॉड का आफ्टर थॉट हैं। इसलिए दोयम हैं। आत्माविहीन व पर्सन न होने की धारणा के चलते उन्हें जनगणना में शामिल नहीं किया जाता था। उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें यह अधिकार न्यूजीलैंड में वर्ष 1893 में, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, फिनलैंड में वर्ष 1906 में, नार्वे में वर्ष 1913 में, अमेरिका में 1920 में और ग्रीस में 1952 में मिला। **एक समय दुनिया को सभ्य बनाने का दावा करने वाले इंग्लैंड में तो वहाँ की अदालत ने 1929 में माना कि वुमन भी पर्सन है, उसमें आत्मा होती है।** यूरोपियन वुमन ने गर्भनिरोधक उपायों को अपनाने व एबॉर्शन के लिए भी लम्बी लड़ाई लड़ी। क्योंकि चर्च के अनुसार, ईव को गॉड का शाप है कि वह गर्भ धारण करे, उसे प्रसव पीड़ा हो। इन उपायों को अपनाने से वह गॉड के उन शापों से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्त्रियों को बपतिस्मा स्त्रियां ही दें, यह भी मांग रखी। जिसे आज तक नहीं माना गया। कुछ समय पहले तक कई स्थानों पर स्त्रियों को निर्वस्त्र कर उनके पूरे शरीर पर तेल मलकर बैपटाइज करने की परम्परा थी, जिसे पादरी ही अंजाम देते थे।

चर्च शुरू से मैरिज का घोर विरोधी रहा। उसकी दृष्टि में केवल वही लड़की पवित्र है, जिसने मैरिज नहीं की, जो चर्च में नन बनकर क्रिश्चिएनिटी को आगे बढ़ाने के लिए आजीवन समर्पित है। अनमैरिड वुमन चर्च की दृष्टि में घोर तिरस्कृत है, इसकी तुलना में मैरिड वुमन को ठीक माना जाता है क्योंकि वह शपथबद्ध है। **आज क्रिश्चियन देशों में जो खुलापन दिखता है, वह स्टेट द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कानूनों के कारण है, जो वहां की स्त्रियों ने सतत संघर्ष से प्राप्त किया हैं, वरना जिन स्थानों पर चर्च हावी है, वहां उनका संघर्ष कम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं।**

(संदर्भित पुस्तक: Woman Church and state by matilda joslyn gage)

- लेखिका विश्व संवाद केन्द्र,जयपुर की निदेशक हैं

अब महिलाएं भी हैं फाइटर पायलट

राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, म.प्र. की रीवा निवासी परंतु वनस्थली विद्यापीठ से शिक्षा लेने वाली अवनी चतुर्वेदी एवं बिहार की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ-तीनों भारत की पहली महिला फायटर पायलट (लड़ाकू विमान उड़ाने वाली) घोषित की गई। इन तीनों को 2016 में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया ।

श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

श्री जोराराम कुमावत
कैबिनेट मंत्री

श्री झाबर सिंह खर्रा
स्वायत्त शासन मंत्री

श्री पीपी चौधरी
स्वायत्त शासन मंत्री

श्री ललित कुमार रांकावत
अध्यक्ष न.पा.तखतगढ़

श्री मनोज नामा
उपाध्यक्ष,न.पा.तखतगढ़

कार्यालय नगर पालिका तखतगढ़ जिला-पाली(राज.)

तखतगढ़ नगर पालिका मण्डल की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को दिपावली पर्व 2024 के अवसर पर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा तखतगढ़ को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करे।

1. अपने वार्ड एवं घरों के सामने स्वच्छता बनाये रखें ।
2. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें ।
3. पॉलिथीन बैग का उपयोग नहीं करें।
4. अधिक ध्वनि के पटाखे ना जलायें जिससे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न करें ।
5. घास-फूस से बने मकानों एवं लकड़ी से बने मकानों के आस-पास आतिशबाजी नहीं करें।
6. सभी दुकानदार अपने दुकानों का कचरा नियत स्थान पर ही डालें भूमिगत नालों में नहीं डालें ।
7. शहर में किसी भी तरह के हॉर्डिंग्स व बैनर आदि बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति के ना लगायें ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रतिपक्ष नेता : अनराज मेवाड़ा, नगरपालिका, तखतगढ़।

सदस्यगण : श्री जगदीश कुमार, श्रीमती सविता देवी कुमावत, श्रीमती अम्बा देवी रावल, देवाराम चौधरी, श्रीमती नारंगी कुमारी कुमावत, सुरेश कुमार सुथार, श्रीमती संजु चौधरी, श्रीमती गीता देवी मीणा, श्रीमती लक्ष्मी देवी प्रवासी, प्रशांत मेवाड़ा,विक्रम कुमार, रमेश कुमार सोलंकी, सूरज कुमार वाल्मीकि, सुश्री शर्मिला कुमारी, श्रीमती सुशीला कुमारी मेघवाल, लक्ष्मण राम घांची, भंवरलाल मीणा, डॉ. चन्दनमल गांधी, राजेश कुमार कुमावत, श्रीमती रेणु शेखावत, प्रकाश कुमार सोलंकी, श्रीमती दारमी सुथार एवं समस्त पालिका स्टाफ नगर पालिका तखतगढ़।

(मगराज चौधरी)
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका तखतगढ़

सीमा हिंगोनिया

यौन अपराध मुकदमों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता

महिलाओं और बालिकाओं से होने वाले यौन अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि 80-90प्रतिशत अपराध घर, परिवार, रिश्तेदार या बहुत ही नजदीकी व्यक्ति द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन सभी अपराध दर्ज नहीं होते या करवाए नहीं जाते हैं जिससे अपराधियों में सजा का खौफ नहीं होने से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

वर्तमान में पुरुष की विक्षिप्त मानसिकता के चलते बालिकाओं से यौन अपराध बहुत ही छोटी सी उम्र से शुरू हो जाते हैं जहां वह किसी को यह बताने में या तो सक्षम नहीं है या डर कर बताती नहीं है और इसी का फायदा पुरुष उठाता है।

हमारे परिवार व समाज का सामाजिक परिवेश भी इसी तरह का है जहां बच्चियों को अक्सर डरा सहमा कर रखा जाता है। संस्कारों के नाम पर बच्चियों को कम बोलने, चुप रहने, सब कुछ चुपचाप सहने की सलाह ही दी जाती है। बच्चियों के साथ साथ महिलाओं को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है कि जो महिला घर, परिवार, समाज में सारे अत्याचार चुपचाप सहन कर रही है वह तो श्रेष्ठ है और जो किसी भी तरह की हिंसा या यौन शौषण के खिलाफ आवाज उठा रही है वो चरित्रहीन या सामाजिक बदनामी का कारण मान ली

जाती है।

अक्सर अपने प्रति होने वाले यौन अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाना तथा थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की राह एक उम्र दराज महिला के लिए भी आसान नहीं है तो एक बालिका के लिए तो असंभव सी बात है कि वह इस अपराध पर खुल कर बोले, फिर अपराधी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा सके और न्याय के लिए कोर्ट कचहरी, थानों में जाकर संघर्ष कर सके, असंभव सा है।

ऐसे में त्वरित न्याय दिलवाने हेतु आवश्यक है कि अपराध दर्ज करवाने वाली और न्याय प्राप्ति की समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन कर आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया जाए।

न्याय प्राप्ति प्रक्रिया में तकनीकी का इतना सरलतम स्वरूप तैयार किया जाए कि बालिकाओं को एक क्लिक पर ही समस्त सहयोगी संस्थाओं की जानकारी मिले, काउंसलिंग और गाइडेंस मिले, एक फोन पर ही तुरंत सेवा प्रदाता यानी न्याय की प्रथम सीढ़ी पुलिस का रिस्पॉन्स प्राप्त हो और उसके साथ यदि घर का सबसे नजदीकी व्यक्ति भी अपराध करे तो बिना किसी सहारे के वह स्वयं निडरता से अपराध का रजिस्ट्रेशन अपने आप कर सके। आगे की समस्त प्रक्रियाएं भी जैसे बयान आदि भी बिना डरे सहमे या दबाव से मुक्त वातावरण में खुद से ऑनलाइन दे सके। यदि बच्चियों और महिलाओं को घर बैठे ही न्याय प्राप्ति हेतु ऑनलाइन समस्त सुविधाएं मिल जाएं और साथ ही गोपनीयता भी बनाए रखने हेतु आश्वस्त किया जाए तो अधिकांश बालिकाएं इन मामलों में खुल कर बोल और लिख पाएंगी।

इससे एक बार तो थानों में मुकदमों की संख्या तो बढ़ेगी जो अपराध के उच्च स्तर को दिखाएंगी लेकिन एक समय ऐसा आयेगा जब बच्चियां और महिलाएं पुरुष की विक्षिप्त आपराधिक मानसिकता से मुक्त होंगी। समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते आपराधिक ग्राफ पर लगाम लगेगी और अपराधों में धीरे-धीरे कमी होने लगेगी। आधुनिक समय में समस्त ऑनलाइन प्रक्रिया उनमें बोलने और न्याय के लिए संघर्ष करने का जज्बा पैदा करेगी।

-लेखिका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमांडेंट,आरएसी थर्ड बटालियन बीकानेर हैं

श्री भजनलाल शर्मा
मा.मुख्यमंत्री

कार्यालय नगर पालिका खुडाला फालना स्टे. (राज.)

टेलि.नं./फैक्स नं. (02938) 236170/236115 ई मेल- eombfalna@gmail.com

श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत
विधायक बाली

स्वच्छ भारत मिशन के तहत आओ हम सब कदम बढ़ाएं
मिलकर खुडाला फालना को स्वच्छ बनाएं खुडाला फालना की शान बढ़ाए

समस्त नागरिकों से अपील

- अपने घर/भवन/दुकान / कार्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करें, कचरा पात्र रखें एवं कचरा निर्धारित कचरा डिपो पर डाले।
- सड़क, नाली, गलियों, खाली भूमि, उद्यानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा मलबा भवन निर्माण सामग्री ना डालें।
- बस स्टेण्ड/विद्यालयों/अस्पतालों/सड़कों/गलियों/ पार्कों/बाजारों/ सार्वजनिक ऐतिहासिक धरोहर आदि को साफ रखने में सहयोग दें।
- सार्वजनिक स्थानों से कचरा मलबा व पुराने अनुपयोगी वाहन हटायें।
- घर में शौचालय/मूत्रालय साफ रखें।
- किसी भी सम्पत्ति, भवन, स्मारक, मूर्ति, पाईप लाईन, दीवार, सड़क, पेड़, खम्भों आदि पर पेन्टिंग व पोस्टर न चिपकाएं, न ही बैनर लगाकर विरूपित करें।
- सार्वजनिक स्थानों / सड़कों आदि पर पशुओं को न छोडें एवं उनको चारा भी न डालें, चारा गौशालाओं में ही डलवाएं।
- पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग न करें पॉलीथीन की थैलियां हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाती ही है साथ ही
- पशुओं के पॉलीथीन खाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। जूट व कपड़े के थैले अपनायें।
- हर नागरिक सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागी बने।

(ललिता शाह)
अध्यक्ष,न.पा.खुडाला

(रमेश शाह)
सांसद प्रतिनिधि

हम है स्वच्छता के सजग प्रहरी स्वच्छ स्वर्ण खुडाला फालना, सुन्दर फालना

समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।

समस्त पार्षदगण
नगर पालिका खुडाला फालना

(विनयपाल)
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खुडाला, फालना

मा. झाबर सिंह खर्रा
स्वायत्त शासन मंत्री
एवं प्रभारी मंत्री

मा. पी.पी.चौधरी
सांसद, पाली

श्री केसाराम चौधरी
विधायक, मारवाड़

श्री भरत कुमार राठौड़(जैन)
अध्यक्ष
नगरपालिका रानीखुर्द

श्री डालचंद चौहान (मेवाड़ा)
उपाध्यक्ष
नगरपालिका रानीखुर्द

श्री सुदर्शन जांगू
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रानीखुर्द

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, रानी खुर्द, जिला-पाली (राज.)

रानी खुर्द नगरपालिका मण्डल की ओर से देश एवं प्रदेश वासियों को दिपावली पर्व 2024 के अवसर पर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा रानी खुर्द को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करें।

1. अपने वार्ड एवं घरों के सामने स्वच्छता बनाये रखें ।
2. साफ सफाई का ध्यान रखते हुये कचरा निर्धारित स्थान घरेलु कचरा पात्र में ही डालें ।
3. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें ।
4. पॉलिथीन बैग का उपयोग नहीं करें।
5. अधिक ध्वनि के पटाखे ना जलायें जिससे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न करें ।
6. पशु पक्षियों को पटाखों से नुकसान ना पहुचायें ।
7. घास फुस से बने मकानों एवं लकड़ी से बने मकानों के आस-पास आतिशबाजी नहीं करें।
8. पर्व के दौरान घर की सजावट में चाईनीज लाईटों व सामान का प्रयोग ना कर स्वदेशी सामान को अपनायें ।
9. सभी दुकानदार अपनी दुकानों का कचरा नियत स्थान पर ही डालें भूमिगत नालों में नहीं डालें ।
10. शहर में किसी भी तरह के हॉर्डिंग्स व बैनर आदि बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति के ना लगायें ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

माननीय प्रतिपक्ष नेता- मोहम्मद इलियास चढवा **माननीय सदस्यगण-**महेश कुमार भील, नर्बदा कंवर राजपुरोहित, पदम सिंह राठौड़, मांगीदेवी गर्ग, रेखा माली,मोहम्मद अकरम खान, कपूराराम प्रजापत, जोधाराम कुमावत, सुनील बैरवा, घीसुलाल चौधरी,मीठ्या लाल बंजारा, सीता बंजारा, सेतकीबाई, खारवाल, ललित कुमार सोनी, मनीष कुमार मेहता, दाकु देवी परिहार, मुकेश कुमार बैरवा एवं समस्त कर्मचारीगण नगर पालिका रानी खुर्द, पाली।

माय बॉडी माय चॉइस

(मेरा शरीर, मेरी मर्जी)

■ रामेश्वरी

दिसम्बर 1969 के आसपास उभरा एक नारा ''माय बॉडी, माय चॉइस'' (मेरा शरीर, मेरी मर्जी)। बच्चा पैदा करना है या गर्भपात करवाना है, अथवा बच्चा कब पैदा करना है, इस बात के चयन को महिला के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना इस नारे का उद्देश्य था। यह सभ्यता से विकृति की ओर बढ़ने के लिए एक कदम है जो भारत में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

विगत कुछ दशकों से फेमिनिज्म के नाम पर वामपंथियों ने विभिन्न माध्यमों से समाज में विकृतियाँ फैलाने का कार्य किया है। उसी तथाकथित फेमिनिज्म की कड़ी में दिसम्बर 1969 के आसपास उभरा एक नारा ''माय बॉडी, माय चॉइस'' (मेरा शरीर, मेरी मर्जी)। बच्चा पैदा करना है या गर्भपात करवाना है, अथवा बच्चा कब पैदा करना है, इस बात के चयन को महिला के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना इस नारे का उद्देश्य था।

अमेरिका के एक राज्य मेसाचुसेट में न्यायालय के बाहर पैतीस गर्भपात समर्थक खड़े नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में नारे लगी पट्टिकाएं थी। उसमें से एक पर अंग्रेजी में लिखा था ''माय बॉडी माय चॉइस माय डिसीजन।'' वर्ष 1973 में 'अवर बॉडीज अवरसेल्व्ज' नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ। इस घटना के बाद अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में यह नारा अलग-अलग प्रकार से सामने आता रहा।

अर्धनग्न महिला का समर्थन

जुलाई 2021 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक महिला स्विम पार्क में टॉपलेस (अर्धनग्न) होकर लेटी थी। गार्ड्स ने विरोध कर उसे उपरी भाग ढकने को कहा, जिसे महिला ने नहीं माना । गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया। इस घटना के विरोध में पूरे बर्लिन में प्रदर्शन हुआ जिसमें पुरुषों ने महिलाओं के अन्त: वस्त्र पहने तथा महिलाओं ने पीठ पर ''माय बॉडी माय चॉइस'' लिखवाकर टॉपलेस होकर रैली निकाली।

नारे का उपयोग अन्य जगहों पर

दक्षिण कोरिया में इस नारे को ''विवाह करना है या नहीं'' के अर्थों में लिया जाता है। हॉलीवुड अभिनेत्री एम्मा वाटसन ने इस नारे की टीशर्ट पहनकर इसको समर्थन दिया। अन्य कई देशों में इसके साथ छोटे बड़े आन्दोलन हुए। इस नारे का उपयोग अन्य कुछ बातों के लिए भी किया गया। जो लोग अनिवार्य टीकाकरण के विरोधी हैं, उन्होंने स्वयं या अपने बच्चों को टीका लगाने से मना करने के अपने अधिकार को व्यक्त करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया है। इसी तरह यह नारा उन लोगों द्वारा भी अपनाया गया जिन्होंने कोविड-19 महामारी के समय मास्क पहनने का विरोध किया था। अन्य कई ऐसी बातें जो किसी भी देश के नागरिक कर्तव्यों को समाप्त करती है, उसके लिए इस नारे का प्रयोग हुआ है।

भारत में समर्थक

भारत में सन 2003 में फेमिना नामक पत्रिका में इसकी चर्चा हुई। परन्तु उस समय इस आलेख पर किसी का इतना ध्यान नहीं गया। मार्च 2015 में वोग इंडिया ब्रांड ने महिला

सशक्तीकरण के नाम पर ''माय चॉइस'' नामक लघु फिल्म निकाली, जिसका निर्देशन होमी अदजानिया ने किया और मुख्य भूमिका दीपिका पादुकोण ने निभाई। इस फिल्म में न केवल प्रजनन अधिकारों की बात की गयी अपितु महिलाओं से जुड़ी कई बातों जैसे कि कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, प्रेम, सेक्स, विवाह आदि के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इस फिल्म में जिस प्रकार 'पसंद' को परिभाषित किया गया है उससे 68 प्रतिशत युवाओं की आबादी वाले इस देश में क्या संदेश जा रहा है? फिल्म में दीपिका यह कहती हुए दिखाई देती है कि-

''चाहे शादी से पहले सेक्स करूँ या शादी के बाद किसी अन्य से सेक्स करूँ, या मैं सेक्स ही न करूँ, मैं स्त्री से सेक्स करूँ या पुरुष से या दोनों से, मैं किसी से पल भर का प्रेम करूँ अथवा जीवन भर का; मैं शाम को छः बजे घर आऊं या सुबह 4 बजे; मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूँ या न करूँ-यह सब मेरी पसंद है। तुम सात करोड़ में केवल मेरी एक पसंद हो। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। तुम्हारे नाम की बिंदी, सिन्दूर, सरनेम मेरे लिए गहना है और यह मैं किसी अन्य के साथ रिप्लेस भी कर सकती हूँ।''

बॉडी (शरीर) का अस्तित्व समाज में सीमित समय के लिए होता है परन्तु बॉडी द्वारा किये गए कार्यों का प्रभाव परिवार, पीढ़ी अथवा सम्पूर्ण समाज को लम्बे समय तक प्रभावित करता है। भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को ये विकृत और घातक हैशटैग कहाँ ले जायेंगे?

महिला सशक्तिकरण के नाम पर विकृति

अत्यंत भयानक रूप से चिंता का विषय है कि जिस भारत देश की संस्कृति में अर्धनारीश्वर के रूप में पुरुष में नारी को स्थापित किया गया है, उस देश में यह बातें महिला सशक्तीकरण के नाम पर परोसी जा रही हैं। यह सभ्यता से विकृति की ओर बढ़ने के लिए एक कदम है, जो कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

अगर यही बात एक पुरुष कहे कि वह रात भर घर नहीं आएगा, विवाह से पूर्व किसी से भी शारीरिक सम्बन्ध बनाएगा, विवाह के पश्चात् किसी से भी सम्बन्ध बनायेगा आदि, तो क्या किसी स्त्री को ऐसा पुरुष पति के रूप में स्वीकार्य होगा? साधारण सा उत्तर है कि नहीं। हास्यास्पद बात यह है कि 15 मई 2015 को ''आज तक'' के एक कार्यक्रम में दीपिका ने इस वीडियो के बारे में बात करते हुए कहा कि ''मैं भी वीडियो की कुछ लाइन्स से सहमत नहीं थी । निजी जीवन में मैं विवाह को एक पवित्र बंधन और संस्था मानती हूँ। मेरा उद्देश्य बेवफाई का प्रचार करना नहीं था'' ये सेलेब्रिटीज जो करोड़ों युवाओं के आदर्श होते हैं कुछ रुपयों के लिए समाज के सामने वे बातें स्थापित करते है जिन्हें वो निजी जीवन में स्वयं स्वीकार नहीं करते। दीपिका स्वयं विवाह को पवित्र बंधन मानती है, परन्तु उसने देश की करोड़ों युवतियों के मन में विवाह को अस्वीकार करने वाला विचार भर दिया। क्या ऐसे छद्म मुखौटा पहने हुए व्यक्ति देश के युवाओं के आदर्श बनने के योग्य हैं?

इस आन्दोलन का समर्थन करना स्वेच्छाचारिता को और अधिक तीव्र गति और विस्तार देना है। यह वीडियो महिलाओं को सामाजिक बंधन तोड़कर स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर निरंकुश होने के लिए प्रेरित करता है।

यह सत्य है कि अपनी देह पर अपना अधिकार होना चाहिए पर जिस भौंडेपन के साथ इस वीडियो में दिखाया गया है उस स्वतंत्रता से क्या वास्तव में स्त्री को उसके अधिकार प्राप्त हो जायेंगे? क्या इस प्रकार की सभी स्वतंत्रता देने के पश्चात् स्त्री का जीवन सरल हो जायेगा? क्या यौन स्वेच्छाचारिता से महिला वास्तव में सशक्त और आत्मनिर्भर हो जाएगी? समाज की रुढ़ियों को तोड़ने में और परम्परा को नष्ट करने में बहुत बड़ा अंतर है जो वर्तमान पीढ़ी नहीं देख पा रही है। ऐसी स्वतंत्रता हमें उस जीवन शैली की ओर ले जाएगी जहाँ जीना तो सभी को है परन्तु किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं है। अपने देश में अहिल्या बाई, सावित्री बाई फुले, सरोजिनी नायडू, रमाबाई, मीरा कुमार, किरण बेदी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, द्रौपदी मुर्मू और अनगिनत महिलाएं क्या नारी सशक्तीकरण का उदाहरण नहीं हैं ? इन सभी ने अपने स्तर पर संघर्ष किया और विश्व के समक्ष अपनी पहचान स्थापित की।

बात गर्भपात की

गर्भपात निर्भर करता है गर्भधारण की सामाजिक परिस्थिति पर। विवाह के पश्चात्, विवाहेत्तर अथवा अविवाहित अनैतिक संबंधों तथा बलात्कार इन तीनों ही परिस्थितियों में वांछित / अवांछित रूप से गर्भधारण होता है। विवाह की बात करें तो सनातन धर्म में विवाह एक पवित्र बंधन होता है और परिवार एक संस्था है जो समाज के लिए अनिवार्य है। विवाह के पश्चात् आपसी सहमति से परिवार को आगे बढ़ाया जाता है। बलात्कार से हुए गर्भधारण में शीर्ष न्यायालय ने छूट दी है। सबसे अधिक गर्भपात अनैतिक संबंधों से उत्पन्न गर्भधारण की श्रेणी में होते हैं।

उक्त वीडियो सामाजिक नियमों के विरुद्ध जाकर स्त्री देह की स्वतंत्रता की बात करता है। जो समाज की युवा पीढ़ी को उच्छृंखल और निरकुंश बनाने के हेतु तत्पर दिखाई देता है। स्त्री देह की स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री के ही हिस्से से बहुत कुछ छिन जाता है और अंत में गर्भधारण का संकट भी स्त्री के भाग्य में आता है उससे बचाव के लिए हानिकारक पिल्स अथवा गर्भपात ही समाधान रहता है। माय बॉडी माय चॉइस जैसा हैशटैग इसी प्रकार के गर्भपात का समर्थन करता है।

गर्भपात पर सर्वोच्च न्यायालय

22 सितम्बर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला के अवांछित गर्भधारण के गर्भपात पर एक निर्णय सुनाया। MTP (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) एक्ट में विवाहित महिला की विशेष श्रेणी जिसमें दुष्कर्म

पीड़िता, दिव्यांग व नाबालिग जैसी अन्य संवेदनशील महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति थी। जबकि इसी स्थिति में अविवाहित महिला के लिए यह सीमा 20 सप्ताह थी। कोर्ट ने इस अंतर को समाप्त किया। कोर्ट ने एक बात और कही कि विवाहित महिला भी अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध उस गर्भ का गर्भपात करवा सकती है जो उसकी इच्छा के बिना रह गया। पति-पत्नी के मध्य बने संबंधों के उस समय की इच्छा / अनिच्छा का मापदंड तय करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। इसका भी समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

विपरीत आए परिणाम

कई मायनों में यह नारा समाज को केवल विकृति की ओर धकेलने वाला है। यहाँ दो घटनाओं के उल्लेख से इसके दुष्परिणाम को समझते हैं। वर्ष 2023 में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, वो है ज्योति मौर्या । उस समय एक बार पुन: दीपिका का यह वीडियो चर्चा का विषय बना था और इस फार्मूले का तीव्र विरोध हुआ पर फेमिनिस्ट और वामपंथियों ने इस चर्चा को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बरेली की ज्योति मौर्या को उसके सफाईकर्मी पति आलोक मौर्या ने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। स्वावलंबी बनते ही ज्योति ने अपने पति के विरुद्ध तलाक का केस किया। एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने बताया कि मौर्या केस के बाद 93 पतियों ने अपनी पत्नियों का नाम उनकी कोचिंग से कटवा दिया है। बक्सर में पढ़ने वाली 136 पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया और ऐसा पूरे भारत में हुआ। दूसरी घटना 8 जुलाई, 2023 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित बिहार के पूर्णिया जिले की है। एक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की ने गायब होने के बाद अपने पिता को फोन पर बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गयी है और अब उसी के साथ रहना चाहती है लड़की के पिता और भाई ने उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर उससे सारे नाते तोड़ लिए। लड़की के भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि ''अंतरजातीय विवाह से आपत्ति नहीं थी पर मार्कशीट लेने का कहकर और घर की मान-मर्यादा को ताक पर रखकर चली गयी। वह हमारे लिए मर चुकी है।''

उल्लेखनीय है कि स्वावलम्बी पत्नियाँ और पढ़ी-लिखी बेटियां अचानक बिना कुछ बताये सामाजिक संस्कारों को धता बताकर माय बॉडी माय चॉइस से प्रेरित होकर किसी के साथ फरार हो जाएंगी, यह भारतीय समाज को कैसे स्वीकार्य होगा? यह नारा माय चॉइस के नाम पर नैतिक मूल्यों का पतन करता है। बॉडी का अस्तित्व समाज में सीमित समय के लिए होता है परन्तु बॉडी द्वारा किये गए कार्यों का प्रभाव परिवार, पीढ़ी अथवा सम्पूर्ण समाज को लम्बे समय तक प्रभावित करता है। यह हम सभी के लिये विचारणीय है कि भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को ये विकृत और घातक हैशटैग कहाँ ले जायेंगे?

– लेखिका जोधपुर प्रांत की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की प्रचार प्रमुख हैं

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥

महिला सम्मान एवं सुरक्षा

विशेषांक प्रकाशन की

हार्दिक शुभकामनाएं

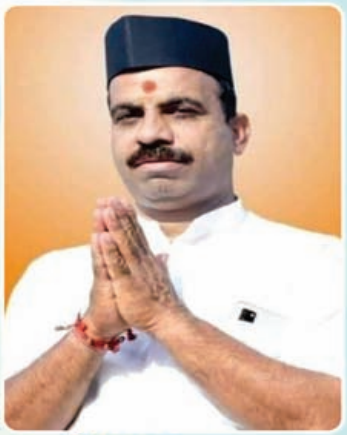

राकेश पाठक
महापौर नगर निगम, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर पालिका सादड़ी (जिला-पाली) राज.

नगर पालिका सादड़ी की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व 2024 के अवसर पर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा सादड़ी को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करे।

1. अपने वार्ड एवं घरों के सामने स्वच्छता बनाये रखें । 2. साफ सफाई का ध्यान रखते हुए कचरा निर्धारित स्थान घरेलु कचरा पात्र में ही डालें । 3. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें । 4. पॉलिथीन बैग का उपयोग नहीं करें। 5. अधिक ध्वनि के पटाखे जलाकर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण न करें । 6. पशु पक्षियों को पटाखों से नुकसान ना पहुचायें । 7. घास फुस से बने मकानों एवं लकड़ी से बने मकानों के आस-पास आतिशबाजी नहीं करें।
8. पर्व के दौरान घर की सजावट में चाइनीज लाईटों व सामान का प्रयोग ना करें स्वदेशी सामान को अपनायें ।
9. सभी दुकानदार अपनी दुकानों का कचरा नियत स्थान पर ही डालें भूमिगत नालों में नहीं डालें ।
10. शहर में किसी भी तरह के हॉर्डिंग्स व बैनर आदि बिना परिषद् की पूर्व स्वीकृति के ना लगायें ।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत)
विधायक बाली

(श्रीमती खुमीदेवी गणेश बावरी)
अध्यक्ष
नगरपालिका सादड़ी

(श्री हिराराम जाट)
उपाध्यक्ष
नगरपालिका सादड़ी

(श्री नीलकमल सिंह)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी

समस्त पार्षदगण
नगरपालिका,
सादड़ी

इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर दो प्रसिद्ध मुकदमे

जगदीश 'क्रांतिवीर'

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित दो मुकदमें, वर्ष 1978 का शाहबानो का मामला तथा वर्ष 2016 का शायरा बानो का मामला इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

वर्ष 1978 का मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो केस। इस केस का जितना महत्व स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास में है, उतना ही महत्व राजनीतिक इतिहास में भी है। इंदौर निवासी शाहबानो को 60 वर्ष की उम्र में पति ने तलाक दिया। पांच बच्चों के साथ पति से अलग हुई शाहबानो के पास आय का कोई साधन नहीं था अत: उसने अपने पति से भरण-पोषण भता दिए जाने की मांग की। न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया। उसके पति ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की और अंतत: यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। शाहबानो के पति का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत तलाकशुदा महिलाओं को भरण-पोषण भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं हैं। दूसरी ओर शाहबानो का तर्क था कि दंड प्रक्रिया संहिता देश के प्रत्येक नागरिक (चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो) पर समान रूप से लागू होती है अत: उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। न्यायालय ने शाहबानो के तर्क को स्वीकार करते हुए 23 अप्रैल 1985 को उसके पक्ष में निर्णय दे दिया।

इस निर्णय को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया और शाहबानो का नाम भारत के न्यायिक इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस निर्णय पर राजनीति आरंभ हो गई। सभी मुस्लिम संगठन इस निर्णय का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। अंतत: राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम,1986 पारित करके इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इस पूरे प्रकरण में रोचक बात यह है कि उस समय जब राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर न्यायालय के निर्णय को पलटा तो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी ही सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए त्यागपत्र दे दिया। शाहबानो, केस जीतकर भी वह न्याय नहीं पा सकी जिसकी लड़ाई वो लड़ रही थी। हालांकि वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने डेनियत लतीफी मामले की सुनवाई के समय शाहबानो केस के निर्णय को पुन: सही बताते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भत्ता सुनिश्चित किया।

वर्ष 2016 का शायरा बानो बनाम भारत संघ केस। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी शायरा बानो का निकाह 2002 में हुआ। वर्ष 2015 में उसके पति ने उसे टेलीग्राम के माध्यम से तीन तलाक दे दिया। तलाक की वैधता को चुनौती देते हुए शायरा सर्वोच्च न्यायालय पहुंची। याचिका में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937' की धारा 2 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई। यही वह धारा है जिसमें मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह, 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) और 'निकाह हलाला' जैसी कुप्रथाओं को वैधता मिलती है। शायरा ने जिन मुद्दों को अपनी याचिका में उठाया उन्हें क्रमवार समझते हैं। याचिका में कहा गया कि बहु विवाह से मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ नैतिक या भावनात्मक नुकसान ही नहीं बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी हो रहे हैं। **तीन तलाक / तलाक-ए-बिद्दत** में इन पर चर्चा की गई है। इस प्रथा के चलते महिलाओं को संपति की तरह समझा जाता है। पुनर्विचार का मौका दिए बिना ही तलाक देने जैसी प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ हैं। ऐसी प्रथाएं उनके सम्मान से जीने के अधिकार का हनन कर रही हैं।

निकाह-हलाला के अंतर्गत कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला यदि अपने पूर्व पति से पुन: निकाह करना चाहती है तो पहले उसे किसी अन्य व्यक्ति से निकाह करना होता है। इसके पश्चात् जब वह दूसरा व्यक्ति भी उसे तलाक दे, तभी वह अपने पहले पति से पुन: निकाह कर सकती है अन्यथा उसे सदा के लिए अपने पति से अलग किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। इस प्रथा को महिलाओं के लिए सबसे लज्जाजनक एवं घृणास्पद बताते हुए याचिका में कहा गया कि यह प्रथा एक तरह से महिलाओं के बलात्कार की अनुमति देती है। उड़ीसा की रहने वाली नगमा बीबी का उदाहरण भी याचिका में दिया गया है। नगमा के पति ने शराब के नशे में उसे तलाक दे दिया था। अगली सुबह उसे अपने किये का पछतावा भी हुआ लेकिन स्थानीय मजहबी आकाओं के अनुसार उनका तलाक हो चुका था। नगमा को उसके बच्चों के साथ वापस मायके भेज दिया गया और कहा गया कि वो दोबारा अपने पति के साथ तभी रह सकती है जब

हलाला का पालन करें। शायरा बानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। 22 अगस्त, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की बैंच जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएएफ नरीमन ने तीन तलाक को असंवैधानिक मानते हुए कहा कि तीन तलाक, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही बैंच ने केन्द्र सरकार से छः महीने में इस पर कानून लाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय की पालना में वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा तीन तलाक समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक लाया गया। तीन तलाक बिल के 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में तथा 30 जुलाई, 2019 को राज्यसभा में पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से मुक्ति मिली।

आज भी मुस्लिम स्त्रियां कष्ट, अत्याचार और दुख सहन करती हैं। गुलामी की मानसिकता वाले रीति- रिवाजों एवं प्रथाओं के प्रति उनके मौन में आक्रोश भी है पर रूढ़िवादी सोच में जकड़ी न केवल यथास्थिति को मौन रहकर स्वीकार करती हैं अपितु आने वाली पीढ़ी को भी स्वीकार करने पर विवश करती हैं। स्त्री जाति को इस शोषित स्थिति में उनके इस्लामिक रीति-रिवाजों ने पहुँचाया है।

अतः जब तक इस्लाम में महिला को निम्नतर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक मुस्लिम नारी की स्वतंत्रता, समानता एवं पहचान की आशा करना निरर्थक है।

– बाड़मेर

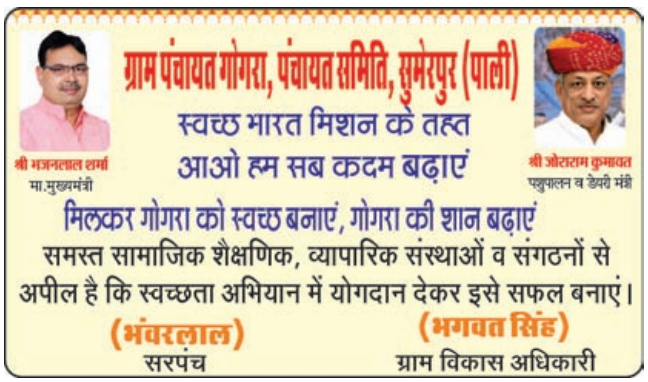

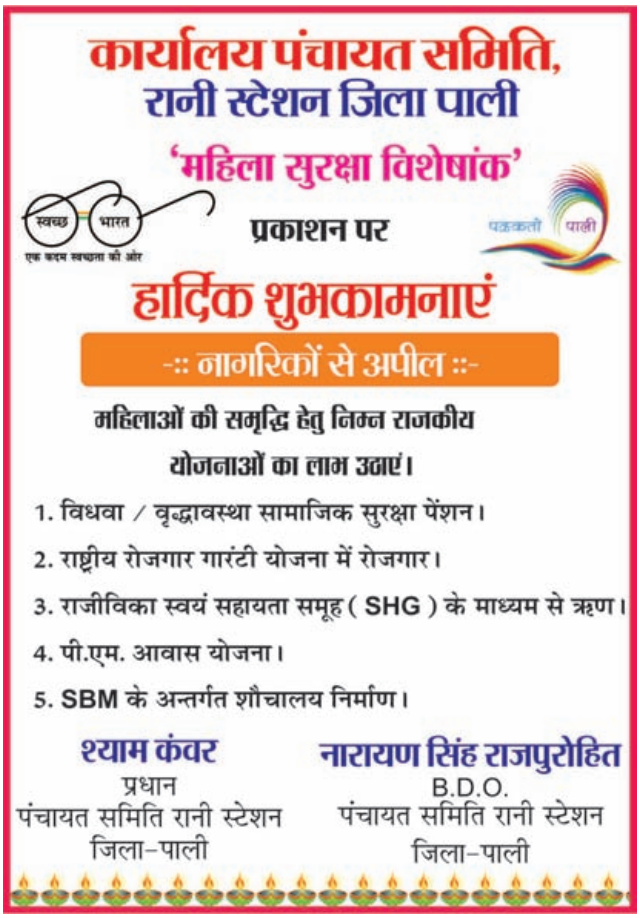

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा

महिला सुरक्षा से समझौता नहीं

गत 2 सितम्बर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित 40-42 संगठनों की केरल के पालक्काड़ में हुई अ.भा.समन्वय बैठक में महिला सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में संघ के अ.भा.प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर के अनुसार चर्चा विशेष रूप से बंगाल में एक युवा महिला डॉक्टर से जुड़े बलात्कार और हत्या के मामले के संदर्भ में थी।

श्री आंबेकर ने बैठक में हुए विचार-विमर्श के संबंध में कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता है। कानूनी व्यवस्था और सरकार को सतर्क और सक्रिय होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो कानून को मजबूत किया जाना चाहिए। बैठक में कानूनी ढांचे को मजबूत करने, समाज में जागरूकता बढ़ाने, पारिवारिक स्तर पर और शिक्षा के माध्यम से मूल्यों को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा कार्यक्रमों और डिजिटल सामग्री से संबंधित मुद्दों, विशेषकर ओटीटी प्लेटफार्मों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष, महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, आरएसएस से प्रेरित संगठनों में काम करने वाली महिलाओं ने सभी राज्यों में जिला केंद्रों पर सामूहिक रूप से महिला सम्मेलन आयोजित किए। 472 सम्मेलनों में लगभग 6 लाख महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में इन सम्मेलनों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं की उन्नति में एक मील का पत्थर है।

बैठक में अहिल्याबाई त्रि-शताब्दी वर्ष समारोह से संबंधित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। सुनील आंबेकर ने बताया कि रानी दुर्गावती के 500 वर्ष के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने का भी निर्णय लिया गया।

'नारी-गरिमा' पर संघ का प्रस्ताव

संघ की अ.भा.प्रतिनिधि सभा (14 से 16 मार्च, 2008) द्वारा 'नारी-गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता' शीर्षक से पारित प्रस्ताव के कुछ अंश

...भारत की परम्परा ने महिला के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं दी है, अपितु उसे सदैव एवं सर्वत्र अत्यन्त श्रद्धा व सम्मान का स्थान दिया है। अत: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो तथा निर्णय प्रक्रिया में सदैव उनकी भागीदारी बनी रहे।...

...अ.भा.प्र.सभा महिलाओं के प्रति बढ़ती जा रही अभद्रता और छेड़छाड़ से लेकर उनके यौन शोषण, उत्पीड़न तथा अन्य संगीन अपराधों को खेदजनक मानती है। प्रतिनिधि सभा माँग करती है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण तथा सशक्तीकरण के साथ घरेलू हिंसा और सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर होने वाले दुर्व्यवहार व शोषण के खिलाफ बने कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे और विज्ञापनों, समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यक्रमों में नारी की गरिमा बनाए रखने की दृष्टि से उपयुक्त आचार संहिता एवं कड़े कानून बनाए।...

...केवल सरकारी कानूनों के भरोसे बैठे रहना आत्मवंचना होगी। समाज को यह प्रामाणिकता से अनुभव करना होगा कि उसका निर्माण परिवार संस्था से होता है और परिवार की धुरी स्त्री होती है; अत: स्त्री को सुविज्ञ, सजग और सशक्त किए बिना विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की दृष्टि से परिवार, शिक्षा, मीडिया एवं समाज की मनोभूमिका में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। अ.भा.प्र.सभा साधु-सन्तों और सामाजिक नेताओं से भी इस सन्दर्भ में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु आव्हान करती है।

स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएँ!
जन-जन को समझाना है, स्वच्छता को अपनाना है
श्रीमान् अविनाशजी गहलोत
कैबिनेट मंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार
श्रीमान् मेघाराम सोलंकी
प्रधान
पंचायत समिति जैतारण
#SwachhataHiSeva
हमें फॉलो करें: India Post IndiaPostOffice India Post indiapost_dop पर
www.indiapost.gov.in
श्रीमान् पप्पुराम कुमावत
उप प्रधान
पंचायत समिति जैतारण

'महिला सम्मान एवं सुरक्षा'
विशेषांक प्रकाशन की
हार्दिक शुभकामनाएं
राजेश लहिया
मो. न. 94133 66068

With best Compliments from
Ravi Solanki
Sivmor Gadgets &
Ravi Electronics
One way Road, Near HDFC bank street
JALORE -343001 Mob: 9414266807

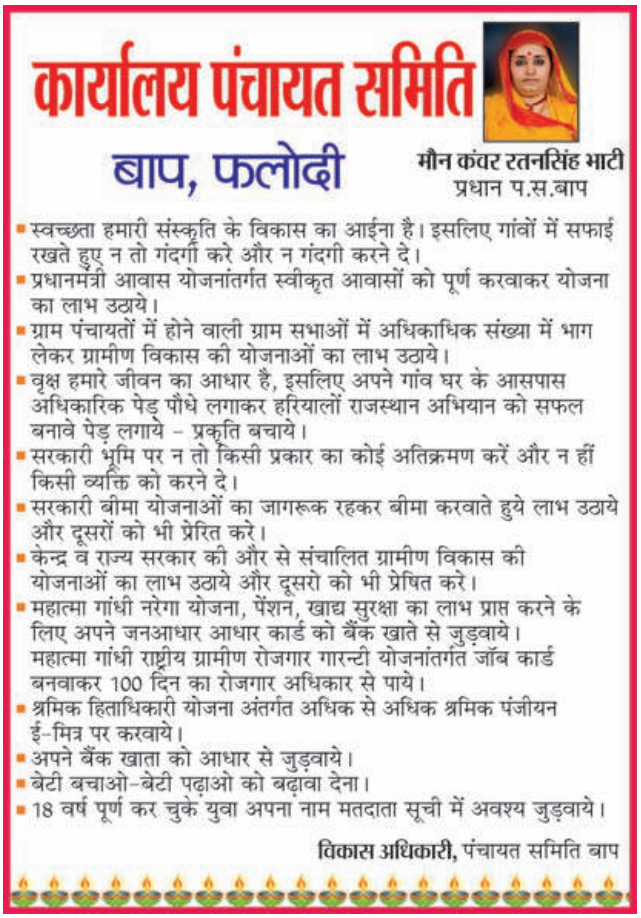
कार्यालय पंचायत समिति
बाप, फलोदी
मौन कंवर रतनसिंह भाटी
प्रधान प.स.बाप
स्वच्छता हमारी संस्कृति के विकास का आईना है। इसलिए गांवों में सफाई रखते हुए न तो गंदगी करे और न गंदगी करने दे।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण करवाकर योजना का लाभ उठाये।
ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ उठाये।
वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं, इसलिए अपने गांव घर के आसपास अधिकारिक पेड़ पौधे लगाकर हरियालों राजस्थान अभियान को सफल बनावे पेड़ लगाये - प्रकृति बचाये।
सरकारी भूमि पर न तो किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करें और न हीं किसी व्यक्ति को करने दे।
सरकारी बीमा योजनाओं का जागरूक रहकर बीमा करवाते हुये लाभ उठाये और दूसरों को भी प्रेरित करे।
केन्द्र व राज्य सरकार की और से संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ उठाये और दूसरो को भी प्रेषित करे।
महात्मा गांधी नरेगा योजना, पेंशन, खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जनआधार आधार कार्ड को बैंक खाते से जुड़वाये।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनांतर्गत जॉब कार्ड बनवाकर 100 दिन का रोजगार अधिकार से पाये।
श्रमिक हिताधिकारी योजना अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिक पंजीयन ई-मित्र पर करवाये।
अपने बैंक खाता को आधार से जुड़वाये।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देना।
18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाये।
विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाप

संविधान निर्माण में महिलाओं की सहभागिता

भारत के संविधान निर्माण हेतु गठित संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य रहीं। इनमें से हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित सहित कई महिला सदस्यों ने संविधान सभा की बहस में सक्रिय भाग लिया।

संविधान सभा की अन्य महिला सदस्य थीं – अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेलायुद्ध, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, एनी मास्कारेन, बेगम एजाज रसूल, लीला रे तथा मालती चौधरी (उपरोक्त चित्र में सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला रे एवं मालती चौधरी नहीं हैं)

मैडम कामा ने बनाया था पहला तिरंगा ध्वज

मैडम कामा को 'भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन' कहा जाता था। उन्होंने जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में 1907 में आयोजित विश्व सम्मेलन में अंग्रेजों की नाराजगी की परवाह न करते हुए भारत का झंडा फहराया था।

राष्ट्रीय ध्वज समिति

इस समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में श्रीमती सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार किया गया था। 'राष्ट्रीय ध्वज भेंट समिति' के सदस्यों में 74 महिलाएं थी। भारतीय महिलाओं की ओर से 14 अगस्त, 1947 की रात्रि को श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्र को राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया। भारतीय विधान- परिषद् का 5वां अधिवेशन कॉन्स्टीट्यूशन हाउस नई दिल्ली में 14 अगस्त, 1947 रात 11 बजे, अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

कार्यक्रम का पहला विषय था वन्देमातरम् का गान। सबने खड़े होकर इसे सुना। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने वन्देमातरम् गान का प्रथम पद गाया। अंत में जन गण मन एवं सारे जहां से अच्छा गीत का गान हुआ।

(सूर्यप्रताप सिंह राजावत, एडवोकेट)

महिलाओं के लिए वर्जित 'कुश्ती' में परचम लहराती भारत की बेटियां

गीता फोगाट

बबीता फोगाट

विनेश फोगाट

साक्षी मलिक

भारत में महिलाओं के लिए वर्जित क्षेत्र माने जाने वाली कुश्ती में हरियाणा की दो बहिनों- गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने कदम रख कर महिलाओं के हौंसले बुलंद किए हैं। प्रारंभ में उन्हें अभ्यास करने के लिए लड़कों से कुश्ती लड़नी पड़ी थी। गीता फोगाट ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक जीता। बबीता ने 2014 ग्लासगो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।

गीता व बबीता की चचेरी बहिन विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पिछले ओलंपिक के फाइनल में पहुँचने के बावजूद तकनीकी कारण से उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा।

हरियाणा की ही अंशु मलिक ने 2021 ओस्लो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश की अलका तोमर, निशा दहिया, रितु फोगाट, दिव्या काकरान, गीतिका जाखड़ और साक्षी मलिक (2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता) भारत की अन्य प्रमुख महिला पहलवान हैं। हरियाणा की मानसी अहलावत वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में सभी आयु वर्ग में मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं।

महिला सुरक्षा
विशेषांक प्रकाशन पर आप सभी को दीपोत्सव की
हार्दिक शुभकामनाएं
यह दीपोत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा व नया प्रकाश लेकर आए और सभी का जीवन सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे।
राजा राम गुर्जर

सोशल मीडिया और लव जिहाद

गुलाब बत्रा

संचार क्रांति के आधुनिक दौर में सोशल मीडिया के प्रभुत्व से सभी हतप्रभ हैं। इसके लाभ-हानि के पक्ष-विपक्ष में तर्कों की भरमार है। इस संदर्भ में महिला सुरक्षा से जुड़ा संकट भयावह हो चला है। नई युवा पीढ़ी के प्रगतिशील तबके और सोशल मीडिया के विभिन्न स्वरूपों ने लव जिहाद की समस्या को गंभीर बनाया है। इस सिलसिले में एक उदाहरण सोशल मीडिया से प्रस्तुत है :-

एक पुलिस थाने में एक युवती अपने माता-पिता और प्रेमी के साथ पहुँची। युवती अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। समझदार थानाधिकारी ने सभी से पूछताछ की। युवती के माता पिता और उसके प्रेमी को घर जाने को कहा। युवती को महिला पुलिस की देखरेख में थाने में रखा गया।

युवती से पूछा गया कि वह खाना बनाना जानती है। हां कहने पर उसे खाना बनाने को कहा गया। जब वह खाना बनाने वाले स्थान पर पहुँची तो वहां खून से लथपथ कच्चे मांस को देखकर घबरा गई और उसे उल्टी आने लगी। वह भागकर थानाधिकारी के पास गई और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। तब थानाधिकारी ने कहा कि बेटी अपने प्रेमी के यहां तो तुम्हें रोज ऐसा भोजन बनाना और खाना भी होगा। सहमी हुई युवती को समझ आ गई और वह अगले दिन अपने माता-पिता के साथ घर लौट गई।

वह किस्सा कल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। प्रसंग के संदर्भ में थानाधिकारी की व्यावहारिक समझाइश से कथित प्रेम-पाश में फंसी युवती ने अपना मन- बदल लिया। लेकिन सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों के कुचक्र में फंसने वाली ऐसी बालिग नाबालिग युवतियों के किस्सों की लम्बी फेहरिस्त है। उनमें कुछ प्रकरण समाचार पत्रों अथवा पुलिस कार्रवाई से प्रकाश में आ जाते हैं। अन्यथा ऐसे अनेकानेक प्रकरण घोर अंधकार का हिस्सा बनते हैं और ऐसी बदनसीब युवतियों को अमानवीय अत्याचारों के साथ-साथ अपनी जान चुकाने की मजबूरी झेलनी होती है।

लव जिहाद के नामकरण से चर्चित प्रकरण मीडिया की सुर्खियां भी बने हैं। ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए कानूनी कदम भी उठाये गये हैं। लेकिन कमोवेश यह सिलसिला थमा नहीं है। अलबत्ता ऐसे प्रकरण उजागर होने से समाज में जागरूकता आती है लेकिन अभी मंजिल दूर है। परिवार, समाज के साथ-साथ शासन-प्रशासन को भी इस दिशा में सक्रियता बरतनी होगी।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

नगर निगम ग्रेटर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024
ULB CODE
900600
शक्ति वंदन 2.0
अन्याय का संहार करो, शक्ति तुम ललकार करो
विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में शिविरों के माध्यम से महिलाओं-बालिकाओं को सबल बनाने की पहल
सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित है।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का त्याग करें
इसके स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग करें
निवेदक
डॉ. सौम्या गुर्जर, महापौर
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

साहस की संघर्षमय गाथा
इनकी लगन, धैर्य और साहस को नमन

पाथेय डेस्क

स्वच्छता की देवी ऊषा चौमर

अलवर शहर में कभी मैला ढोने का काम करने वाली ऊषा देवी चौमर आज स्वच्छता मिशन में जाना-पहचाना नाम है। दस साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। वे छोटी उम्र में मैला ढोने का काम करती थीं।

स्वच्छता की मुहिम के तहत वे 2023 में बिंदेश्वर पाठक की ''नई दिशा'' संस्था से जुड़ी, तभी से स्वच्छता की दिशा में अनवरत कार्य कर रही हैं।

अलवर जिले के हुजूरीगेट मोहल्ले की रहने वाली ऊषा देवी का कहना है कि पहले मैला ढोती थी तो कोई पहचान नहीं थी। 'नई दिशा' संस्था के सम्पर्क में आने के बाद उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी मैला ढोने से मुक्त कराकर आत्मनिर्भर बनाया। आज अनेक महिलाएं यह काम छोड़कर सिलाई, अचार बनाने जैसे अन्य काम सीखकर दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं।

स्वच्छता के लिए काम करने वाली ऊषा अमेरिका सहित पांच देशों की यात्रा कर चुकी हैं। वर्तमान में वह सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्षा हैं। मैला ढोने वाली 157 महिलाओं के जीवन में आया बदलाव आपकी मेहनत एवं लगन का ही परिणाम है।

स्वच्छता के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया है।

सफाईकर्मी से आरएएस तक का सफर

जोधपुर के बड़वासिया मोहल्ले की रहने वाली आशा कंडारा आरएएस में चयन से पहले जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाया करती थी। शादी के पांच वर्ष बाद पति से अलगाव हो गया था। आशा ने हिम्मत नहीं हारी। 12वीं के 16 वर्ष बाद स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। नगर-निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर रहते लगातार 2 वर्ष तक सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अपने दो बच्चों का बराबर पालन-पोषण भी किया। आशा ने 2018 में आरएएस की परीक्षा दी। राजस्थान

प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर आशा ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के हौसले बुलंद हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।

शहीद पति से किया वादा पूरा कर
निकिता बनी लेफ्टिनेंट निकिता

देहरादून के शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल और उनकी पत्नी निकिता कौल को कोई भूल सकता है क्या ? पति को आई लव यू कहकर विदा करने वाली निकिता ने पति की मृत देह से वादा किया था कि एक दिन मैं भी सेना में जाऊंगी। मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली निकिता कौल और शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने 2018 में विवाह किया था। 14 फरवरी, 2019 पुलवामा में आतंकी हमला हो गया। देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए। इस हमले के 100 घंटों के भीतर ही सेना के जवानों ने मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल के नेतृत्व में पुलवामा हमले के मास्टर माइंड गाजी रशीद को मार गिराया। इस ऑपरेशन में मेजर ढौंडियाल एवं 4 अन्य जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

9 महीने पहले दुल्हन बनी उस महिला के सपने पल भर में बिखर गए, लेकिन

उसने हार नहीं मानी, उसे अपने पति से किए वादे को पूरा करना था। निकिता दिल्ली में अपने माता-पिता के पास रहकर आर्मी में आने की तैयारी में जुट गई। निकिता ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण कर सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की।

अपने प्रशिक्षण के लिए वह चेन्नई के 'अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीएस)' में गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निकिता सेना में शामिल हो गई। निकिता कौल आज लेफ्टिनेंट निकिता कौल बन चुकी हैं।

ANG GROUP
Builder & Developer's
देश की मातृ शक्ति को नमन के
साथ महिला सुरक्षा विशेषांक के प्रकाशन पर
सभी देशवासियों को खुशियों एवं प्रकाश के
महापर्व दीपावली की हार्दिक
शुभ कामनाएँ
दीपावली
की हार्दिक शुभकामनाएं
शुभेच्छुक :
गोपाल सिंह
डायरेक्टर
Mob.: 9166798906

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा शिक्षा से सशक्तीकरण

अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि अथवा अर्थाभाव के कारण बहुत सी महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं तथा आत्मनिर्भर होने या प्रगति में पीछे रह जाती हैं।

ऐसी महिलाओं को 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कराने की योजना के अंतर्गत न केवल नि:शुल्क पंजीयन किया जाता है, वरन उन्हें नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें 5 वर्ष में 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। परिणामत: उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने पर ऐसी महिलाएं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती देखी गई हैं। ऐसी योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क करें-

1.राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,(एकलव्य भवन, शिक्षा संकुल, जेएलएनमार्ग, जयपुर)

2. दूरभाष : 0141-2717082

वेब : www.rsos.rajasthan.gov.in

3.निकटतम ई-मित्र/संदर्भ केन्द्र आर.एस.ओ.एस.

-डॉ.अरुणा शर्मा,

सचिव, रा. स्टे. ओ.स्कूल, जयपुर

सेवा भारती के 'किशोरी विकास केन्द्र'

आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान,आत्म विकास और संस्कार का प्रकल्प

इन केन्द्रों पर सेवा बस्ती की इस आयु वर्ग की किशोरियों को स्वास्थ्य रक्षा के साथ आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस), आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, त्योहारों में मूर्तियों का निर्माण, राखी, इलेक्ट्रिक लड़ी बनाने की वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है।

ये केन्द्र किशोरियों को जीवन के हर पहलू से अवगत कराते हैं। उन्हें वह सब सिखाया जाता है, जो परिवार के लोग भी नहीं सिखा पाते हैं। जैसे गुड टच और बैड टच में फर्क करना, समाज में साहस के साथ मुश्किलों का सामना करना, अपनी स्वयं की रक्षा करना, सब सिखाया जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी दिये जाते हैं, जिससे अपनी संस्कृति, महापुरुषों, धर्म ग्रंथ, त्योहार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलती है।

इन केन्द्रों का उद्देश्य किशोरियों में छिपी प्रतिभा और रुचि की पहचान करना, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए आत्मविश्वास तथा आत्म-सम्मान उत्पन्न करना, नई चीजें सीखना, त्वरित निर्णय लेने वाला बनाना और उन्हें स्वयं के कैरियर और समग्र व्यक्तित्व विकास के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(पाथेय डेस्क)

दुर्गा वाहिनी के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग

विश्व हिंदू परिषद की दुर्गावाहिनी सनातनी माता-बहनों को सशक्त बनाने तथा मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास हेतु शौर्य प्रशिक्षण वर्ग लगाती है जिसके अंतर्गत बहनों को दंड, नियुद्ध, यष्टि, छुरिका, तलवार आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है... साथ ही नई कार्यकर्ता बहनों के निर्माण एवं बहनों में आत्मविश्वास जगाने हेतु प्रतिदिन शक्ति साधना केन्द्र लगाए जाते हैं। बाल संस्कार केन्द्र, सत्संग आदि चलाए जाते हैं जिनके

माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में संस्कार विमुख बहनों को सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी भी दी जाती है।

लघुकथा

सच्चा सत्कार

शिवराज भारतीय

'अरे भई, ये लड़की तो अपनी गली की मेहतरानी की है। तू इसे गोदी में उठाये कहाँ भटक रहा है?' बगीची में फूल तोड़ती ताई जी ने पुजारी जी के पोते को रोकते हुए पूछा। 'भटक नहीं रहा ताई जी, घर जा रहा हूँ। आज नवरात्रे पूरे हुए हैं न...तो आज कन्याओं का पूजन और भोजन है। इस बार देवी माँ की पोशाक इस गुड़िया को पहनानी है।'- मोहित ने उत्तर दिया।

'अरे बेटा, तुझे देवी माँ की पोशाक भेंट करने के लिए अपनी गली में कोई और कन्या नहीं मिली क्या?'- ताई जी ने नाक, भौं सिकोड़ते हुए पूछा।

'क्यों ताई जी, इसमें कोई खोट है...?'- मोहित उस मासूम बच्ची के उलझे बालों को सुलझाते हुए बोला-'...कन्या तो शायद गली में और भी मिल जायेगी, पर देवी माँ का सच्चा सत्कार और हमारे मन की खुशी इस कन्या के पूजन से ही बढ़ेगी।' ताई जी असमंजस में कभी मेहतरानी की उस नन्ही सी बेटी को, तो कभी पुजारी के पोते मोहित को और कभी बगीची में विराजमान देवी माँ की मूरत को देखती रहीं।

-(मूल राजस्थानी से हिन्दी में अनूदित) अनुवाद- सुरेश बरनवाल

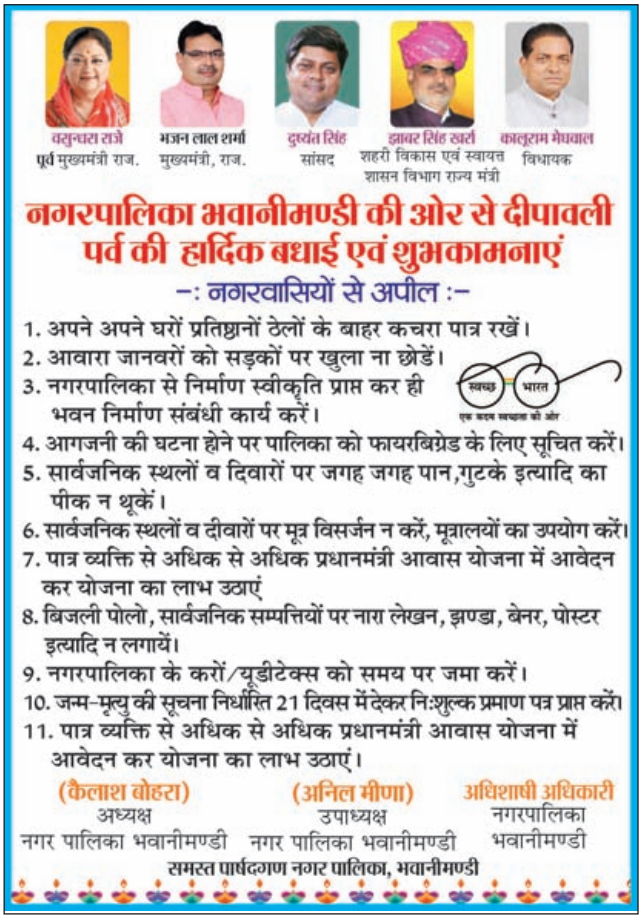

वसुन्धरा राजे
पूर्व मुख्यमंत्री राज.
भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राज.
दुष्यंत सिंह
सांसद
झाबर सिंह खर्रा
शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री
कालूराम मेघवाल
विधायक
नगरपालिका भवानीमण्डी की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
-: नगरवासियों से अपील :-
1. अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों ठेलों के बाहर कचरा पात्र रखें।
2. आवारा जानवरों को सड़कों पर खुला ना छोड़ें।
3. नगरपालिका से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर ही भवन निर्माण संबंधी कार्य करें।
स्वच्छ भारत
4. आगजनी की घटना होने पर पालिका को फायरबिग्रेड के लिए सूचित करें।
5. सार्वजनिक स्थलों व दिवारों पर जगह जगह पान, गुटके इत्यादि का पीक न थूकें।
6. सार्वजनिक स्थलों व दीवारों पर मूत्र विसर्जन न करें, मूत्रालयों का उपयोग करें।
7. पात्र व्यक्ति से अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं
8. बिजली पोलो, सार्वजनिक सम्पत्तियों पर नारा लेखन, झण्डा, बेनर, पोस्टर इत्यादि न लगायें।
9. नगरपालिका के करों/यूडीटेक्स को समय पर जमा करें।
10. जन्म-मृत्यु की सूचना निर्धारित 21 दिवस में देकर नि:शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
11. पात्र व्यक्ति से अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
(कैलाश बोहरा)
अध्यक्ष
नगर पालिका भवानीमण्डी
(अनिल मीणा)
उपाध्यक्ष
नगर पालिका भवानीमण्डी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका
भवानीमण्डी
समस्त पार्षदगण नगर पालिका, भवानीमण्डी

कार्यालय पंचायत समिति
गडरारोड़ (बाड़मेर)
महिला सम्मान एवं सुरक्षा
विशेषांक प्रकाशन पर
हार्दिक शुभकामनाएं
महिलाओं की समृद्धि हेतु
केन्द्रीय/ राज्य सरकार की निम्न योजना
1. विधवा / वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
3. स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM)।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना।
5. राजीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से ऋण।
(प्रवीण सिंह) RRDS
विकास अधिकारी
पंचायत समिति गडरारोड

आप सभी नगरवासियों को
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें
वर्षा मनीष चांदवाड़ अध्यक्ष, नगरपालिका, झालरापाटन

ग्राम पंचायत सिन्दरू, पंचायत समिति, सुमेरपुर (पाली)
स्वच्छ भारत मिशन के तहत
आओ हम सब कदम बढ़ाएं
श्री भजनलाल शर्मा
मा.मुख्यमंत्री
श्री जोराराम कुमावत
पशुपालन व डेयरी मंत्री
मिलकर सिन्दरू को स्वच्छ बनाएं, सिन्दरू की शान बढ़ाएं
समस्त सामाजिक शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं व संगठनों से अपील है कि स्वच्छता अभियान में योगदान देकर इसे सफल बनाएं।
(श्रीमती चौथी देवी)
सरपंच
(अभिषेक शर्मा)
ग्राम विकास अधिकारी

नटराज रुफिंग
हर मौसम में PERFECT
Nataraj Profile 4.2 ft.
Nataraj Tile Profile
Nataraj Profile 3.5 ft.
ISO 9001-2015
Nataraj Grassland Jali
Nataraj Premium+
नटराज रंगीन चद्दर और नटराज काँटेदार तार व जाली
"सबका एक ही मत नटराज की छत"
Nataraj Roofing
NATARAJ ROOFING PVT. LTD.
www.natarajroofing.in | www.natarajroofing.com 8824900818,21

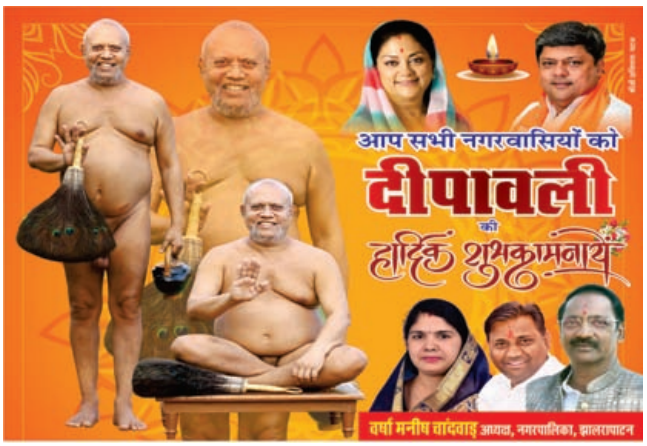

Remarkable Projects and Achievements

Narsi Group has worked with industry giants such as TCS, Wipro, Kotak Mahindra Bank, and Amazon, delivering projects that stand as benchmarks of excellence. Among its most prestigious accomplishments are the Bharat Mandapam, the New Parliament Building, and the Vice President Enclave, exemplifying the company's craftsmanship at the highest level.

Blending Tradition with Innovation and Sustainability

With over 5,000 employees, including skilled artisans, Narsi operates from advanced factories in Kandivali and Navi Mumbai. The company is committed to sustainable practices, implementing dust-free environments and converting sawdust into briquettes. As a proud supporter of the Make in India" initiative, Narsi is embracing Industry 4.0 technologies to meet future challenges while continuing to deliver quality with precision.

Building the Future with Integrity and Passion

Under Mr. Kularia's leadership, the Narsi Group focuses on developing skills to enhance efficiency without compromising its roots in craftsmanship. With a vision of merging innovation with tradition, the group aims to sustain its leadership in the industry while promoting India's artisanal heritage on a global stage. Narsi Group remains dedicated to transforming spaces and empowering craftsmanship, ensuring that every project reflects both creativity and reliability.

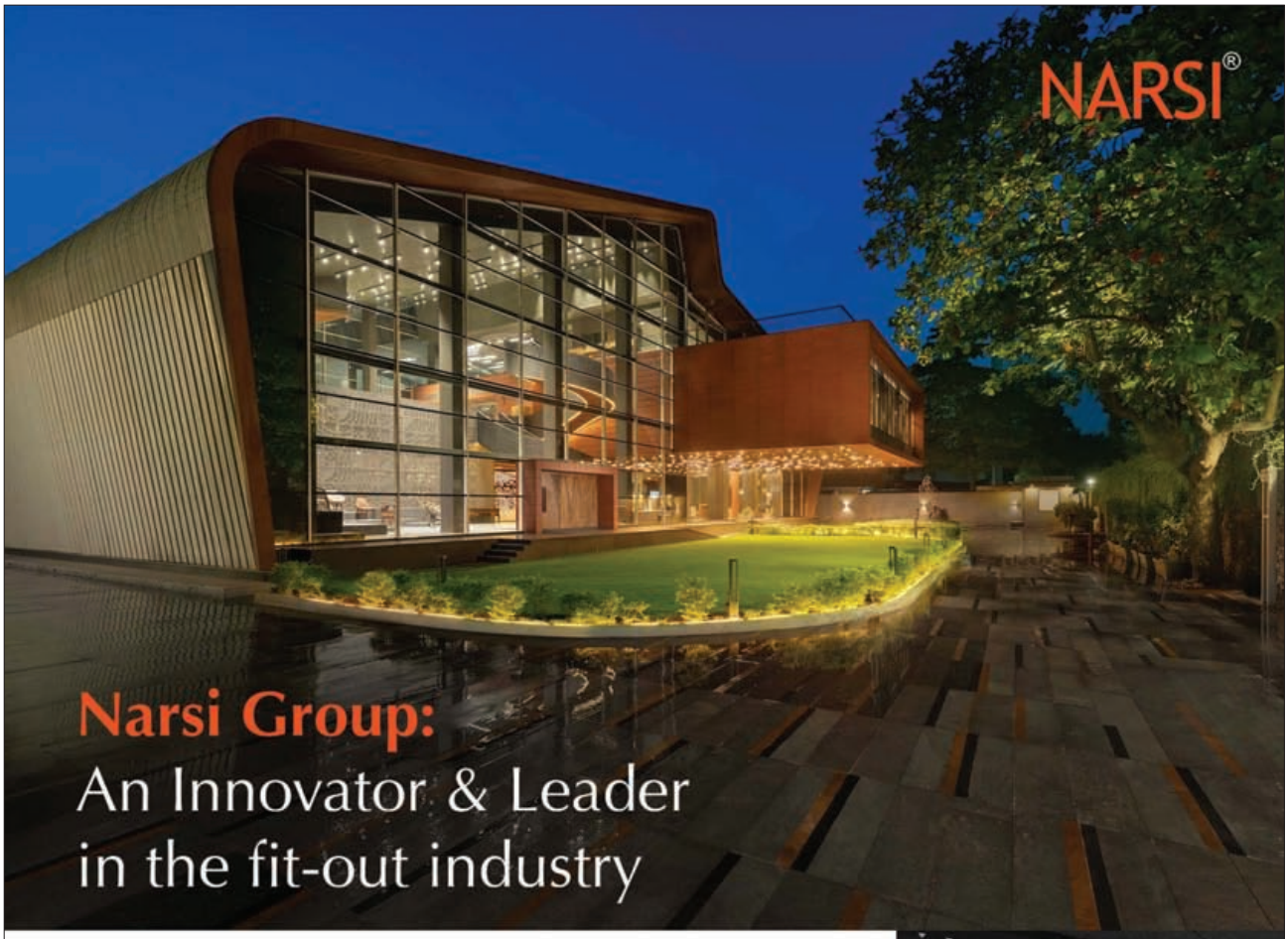

Narsi Group:
An Innovator & Leader in the fit-out industry

Founded in 1986 by visionary entrepreneur Mr. Narsi Kularia, the Narsi Group has grown into a leader in India's interior fit-out industry, completing over 850 projects across 100 million square feet. With a reputation for excellence, the company delivers high-quality solutions for corporate spaces, educational institutions, healthcare facilities, civil & interiors, government offices, and banks.

From Seelwa to Success:
The Vision of Mr. Narsi Kularia

Mr. Kularia's inspiring journey began in Seelwa, a village in Rajasthan. At the age of 18, he gained valuable skills in Muscat before returning to India in 1981, driven by a desire to merge the traditional craftsmanship of the Suthar community with modern business practices. Five years later, Narsi Group was born in Mumbai, setting the foundation for what would become one of India's most trusted turnkey interior fit-out companies.

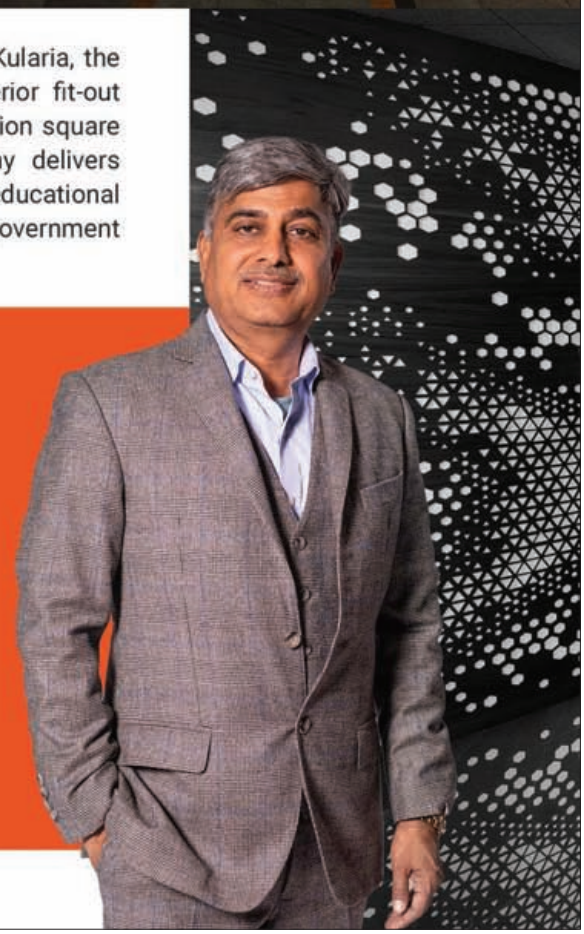

पाक्षिक
पाथेय कण
1 व16 नवम्बर, 2024 (संयुक्तांक)
(10 नवम्बर को प्रकाशित, पृष्ठ 68)
आर.एन.आई पंजीयन क्र. 48760/87
डाक पंजीयन संख्या JAIPUR CITY 202/2024-26
अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति लाइसेंस संख्या
JAIPUR CITY/WPP 01/2024-26

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

उज्ज्वल भविष्य का सपना
हो रहा साकार

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

आमजन की मददगार

भजनलाल सरकार

पेंशनर्स की आउटडोर चिकित्सा सुविधा में व्यय की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष।

लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड।

परीक्षार्थियों को अब दो दिन पूर्व एवं दो दिन बाद तक रोडवेज की बसों (साधारण एवं द्रुतगामी) में निःशुल्क यात्रा सुविधा।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण।

स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष, न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष।

'रिप्स-2024' में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटा कर 25 करोड़ रुपये, पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम सीमा अब 10 करोड़ रुपये।

एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, युवाओं को रोजगार संभावनाओं में वृद्धि हेतु स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में अधिक अवधि (7 वर्ष) के लिए ब्याज छूट और निवेश सब्सिडी का लाभ।

विकास पथ पर गतिमान, आपणो अग्रणी राजस्थान

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान संवाद

स्वत्वाधिकारी पाथेय कण संस्थान के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक माणकचन्द
द्वारा कुमार एण्ड कम्पनी, ए-10, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर से मुद्रित
प्रकाशकीय कार्यालय : पाथेय भवन, 4 मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, मालवीय नगर, जयपुर-302017
सम्पादक- रामस्वरूप अग्रवाल
प्रेषण दिनांक 16,17,18,19 व 20 नवम्बर, 2024 आर.एम.एस.(पी.एस.ओ.) जयपुर

प्रतिष्ठा में,